ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 14 | जुलाई 2023 / Issue 02 | मूल्य : ₹ 55

dhyeyaias.com

चंद्रयान-3: अंतरिक्ष में भारत की असाधारण उपलब्धि

उच्च सागर संधि: साबित हो सकती है समुद्री जैव विविधता के लिए मील का पत्थर

डीपफेक: उभरती तकनीकी विश्व के सम्मुख बड़ी चुनौती

भारत के मध्य-पूर्व और अफ्रीका में दीर्घकालिक हितों में मिस्र की भूमिका का मूल्यांकन

भारत में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा प्रणाली का निर्माण: अवसर और चुनौतियाँ

लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहा भारत: आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अधिक सुधार की आवश्यकता

निर्धनता के दुष्चक्र से निकलते भारतीय: संयुक्त राष्ट्र की एमपीआई रिपोर्ट

मुख्य परीक्षा विशेष: शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से **Dhyeya IAS** के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-
+91 6393005298
perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

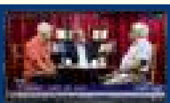

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
	:	बाघेन्द्र सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग	:	दीपक त्रिपाठी
	:	सल्तनत परवीन
	:	नितिन, अर्शदीप
	:	ऋषिका तिवारी
	:	ऋतु, प्रत्यूषा
	:	तपस्या, लोकेश
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक	:	शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं	:	अरूण मिश्र
डेवलपमेंट	:	पुनीष जैन
सोशल मीडिया	:	केशरी पाण्डेय
सहयोग	:	जीवन ज्योति
मार्केटिंग सहयोग	:	रवीश, प्रियांक
टंकण	:	सचिन, तरून
तकनीकी सहायक	:	वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	राजू, चंदन, गुड्डू
	:	अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख

समसामयिकी लेख 5-18

1. डीपफेक: उभरती तकनीकी विश्व के सम्मुख बड़ी चुनौती
2. भारत में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा प्रणाली का निर्माण: अवसर और चुनौतियाँ
3. भारत के मध्य-पूर्व और अफ्रीका में दीर्घकालिक हितों में मिस्र की भूमिका का मूल्यांकन
4. लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहा भारत: आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अधिक सुधार की आवश्यकता
5. चंद्रयान-3: अंतरिक्ष में भारत की असाधारण उपलब्धि
6. निर्धनता के दुष्चक्र से निकलते भारतीय: संयुक्त राष्ट्र की एमपीआई रिपोर्ट
7. उच्च सागर संधि: साबित हो सकती है समुद्री जैव विविधता के लिए मील का पत्थर

राष्ट्रीय 19-23
अंतर्राष्ट्रीय 24-28
पर्यावरण 29-33
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-38
आर्थिकी 39-43
विविध 44-48
मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न ..49
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 50-53
समसामयिक घटनाएं एक नजर में 54
ब्रेन-बूस्टर 55-61
मुख्य परीक्षा विशेष: शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न 62-68
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 69-70

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

आगामी अंक में

- कारोबारी सुगमता और कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूती देने के प्रयास
- यूरेशिया की राजनीति पर भारत-फ्रांस और भारत-यूएई साझेदारी का प्रभाव
- भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता
- निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट, 2022 के मुख्य पहलू और इसकी आवश्यकता
- भारत में सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध हेतु डिजिटल विनियमन की आवश्यकता
- भारत में विधिक साक्षरता और न्याय की दिशा में कितना कारगर होगा नया टेली-लॉ कार्यक्रम
- डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उद्घाटन और उसका औचित्य

डीपफेक: उभरती तकनीकी विश्व के सम्मुख बड़ी चुनौती

'जो दिखता है उसी पर विश्वास करना है', यह एक स्वीकृत कहावत है, इंटरनेट इस धारणा को भी चुनौती देना चाहता है। गलत सूचना और अफवाहें इतनी विकसित हो गई हैं कि वे सामाजिक कलह पैदा कर सकते हैं, ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं और कुछ मामलों में चुनाव परिणाम को भी प्रभावित कर सकते हैं। भू-राजनीतिक आकांक्षाओं वाले राष्ट्र-राज्य कर्ता, विशेष विचारधारा से प्रेरित लोग, हिंसक चरमपंथी और आर्थिक रूप से प्रेरित उद्यमी-आसान तथा अभूतपूर्व पहुंच के साथ सोशल मीडिया विमर्श के माध्यम से लोगों के विचार से छेड़छाड़ कर सकते हैं। गलत सूचना के खतरे में डीपफेक एक नया उपकरण है।'

- जनवरी 2023 में भारत के चुनाव आयोग ने 'प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव के सत्यनिष्ठा' पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन में भारत और दुनिया भर में चुनावों के लिए डीपफेक्स से खतरों के बारे में चिंता व्यक्त की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया पर सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के चुनावों में डीपफेक्स की परेशान करने वाली प्रवृत्ति एक आम बात बन गई है, जहां विघटनकारी तत्व बार-बार डीपफेक्स को 'तथ्य' के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता को भ्रमित करते हैं।
- हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने वाशिंगटन में एक भाषण में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे बड़ी चिंता डीपफेक्स है जो यथार्थ सी दिखने वाली एक झूठी सामग्री है। स्मिथ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया कि लोगों को पता होना चाहिए कि कोई फोटो या वीडियो कब वास्तविक है और कब यह गलत उद्देश्यों के लिए एआई द्वारा उत्पन्न की जाती है?

डीपफेक्स के हालिया मामले:

- रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान साइबर अपराधियों ने एक यूक्रेनी टेलीविजन चैनल को हैक कर लिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया। यह फर्जी वीडियो डीपफेक हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया था।
- दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अरविंद केजरीवाल की मौजूदा दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए खुद के डीपफेक वीडियो जारी किए, जबकि लक्ष्य विभिन्न भाषाई मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 'सकारात्मक अभियान' बनाना था। इस घटना ने भारत में चुनाव अभियानों में डीपफेक्स की शुरुआत को चिह्नित किया।

डीपफेक क्या हैं?

- इस अवधारणा ने 2017 में लोकप्रियता हासिल की। यह 'डीप लर्निंग' और 'फेक' शब्दों का एक संयुक्त रूप है जिसका मतलब है मौजूदा फेस-स्वैपिंग तकनीकों और तकनीक से उत्पन्न झूठे वीडियो की रचना करना।
- डीपफेक डिजिटल मीडिया (वीडियो, ऑडियो और चित्र) हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एडिटिंग और छेड़छाड़ किया जाता है। यह मूल रूप से अति-यथार्थवादी डिजिटल तकनीक का मिथ्याकरण है। डीपफेक व्यक्तियों और संस्थानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं।
- कमोडिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, सार्वजनिक अनुसंधान AI एल्गोरिदम, प्रचुर मात्रा में डेटा तथा विशाल मीडिया की उपलब्धता तक पहुंच ने मीडिया के निर्माण और छेड़छाड़ के लिए एक आदर्श स्थिति बनाई है। इस सिंथेटिक मीडिया सामग्री को डीपफेक के रूप में जाना जाता है।
- डीपफेक्स को जनरेटिव प्रतिकूल नेटवर्क (GAN) का उपयोग करके बनाया जाता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके करने की उच्च क्षमता के साथ दृश्य और ऑडियो सामग्री में छेड़छाड़ उत्पन्न किया जाता है।

डीपफेक कैसे बनाया जाता है?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोशॉप, मशीन लर्निंग (ML) और कई अन्य तरीके से डीपफेक्स वीडियो, क्लिप और अन्य सामग्री बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं।
- ये क्लिप एआई तथा सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर व्यक्ति की पहले से उपलब्ध छवियों/वीडियो की मदद से एक वीडियो-ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ करके बनाई जाती हैं। परिणामी नकली वीडियो और ऑडियो बहुत विश्वसनीय लगता है जिसके बीच अंतर की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

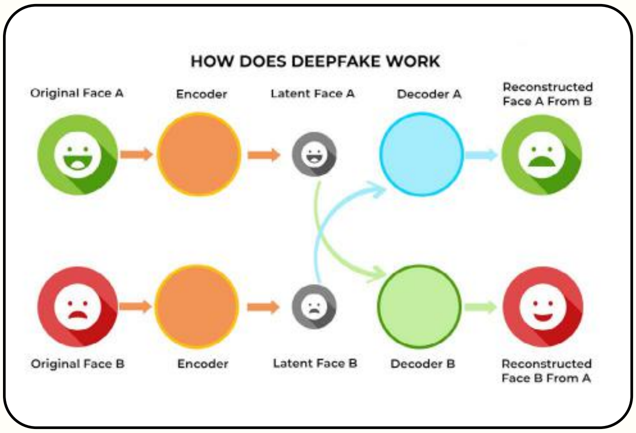

डीपफेक के खतरे:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-जेनरेटेड सिंथेटिक मीडिया या डीपफेक्स के कुछ क्षेत्रों से स्पष्ट लाभ हैं, जैसे-शिक्षा, फिल्म निर्माण, आपराधिक फोरेंसिक और कलात्मक अभिव्यक्ति आदि क्षेत्रों में।
- हालांकि जैसे-जैसे सिंथेटिक मीडिया तकनीक तक पहुंच बढ़ती है, वैसे-वैसे शोषण का खतरा भी बढ़ जाता है। डीपफेक का उपयोग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, सबूत गढ़ने, जनता को धोखा देने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए किया जा सकता है।
- डीपफेक किसी व्यक्ति को असामाजिक व्यवहार में लिप्त होने और अनुपयुक्त चीजें कहने के रूप में लिप्त कर सकता है जो उसने

कभी किया ही न हो। डीपफेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यक्तिगत व सामाजिक नुकसान भी पैदा कर सकता है जो पारंपरिक मीडिया में पहले से ही घटते विश्वास को तेज कर सकता है।

- डीपफेक एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था को कमजोर करने, संस्थानों और कूटनीति में विश्वास को कम करके देश में अनिश्चितता तथा अराजकता पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है।
- डीपफेक का उपयोग गैर-राज्य अभिकर्ताओं, जैसे विद्रोही समूहों और आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा सकता है ताकि वे अपने विरोधियों को भड़काऊ भाषण देने या लोगों के बीच राज्य विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए उत्तेजक कार्यों में संलग्न होने के रूप में दिखा सकें।
- राजनीतिक नेता डीपफेक को हथियार बना सकते हैं और मीडिया के वास्तविक स्वरूप को हटाकर नकली समाचार का उपयोग कर सकते हैं।
- डीपफेक का उपयोग उद्देश्यपूर्ण रूप से झूठी जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है या उनके उपयोग के पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादा हो सकता है। उन्हें लोगों को परेशान करने, डराने, नीचा दिखाने और कमजोर करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। डीपफेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में गलत सूचना देकर भ्रम भी पैदा कर सकते हैं जो सांप्रदायिक तनाव का रूप ले सकता है।
- साइबर अपराधी, किसी भी सटीक चेहरे की समरूपता डेटा सेट बनाने के लिए चेहरे की मैपिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे एआई का उपयोग किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पर स्वैप करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसमें यूजर की आवाज को सटीक कॉपी करने के लिए वॉयस मैचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।

डीपफेक को रोकने के लिए संभावित उपाय:

- उपभोक्ताओं के लिए मीडिया साक्षरता गलत सूचना और डीपफेक का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है।
- प्रौद्योगिकी उद्योग, नागरिक समाज और नीति निर्माताओं के साथ एक सहयोगी चर्चा के साथ सार्थक नियमों की आवश्यकता है ताकि दुर्भावनापूर्ण डीपफेक के निर्माण तथा वितरण को हतोत्साहित करने के लिए विधायी समाधान विकसित किए जा सकें।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को डीपफेक मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए ताकि डीपफेक का पता लगाने, मीडिया को प्रमाणित करने और आधिकारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए उपयोग में सुलभ प्रौद्योगिकी समाधानों को तैनात किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सक्रिय रूप से डीपफेक्स का पता लगाने के लिए अपनी एल्गोरिदम और एआई का उपयोग करना चाहिए।
- डीपफेक के खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी को इंटरनेट पर मीडिया के महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी सूचना को साझा करने से उसकी सत्यता की जांच करना चाहिए और इस 'इन्फोडेमिक' के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए।
- अन्य मौजूदा कानूनी ढांचे जो डीपफेक से निपटने के लिए तैनात किए जा सकते हैं उनमें कॉपीराइट और मानहानि शामिल हैं।
- अल्पावधि में सबसे प्रभावी समाधान फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे प्रमुख तकनीकी प्लेटफार्मों से हानिकारक डीपफेक के प्रसार को सीमित करने के लिए स्वेच्छा से अधिक कठोर कार्यवाही करने से हो सकता है।

भारत में डीपफेक का विनियमन:

- वर्तमान समय में भारत में विशेष रूप से डीपफेक्स साइबर अपराध के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन इससे निपटने के लिए विभिन्न कानूनों को जोड़ा जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-66D में प्रावधान है कि जब किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग धोखाधड़ी के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है, तो व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- आईटी अधिनियम की धारा-66E का डीपफेक्स अपराध उल्लंघन करते हैं क्योंकि मास मीडिया में अपनी छवियों को कैप्चर करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है। इस अपराध के लिए तीन साल तक की कैद या दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा-51 के तहत, किसी भी संपत्ति का उपयोग करना जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है जिस पर बाद वाले व्यक्ति का विशेष अधिकार है, अधिनियम का उल्लंघन है।

निष्कर्ष:

डीपफेक का निर्माण और उपयोग चलन में बढ़ता रहेगा क्योंकि मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम अधिक परिष्कृत होते जायेंगे। डीपफेक विनियमन के लिए एआई और बाजार-संचालित समाधानों की आवश्यकता है। इस संबंध में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फेसबुक का डीपफेक डिटेक्शन चैलेंज एक सकारात्मक कदम है। ऑपरेशन मिनर्वा डिजिटल रूप से फिंगरप्रिंट किए गए वीडियो की मदद से क्रॉस-रेफरेंसिंग द्वारा डीपफेक का पता लगाने के लिए तकनीक का उपयोग करता है। यदि मौजूदा मीडिया के संभावित रूप से छेड़छाड़ किए गए संस्करण का पता चलता है, तो उपयोगकर्ताओं को सचेत किया जाता है। यह स्पष्ट हो गया है कि सहयोगी प्रयास अपरिहार्य है। प्रौद्योगिकीविदों, डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञों, नीति अधिकारियों और कानून निर्माताओं को डीपफेक के इस दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए एक साथ आना चाहिए। एक आवश्यक पहला कदम डीपफेक की संभावनाओं और खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। व्यापक गलत सूचना के खिलाफ एक सूचनापूर्ण नागरिक समाज का निर्माण करना एक महत्त्वपूर्ण बचाव हो सकता है।

भारत में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा प्रणाली का निर्माणः अवसर और चुनौतियाँ

आईआईटी-बॉम्बे ने QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में अपनी सबसे उच्च रैंक प्राप्त की है जिससे यह विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में पहुंच गया है। इस साल भारत के दो विश्वविद्यालयों (दिल्ली विश्वविद्यालय-407 रैंक और अन्ना विश्वविद्यालय-427 रैंक) ने QS की प्रतिष्ठित सूची में पहली बार जगह बनाई हैं। वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन विश्वविद्यालय मासाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (MIT), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हैं। इस साल के QS रैंकिंग ने तीन नए मापदंडों को पेश किया:

- » सतत विकास
- » रोजगार के परिणाम
- » अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क

- ➢ QS रैंकिंग ने तीन मौजूदा मापदंडों (अकादमिक प्रतिष्ठा, कार्यदायी प्रतिष्ठा और शिक्षक-छात्र अनुपात) में भी संशोधन किया है। इन परिवर्तनों ने भारतीय संस्थानों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है जिसके चलते 13 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट हुई है। IISc बैंगलोर 155 से 225 पर पहुंच गया, जबकि आईआईटी-मद्रास को 285 स्थानों का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त पिछली रैंकिंग की तुलना में भारत के पास एक विश्वविद्यालय कम है जिसने शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त किया है।
- ➢ QS विश्वविद्यालय रैंकिंग एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जो विभिन्न प्रदर्शन मापकों के आधार पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और तुलना करती है। इसके द्वारा शिक्षा के उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिष्ठा का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मापक तंत्र मान्यता प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन और करियर सूचना में विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र संगठन क्वाक्करेली सिमंड्स (QS) द्वारा संचालित की जाती है। क्यूएस डेटा विश्वविद्यालयों से एकत्र करता है तथा अध्ययन प्रकाशनों का विश्लेषण करके शिक्षाविदों और कार्यदाताओं के बीच सर्वेक्षण करता है ताकि प्रत्येक संस्थान के अकादमिक स्थान और वैश्विक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन किया जा सके।
- ➢ बदली हुई तकनीक ने IISc की रैंकिंग पर असर डाला है, मुख्य रूप से उसके शिक्षक-छात्र अनुपात को कम भार देने के कारण जो पहले उसकी ताकत माना जाता था। नई तकनीक अब इस संकेतक को 50% कम वजन देती है। इसके अलावा, तीन नए संकेतकों ने उन क्षेत्रों की प्राथमिकता दिखाई है जिन पर IISc और अन्य भारतीय संस्थानों को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात में जहां भारत मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों के पीछे छूट रहा है। क्यूएस के सीईओ जेसिका टर्नर ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की प्रशंसा की है जिसमें शिक्षा प्रणाली को आधुनिकीकृत करने और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता है। इसके तहत प्राकृतिक संतुलन, वैश्विक संलग्नता और रोजगार क्षमता को भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में महत्त्व दिया गया है।
- ➢ चुनौतियों के बावजूद भारत ने अद्वितीय अनुसंधान प्रभाव प्रदर्शित किया है। भारत को 38.6 के स्कोर के साथ वैश्विक औसत 17 से अधिक अंक मिला जो एशिया में 10 से अधिक रैंक के विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा प्रणाली में चीन के पश्चात दूसरा सर्वोच्च अंक है।

QS RANKING (INDIAN INSTITUTIONS)

National Rank	2024 Rank	2023 Rank	Institution Name
1	149	172	IIT, Bombay (IITB)
2	197	174	IIT, Delhi (IITD)
3	225	155	Indian Institute of Science
4	271	270	IIT, Kharagpur (IIT-KGP)
5	278	264	IIT, Kanpur (IITK)
6	285	250	IIT, Madras (IITM)
7	364	384	IIT, Guwahati (IITG)
8	369	369	IIT, Roorkee (IITR)
9	407	521-530	University of Delhi
10	427	551-560	Anna University

भारत में उद्यमी शिक्षा के लिए उद्यम विश्वविद्यालय की आवश्यकताः

- ➢ भारत उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है जहां उद्यमियों ने नवीनता को शामिल करने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और आर्थिक विकास को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, समर्पित उद्यमी शिक्षा पारिस्थितिकी की अनुपस्थिति ने भारत के उद्यमी पोटेंशियल का प्रयोग नहीं किया है। इस चुनौती को पार करने के लिए भारत में उद्यमी विश्वविद्यालय स्थापित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा संस्थान उद्यमियों को उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और समर्थन प्रदान करेगा।
- ➢ कौशल युक्त शिक्षा जिसे तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, व्यावसायिक या उद्योग-विशिष्ट कौशल और ज्ञान से व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होती है। इसमें प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग से स्वास्थ्य सेवा तथा हॉस्पिटैलिटी जैसे विभिन्न व्यापारों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और हैंड्स-ऑन अनुभव का जोर दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा विशेषज्ञता प्रदान करके यह व्यक्तियों को उद्योगों द्वारा मांग और आपूर्ति के बीच की कमी का सामना कराती है। भारत विस्तारित अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई उद्योग संख्या के साथ महत्त्वपूर्ण कौशल की कमी से जूझ रहा है। कई उद्योग उनके योग्य और कुशल व्यावसायिकों को खोजने में संकट का सामना कर रहे हैं। कौशल युक्त शिक्षा का प्रचार करके भारत ऐसा कार्यबल बना सकता है जो इन उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ मेल खाता है जिससे रोजगार के अवसर

और उत्पादकता में वृद्धि होती है। कौशल युक्त शिक्षा उद्यमिता और नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है। प्रैक्टिकल कौशल और ज्ञान प्रदान करके यह व्यक्तियों को अपना व्यापार शुरू करने या मौजूदा उद्यमों में योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। यह उद्यमी दृष्टिकोण, तकनीकी विशेषज्ञता के साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है तथा देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है। कौशल युक्त उद्यमी नौकरी के अवसर बना सकते हैं, नवाचार को बढ़ा सकते हैं और देश की जीडीपी में योगदान कर सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, कौशल युक्त शिक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को अधिकतम बनाती है। कौशल युक्त श्रमसाधारण के पहुंच होने से उद्योग सक्षमता से कार्य कर सकते हैं, उन्नत तकनीकों को अपना सकते हैं और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। कौशलयुक्त व्यावसायिक उद्यमी उच्चतम उत्पादन, गुणवत्ता और नवाचार में योगदान करते हैं जो उद्योगों को वैश्विक बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित होने में सहायता करता है। इसके परिणामस्वरूप, कौशल युक्त शिक्षा बाहरी निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास को प्रेरित करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौशल युक्त शिक्षा में निवेश सामाजिक उत्थान और समावेशी विकास को भी ले जाता है। आवश्यक कौशल प्रदान करके यह लोगों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और अपने समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। कौशल युक्त व्यावसायिकों को अक्सर बेहतर मजदूरी और बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं जो जीवन योग्यता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। कौशल युक्त शिक्षा के लाभों को अधिकतम करने के लिए, भारत को व्यावसायिक प्रशिक्षण ढांचा मजबूत करने, शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। छात्रों और अभिभावकों के बीच कौशल युक्त करियर के प्रति जागरूकता तथा स्वीकृति को प्रमोट करने की आवश्यकता है। स्किल इंडिया मिशन जैसी सरकारी पहलें इन चुनौतियों का सामना करने और बड़ी पैमाने पर कौशल विकास को प्रमोट करने के लिए शुरू की गई हैं।

उद्यमी शिक्षा को बढ़ाना:

- उद्यमी विश्वविद्यालय एक विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगा जो उद्यमी मनोवृत्ति, कौशल और ज्ञान को पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्यावसायिक योजना, वित्तीय प्रबंधन, विपणन रणनीति, जोखिम प्रबंधन और नेतृत्व विकास जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को शामिल करके विश्वविद्यालय छात्रों को प्रैक्टिकल उपकरणों तथा सैद्धांतिक समझ के साथ संपन्न करेगा। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भविष्य के उद्यमी सफलतापूर्वक उद्यमों का संचालन और प्रबंधित करें।

उद्यमी प्रयासों का समर्थन करना:

- उद्यम विश्वविद्यालय शिक्षा के परे जाकर संरचनाएं प्रदान करेगा जो स्टार्टअप्स को पोषण, मेंटरशिप और संसाधनों की सुविधा प्रदान करेंगी। वित्तीय संस्थानों, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजेल निवेशकों के साथ सहयोग करने के माध्यम से आवंटन के लिए पहुंच सुनिश्चित करेगी जिससे उभरते उद्यमियों को अपने विचारों को व्यावहारिक व्यवसाय विकास के लिए परिवर्तित करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इवेंट्स, सम्मेलन और मंच के माध्यम से नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगी।

अनुसंधान और नवाचार:

- शिक्षा और समर्थन के अलावा उद्यम विश्वविद्यालय अनुसंधान तथा नवाचार की एक संस्कृति को पोषित करेगा। छात्रों और अध्यापकों को प्रगतिशील विचारों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे नवीनतम प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति होगी। यह अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण न केवल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्थापना में भी मदद करेगा।

विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा प्रणाली के निर्माण में चुनौतियाँ:

- उच्च शिक्षा प्रणाली में ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के निर्माण में आने वाली चुनौतियों में भारत को कई समस्याओं का सामना करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क के सूचकों में भारत का प्रतिनिधित्व आवश्यकता को दिखाता है जिससे अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अनुपस्थिति वैश्विक औसत से पीछे है जिसे अधिक विविधता आकर्षित करने की जरूरत है। भारतीय विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों का प्रतिष्ठान वैश्विक औसत से कम है जिससे विविधता को प्रमोट करने की जरूरत है। भारत का विश्वविद्यालय अध्यापक-छात्र अनुपात स्कोर वैश्विक औसत से कम है जिससे विश्वविद्यालय में अध्यापक भर्ती और स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देश का रोजगार परिणाम स्कोर वैश्विक औसत से कम है जिससे नौकरी की आवश्यकताओं और स्नातकों के कौशलों के बीच की कमी को संधारित करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, भारत का पारदर्शिता स्कोर वैश्विक औसत से कम है जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली में पार्श्वभूमि को प्राथमिकता देने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रतिष्ठा सूचकों के संदर्भ में भारत का औसत स्कोर वैश्विक औसत के बहुत करीब रहा है।

निष्कर्ष:

भारत ने QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक-छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग की आवश्यकता, विविधता और वैश्विक संगठन को बढ़ावा देना शामिल है। यह अध्यापक-छात्र अनुपात बेहतर करने, शिक्षा को रोजगार युक्त बनाने एवं उपयोगी माहौल बनाने में मदद करेगा। अत: भारत को विविध अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय को आकर्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों की विविधता को प्रोत्साहित करने और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत के मध्य-पूर्व और अफ्रीका में दीर्घकालिक हितों में मिस्र की भूमिका का मूल्यांकन

पिछले 26 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र की यात्रा करना भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में जिस तेज गति से मध्य-पूर्व और अफ्रीका की राजनीति में बदलाव हो रहा है, उस दृष्टि से भारतीय हितों के संरक्षण के लिए मध्य-पूर्व तथा अफ्रीका की राजनीति में प्रभावी स्थान रखने वाले मिस्र के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित करना जरूरी हो गया था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र यात्रा के दौरान ही भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (सामरिक साझेदारी) के स्तर पर ले जाने की घोषणा की है। अब दोनों देश सामरिक साझेदार के रूप में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों राष्ट्रों ने इसी साल यह तय किया था कि आने वाले पांच सालों में दोनों देशों के बीच मौजूदा सात अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ा कर 12 अरब डॉलर तक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सामरिक साझेदारी के तहत दो राष्ट्र प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा तथा उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार सहयोग और उससे जुड़ी साझेदारी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो मिस्र ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान, रडार, सैन्य हेलिकॉप्टर और आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने में रुचि दिखानी शुरू की है। दशकों तक दूसरों से हथियार खरीदने वाला भारत अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण और हथियार बना रहा है। भारत 42 देशों को हथियार बेच रहा है और इस मामले में मिस्र को भी एक खरीददार के रूप में देखना चाहता है। उच्च प्रौद्योगिकी साझेदारी की बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने पीएम मोदी से इसी संदर्भ में टेलिकम्युनिकेशन, आईटी, फार्मा, वैक्सीन, उच्च शिक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मुद्दों पर भी सहयोग पर चर्चा की है।

भारत-मिस्र संबंधों की पृष्ठभूमि:

मिस्र के साथ भारत के गहराते संबंध को पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के लिए काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों ने 1955 में फ्रेंडशिप संधि पर हस्ताक्षर किए थे और भारत ने 1956 में मिस्र का स्वेज नहर संकट में साथ दिया था। 1961 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसमें भी मिस्र और भारत ने अगुआई की थी क्योंकि मिस्र तथा भारत दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। भारत जानता है कि मिस्र कई व्यापारिक चैनलों के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के वैश्विक व्यापार को दिशा देता है।

मिस्र के मंत्रिमंडल में भारतीय इकाई की स्थापना महत्त्वपूर्ण:

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून 2023 को मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचने के तुरंत बाद मिस्र के मंत्रिमंडल की "भारत इकाई" के साथ एक बैठक की। इस भारत इकाई की स्थापना इस वर्ष की शुरुआत में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी की गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा के बाद की गई थी। इस भारत इकाई की अध्यक्षता मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबौली करते हैं जिसमें कई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मैडबौली और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने भारत इकाई की विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा सहयोग के नए क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा। इस बैठक में व्यापार एवं निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, दवाओं और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई।

आतंकवाद से निपटने के लिए कार्य करेंगे भारत-मिस्र:

- भारत और मिस्र दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से निपटने के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर एकमत हुए हैं। दोनों देश मानते हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है जिसके लिए दोनों देश साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। भारत और मिस्र के बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार सम्भावनाएँ हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास परीक्षण और क्षमता निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों ने अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद से संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान-प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। उग्रवादी विचारधाराओं तथा चरमपंथ और कट्टरता को फैलाने के लिए साइबर स्पेस के दुरुपयोग को दोनों देशों ने एक बढ़ता हुआ संकट माना है।
- भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच 'अभ्यास साइक्लोन-I'

जनवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में सम्पन्न हुआ। यह सैन्याभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। इसका लक्ष्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। साइक्लोन-। अभ्यास अपनी तरह का पहला सैन्याभ्यास है जिसमें दोनों देशों के विशेष बल संयुक्त रूप से एक स्थान पर एकत्र हुये।

- दोनों देशों के उन्नत विशेष बल स्नाइपिंग, कॉम्बेट-फ्री फॉल, टोह लगाने, निगरानी करने, लक्ष्य निर्धारित करने जैसे कौशलों को साझा करने के साथ हथियारों, उपकरणों, नवाचारों, तकनीकों, रणनीतियों और प्रक्रिया सम्बंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया। इसमें हिस्सा लेने वाले सैन्यकर्मी संयुक्त रूप से योजना बनाने, युद्ध-भूमि में मुकाबला करने, आतंकी ठिकानों/कैम्पों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने और बड़े लक्ष्यों पर स्नाइपर-शूटिंग का भी अभ्यास किया।

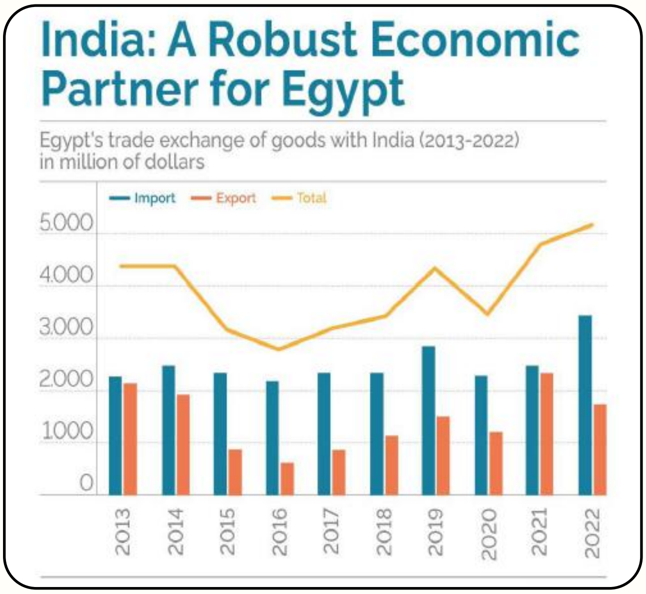

भारत-मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती से जुड़े पहलू:

- कोविड और खाद्य सहयोग ने मिस्र के साथ भारत के संबंधों को मजबूती दी है। 2021 में कोविड-19 की लहर के दौरान मिस्र ने भारत को ऑक्सीजन सिलिंडर, कंसेन्ट्रेटर और रेमडेसवीर दवाएं भेजी थीं। इसी तरह जरूरत पड़ने पर भारत ने मिस्र को मई 2022 में 61,500 टन गेहूं भेजा था। यूक्रेन में जारी जंग के कारण मिस्र में खाद्य संकट के हालात उत्पन्न हो गए थे और मिस्र (जो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है) ने भारत से सहयोग प्राप्त किया था।
- जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत और मिस्र का रुख लगभग एक जैसा ही रहा। दोनों देशों ने रूस की आलोचना से इंकार कर दिया और राजनयिक समाधान पर बल दिया। चूंकि दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य भी रहे हैं जिससे इनका दृष्टिकोण एक समान देखने को मिलता है। मिस्र ने लगातार भारत की यूएनएससी में अस्थाई सदस्यता का समर्थन किया है और अब स्थाई सदस्यता का समर्थन करने लगा है।
- भारत के लिए अक्षय उर्जा बहुत महत्त्वपूर्ण है। ग्रीन एनर्जी पर भी भारत का ध्यान है जो ऐसा क्षेत्र है, जहां मिस्र के साथ सहयोग की अच्छी संभावनाएं हैं। मिस्र भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य है। भारत चाहता है कि मिस्र भारतीय नेतृत्व वाले आपदा प्रबंधन से जुड़े संगठन कोअलिशन ऑन डिजास्टर रिजिलियेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का सदस्य बने। दोनों देशों ने ग्लोबल रिन्यूएबल हाइड्रोजन फोरम की शुरुआत का भी स्वागत किया है।
- मिस्र से भारत की मित्रता का स्तर इस बात से पता लगाया जा सकता है कि 2022 में मोहम्मद पैगंबर के बारे में भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद जब भारत को कई इस्लामिक देशों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, कई अरब देशों ने इस मामले पर असंतोष प्रकट किया था, लेकिन मिस्र ने इस दौरान कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ओआईसी में एक प्रस्ताव लेकर आया लेकिन राष्ट्रपति अल-सीसी के इसे समर्थन न करने से ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका था।
- स्वेज कनाल इकोनॉमिक जोन में बड़े स्तर पर ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश काम कर रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों की कंपनियों और प्राधिकारियों के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। मिस्र की नजर जहां भारतीय निवेश बढ़ाने पर है, वहीं भारत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। चीन और मिस्र के बीच फिलहाल 15 अरब डॉलर का व्यापार होता है। ये भारत के साथ होने वाले लगभग सात अरब डॉलर से दोगुना है। निवेश की बात करें तो वर्तमान में मिस्र में भारत का निवेश 3.15 बिलियन डॉलर है जिसे बढ़ाने की अपार संभावना है।
- खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से चीजें हासिल करने की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में भारतीय नेतृत्व मिस्र की ओर रुख कर रहा हैं, वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी चाहते हैं कि मिस्र किसी तरह से ब्रिक्स समूह में शामिल होकर इसका लाभ ले। मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य भी बन गया है। भारत ब्रिक्स समूह में चीन को संतुलित करना चाहता है और पाकिस्तान को समूह में शामिल करने की चीन की प्लानिंग पर रोक भी लगाना चाहता है। शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान की पूर्ण सदस्यता में चीन का समर्थन और भूमिका सर्वविदित है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ये संदेश दिया है कि सबसे जरूरी अरब देश मिस्र भारत का साथ दे रहा है और अल्पसंख्यकों पर सरकार की नीतियों तथा कश्मीर मुद्दों पर भी भारत को समर्थन देता रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत अपने विविध राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए मिस्र से गठजोड़ को बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग प्रबंधन, यूएन रिफॉर्म, आतंकवाद निरोधक सहयोग, मिस्र के खाड़ी देशों, अफ्रीका के साथ गठजोड़ से फायदा लेने, चीन के बेल्ट रोड पहल के प्रभाव से बचाने जैसे कई मुद्दों को ध्यान में रखकर भारत, मिस्र के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है।

लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहा भारतः आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अधिक सुधार की आवश्यकता

संदर्भः

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया जिसमें भारत को 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त हुआ है।

परिचयः

विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट लैंगिक समानता की प्रगति की समीक्षा करती है। 146 देशों में इस रिपोर्ट का सर्वे किया गया है। इन 146 देशों में भारत को 127वां स्थान दिया गया है। विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वैश्विक लैंगिक अंतराल में सुधार हुआ है।

रिपोर्ट के विषय में:

- यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों पर आधारित है:
  - आर्थिक भागीदारी तथा अवसर
  - शिक्षा का अवसर
  - स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता
  - राजनैतिक सशक्तीकरण
- यह रिपोर्ट 0 से 1 के मध्य मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है जहां 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता तथा 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता से है।
- इस रिपोर्ट का उद्देश्य आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तीकरण के आधार पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास की प्रगति का मापन करना है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के प्रमुख बिंदुः

- इस वर्ष वैश्विक लैंगिक अंतराल 68.4 अंक रहा है जो विगत वर्ष के 68.1 अंक से 0.3 अंकों के मामूली सुधार को प्रदर्शित करता है।
- 91.4 अंक के साथ आइसलैंड इस वर्ष भी सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश रहा है। ध्यातव्य है कि विगत 14 वर्षों से आइसलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा है। आइसलैंड के बाद तीन नॉर्डिक देश- नॉर्वे (87.9%), फिनलैंड (86.3%) और स्वीडन (81.5%) का स्थान है।
- वैश्विक स्तर पर आर्थिक भागीदारी तथा अवसर में लैंगिक अंतराल 60.1 प्रतिशत है, वहीं शैक्षिक अवसर पर यह 95.2 प्रतिशत, राजनैतिक अवसर में यह 22.1 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य व उत्तरजीविता में यह 96 प्रतिशत है।
- रिपोर्ट यह संदर्भित करती है कि शैक्षणिक उपलब्धि में लैंगिक समानता लाने के लिए 16 वर्ष, आर्थिक भागीदारी तथा अवसर में लैंगिक समानता लाने हेतु 169 वर्ष तथा राजनैतिक भागीदारी में लैंगिक समानता लाने में 162 वर्ष लगेंगे।
- इसी दर से लैंगिक समानता प्राप्त करने में औसतन 131 वर्ष लगेंगे। यह स्थिति लैंगिक समानता की धीमी विकास दर को प्रदर्शित करती है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 तथा भारतः

- भारत को इस वर्ष 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के 135वें स्थान से 8 स्थान ऊपर है। यह भारत में लैंगिक सुधार को प्रदर्शित करती है।
- पिछले संस्करण की तुलना में भारत की स्थिति में 1.4 प्रतिशत अंक और आठ स्थान का सुधार हुआ है।
- भारत में समग्र लैंगिक समानता 64.3 प्रतिशत है जो वैश्विक औसत से कम है।
- आर्थिक अवसर तथा भागीदारी में भारत की लैंगिक समानता मात्र 36.7 प्रतिशत है। यद्यपि भारत में महिलाओं के आय में वृद्धि हुई है, परंतु तकनीकी तथा प्रबंधकीय पदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी आई है।
- स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत में 1.9% लैंगिक अंतराल में कमी आई है अर्थात इस क्षेत्र में भारत ने लैंगिक समानता प्राप्त करने में सुधार दर्ज किया है।
- राजनैतिक सशक्तीकरण के मामले में भारत में महिलाओं की लैंगिक समानता लगभग 25.3 प्रतिशत है जो वैश्विक स्तर से बेहतर है। वर्तमान समय में भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी 15.1 प्रतिशत है तथा स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी 44.4 प्रतिशत है। ये आंकड़े भारत में राजनैतिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में लैंगिक समानता हासिल कर ली है जो देश की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक विकास को प्रदर्शित करता है।
- भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर हैं।
- भारत ने स्वास्थ्य, उत्तरजीविता तथा शैक्षणिक अवसर के मामले

में बेहतरीन प्रगति की है। हालांकि राजनैतिक सशक्तीकरण तथा आर्थिक भागीदारी व अवसर की दिशा में भारत को अभी भी प्रगति करने की आवश्यकता है।

भारत में लैंगिक समानता हेतु आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर अधिक सुधार की आवश्यकता:

आर्थिक स्थिति तथा सुधार के प्रयास:

- उत्पादक आयु समुह (15-59 वर्ष) के लिए महिला श्रम बल सहभागिता दर में 2011-12 से 2017-18 के बीच 7.8 प्रतिशत की कमी आने से यह 33.1 प्रतिशत से घटकर 25.3 प्रतिशत रह गयी।
- हालांकि महिला श्रम बल सहभागिता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इस दर की गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा तीव्र और उच्च हुई है। यह वर्ष 2011-12 के 37.8 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 26.6 प्रतिशत रही, वहीं इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में यह दर 22.2 से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गई।
- इसके साथ ही साथ विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधकीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत कम है।

राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति:

- वर्तमान समय में भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी 15.1 प्रतिशत है तथा स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी 44.4 प्रतिशत है। ये आंकड़े भारत में राजनैतिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हैं।

आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के कारक:

- भारत एक पितृसत्तामक देश रहा है। पारंपरिक स्थिति में यदि एक परिवार के पास मात्र इतना संसाधन है कि वह अपने पुत्र अथवा पुत्री में से किसी एक को शिक्षित करे तो उस परिवार की प्राथमिकता में पुत्र आएगा। प्राथमिकता के आभाव में महिलायें श्रमबल में भी पीछे रह जाती हैं।
- आधुनिक समाज में अधिकतर महिलायें उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जिस कारण इनके श्रम बाजार में होने वाले प्रवेश में विलंब हो रहा है।
- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार अवैतनिक कार्यो (केयर इकॉनमी) में महिलाओं की उच्च उत्तरदायित्व के कारण महिलायें श्रम बल में प्रवेश नहीं ले पातीं।
- निजी नियोक्ता महिलाओं को श्रम बल में प्राथमिकता नहीं देते।
- इसके अतिरिक्त देश की अर्थव्यवस्था में हुई संरचनात्मक रूपांतरण का भी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी पर गहरा प्रभाव पड़ा है जिसे नजरंदाज किया जाता रहा है। कृषि से जुड़े रोजगारों से बढ़ती दूरी एवं कृषि के उच्चतर मशीनीकरण के कारण भी श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी घटी है।
- इसके साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा शहरों में बढ़ते यौन शोषण के मामलों ने महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी प्रस्तुत करने से हतोत्साहित किया है।
- महिलाओं का राजनैतिक प्रतिनिधित्व मात्र आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए है। कई स्थानों पर महिलाएं नाममात्र के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं अर्थात उनके नाम पर महिलाओं के पति अथवा पुत्र वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करते हैं।
- स्थानीय स्वशासन में प्रधान पति जैसी अवधारणाएं महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करती हैं।
- पर्दा प्रथा, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कमजोरी तथा महिला नेतृत्व को न स्वीकारने की पुरुषवादी मानसिकता महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने में प्रमुख कारक है।

महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 तथा 16 में लैंगिक आधार पर भेद-भाव से सुरक्षा दी गई है।
- अनुच्छेद-39D महिला तथा पुरुष के समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान करता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में उचित संरक्षणात्मक प्रावधानों का समावेश किया गया है, जैसे -शिशु देख-रेख केन्द्र, शिशुओं को दूध पिलाने के लिए आवश्यक समय देना, सवेतन मातृत्व छुट्टी को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कार्मिकों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशु गृह की सुविधा, रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1948 भी बिना किसी भेद-भाव के पुरुषों एवं महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है।
- देश में महिला कामगारों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
- महिला शक्ति केन्द्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है।
- महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, महिला ई-हाट का उपाय किया गया है।

निष्कर्ष:

73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन के चुनावों में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है। 108वां संविधान संशोधन विधेयक (जिसके द्वारा विधानसभा तथा संसद की समग्र सीटों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने की बात की गई है) को लागू करना चाहिए। महिला जनप्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण का कार्य करना चाहिए जिससे वे सशक्त हो सकें। इसके अतिरिक्त महिला संगठन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाना चाहिए।

चंद्रयान-3: अंतरिक्ष में भारत की असाधारण उपलब्धि

'जब मैं 2004 में उदयपुर में एक सेमिनार के दौरान (चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण से बहुत पहले) डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम से मिला था और चंद्रमा के अन्वेषण के उद्देश्य से एक चंद्र मिशन पर चर्चा की थी, तो डॉ. कलाम ने सुझाव दिया था कि बिल्कुल क्यों न चंद्रमा पर उतरा जाए?'

डॉ. एम अन्नादुरई, मिशन चंद्रयान-1 हेतु परियोजना निदेशक

- 2009 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने कैलिफोर्निया में नासा और इसरो के वैज्ञानिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए सुझाव दिया था कि दोनों अंतरिक्ष संगठनों को चंद्रमा से पृथ्वी पर चट्टान के नमूने वापस लाने के लिए एक रोबोट उपकरण भेजना चाहिए क्योंकि इससे चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के बारे में जांच का विस्तार करने में मदद मिलेगी। डॉ. कलाम चंद्रयान-3 कार्यक्रम की अवधारणा से काफी पहले से इसके बारे में बात कर रहे थे।

सन्दर्भः

भारत के तीसरे चंद्र मिशन अर्थात चंद्रयान-3 को लॉन्च व्हीकल मार्क (LVM)-3 के रूप में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जिसमें उपग्रह ने 14 जुलाई को दोपहर 2.35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी।

- वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के आंशिक विफल होने के बाद पुनः चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का यह दूसरा प्रयास है।
- चंद्रयान-3 अपने लॉन्च के लगभग एक महीने बाद चंद्र कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। नवीनतम मिशन की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान-2 के समान है जो 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है।
- अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग भारत को सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा राष्ट्र बना देगी।

चंद्रयान-3:

- चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का दूसरा प्रयास है। चंद्रयान-2 की आंशिक विफलता के लगभग चार साल बाद चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण हुआ है।
- चंद्रयान-3 में एक प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर शामिल हैं। एक बार मॉड्यूल चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के बाद, यह चंद्रमा की सतह से 60 मील ऊपर एक गोलाकार पथ को नेविगेट करेगा। इससे पहले कि लैंडर सॉफ्ट टचडाउन के लिए अलग हो जाए, रोवर फिर 14 पृथ्वी दिनों के लिए चंद्र इलाके का पता लगाएगा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अमूल्य डेटा एकत्र करेगा।
- रोवर खतरे का पता लगाने और बचाव प्रणालियों से लैस है जो चंद्रमा की सतह का एक सुरक्षित ट्रैवर्सल (Traversal) सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त लैंडर में बाधाओं पर काबू पाकर एक सफल लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए खतरे का पता लगाने और बचाव कैमरों जैसी उन्नत विशेषताएं शामिल हैं। ये उन्नयन भारत के पिछले चंद्र मिशन चंद्रयान-2 से सीखे गए सबक के आधार पर विकसित किए गए हैं।
- लैंडर में चंद्रमा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE) है जो चंद्रमा की तापीय चालकता और तापमान पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। चंद्रमा भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण (ILSA) का उद्देश्य चंद्रमा के भूकंप का पता लगाना है जो चंद्र भूविज्ञान की हमारी समझ को और बढ़ाता है। लैंगमुइर प्रोब (Langmuir Probe) चंद्रमा के पर्यावरण में प्लाज्मा के घनत्व और भिन्नता का अनुमान लगाएगा, जबकि नासा से लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे (Laser Retroreflector Array) लेजर तकनीक का उपयोग करके सटीक दूरी के मापन को सक्षम करेगा।

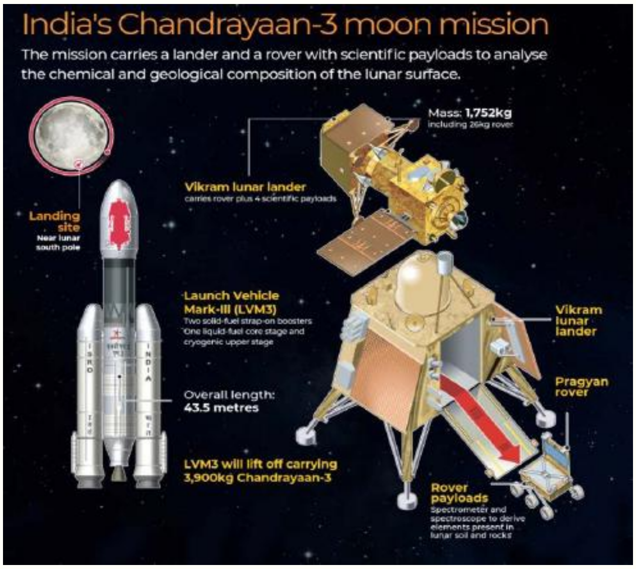

भारत के चंद्रमा मिशन का विकास:

- भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त, 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चंद्रयान-1 परियोजना की घोषणा की थी। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था।
- चंद्रयान-1 चंद्रयान कार्यक्रम के तहत पहला भारतीय चंद्र प्रोब था। इसे अक्टूबर 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा लॉन्च किया गया था और अगस्त 2009 तक संचालित किया गया था। मिशन में एक चंद्र ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर शामिल थे। भारत ने 22 अक्टूबर, 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 00:52 यूटीसी पर पीएसएलवी-एक्सएल रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा बढ़ावा था, क्योंकि भारत ने चंद्रमा का पता लगाने के लिए स्वदेशी तकनीक पर शोध और विकास किया था। चंद्रयान-1 को 8 नवंबर, 2008 को चंद्रमा के कक्षा में उतारा गया था।
- चंद्रयान-2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित दूसरा

चंद्र अन्वेषण मिशन था। इस अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई, 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से एलवीएम 3-एम 1 रॉकेट द्वारा 09:13:12 यूटीसी पर चंद्रमा के मिशन पर लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल था। मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्र सतह की संरचना में भिन्नताओं के साथ-साथ चंद्रमा की सतह पर जल के स्थान का नक्शा और उसका अध्ययन करना था।

- व्हीकल 20 अगस्त, 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया जिसने विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए कक्षीय स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ किया। लैंडर और रोवर को चंद्रमा के पास दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि लैंडर 6 सितंबर, 2019 को उतरने का प्रयास करते समय अपने इच्छित प्रक्षेपवक्र से भटक जाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसरो को सौंपी गई विफलता विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण हुई थी।

उपलब्धियां:

- 14 नवंबर, 2008 को चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाया गया मून इम्पैक्ट प्रोब (MIP) नामक एक पेलोड अलग हो गया जो नियंत्रित तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से टकरा गया। भारत तब चंद्रमा की सतह पर पानी (H2O) और हाइड्रॉक्सिल (OH) का पता लगाने से संबंधित खोज करने में सक्षम था। डेटा ने ध्रुवीय क्षेत्र की ओर उनकी बढ़ी हुई बहुतायत का भी खुलासा किया। इसमें चंद्रमा के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया गया था।

चंद्रमा मिशन का महत्त्व:

- मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्रमा के निकट और दूर दोनों पक्षों का त्रि-आयामी एटलस तैयार करना, उच्च स्थानिक संकल्प के साथ पूरे चंद्र सतह का रासायनिक और खनिज मानचित्रण करना है। चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना और चंद्रमा पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग का संचालन करना है।

इसरो द्वारा चंद्रमा पर मिशन भेजने का कारण:

- चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्रह्मांडीय पिंड है, जहां अंतरिक्ष की खोज का प्रयास किया जा सकता है। इसे भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए तथा आवश्यक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक आशाजनक परीक्षण बेड के रूप में भी वर्णित किया गया था। यह प्रौद्योगिकी की उन्नति को प्रोत्साहित करने, वैश्विक गठबंधनों को बढ़ावा देने, खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित करने में मदद करेगा।

इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता क्यों लगाना चाहता है?

- नासा का कहना है कि चरम तथा विपरीत परिस्थितियां लैंड करने, वहां रुकने और काम करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र की अनूठी विशेषताएं अभूतपूर्व गहरी अंतरिक्ष वैज्ञानिक खोजों के लिए भी आकर्षित करती हैं।
- इसने चंद्र ध्रुवीय वाष्पशील के महत्त्व को भी नोट किया। वाष्पशील एक ठोस अवस्था में रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं जो मामूली गर्म तापमान पर पिघल जाते हैं या वाष्पित हो जाते हैं तथा चंद्रमा पर पाए जा सकते हैं। अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर उनके वितरण को समझने में मदद कर सकता है। यदि उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व होते हैं, तो यह गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण तथा वाणिज्य के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह गहरे अंतरिक्ष में मनुष्यों का समर्थन करने के लिए पृथ्वी से भेजी जाने वाली आपूर्ति की मात्रा को कम कर देगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- हाल ही में भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2025 तक फिर से चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला प्रयास है। कार्यक्रम का उद्देश्य अपोलो मिशन समाप्त होने के आधी सदी बाद चंद्र कक्षा और सतह पर एक स्थायी उपस्थिति का निर्माण करना है।
- 13 सिद्धांतों का एक सेट आर्टेमिस एकॉर्ड, आर्टेमिस प्रोग्राम से निकटता से जुड़ा हुआ है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर वापस लाना, वहां एक अंतरिक्ष शिविर बनाना और गहरी अंतरिक्ष अन्वेषण करना है।
- आर्टेमिस कार्यक्रम के पहले चरण में अंतरिक्ष मिशन शामिल होंगे जो न केवल वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देंगे, बल्कि चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने और ग्रह संसाधन के वाणिज्यिक खनन की क्षमता का पता लगाने में भी शामिल होंगे।

निष्कर्ष:

- एक सफल चंद्रयान-3 मिशन भारत के वैश्विक कद को बढ़ाएगा और उद्योग के वाणिज्यिक पहलू को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचायेगा। 2020 के बाद जब से भारत ने निजी लॉन्च के लिए विकल्प दिया है, अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। पिछले साल के अंत में स्काईरूट एयरोस्पेस (जिसके निवेशकों में सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी शामिल है) ने भारत का पहला निजी रूप से निर्मित रॉकेट लॉन्च किया।
- चंद्रयान-3 का प्रमुख लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना, रोवर संचालन करना और महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक जांच करना है। इस परियोजना में अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के लिए बहुत बड़ा वादा है जिसके डेटा से नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम को लाभ होने की संभावना है जो चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने का इरादा रखता है।
- भारत ने हाल ही में नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धता का संकेत देता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए दरवाजे खोलता है जिससे अंतरिक्ष मिशनों में साझा ज्ञान और विशेषज्ञता का मार्ग प्रशस्त होता है।
- आज हम नील आर्मस्ट्रांग के उन शब्दों को याद कर सकते हैं जो उन्होंने चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बनने पर कहा था कि 'यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है।'

निर्धनता के दुष्चक्र से निकलते भारतीयः संयुक्त राष्ट्र की एमपीआई रिपोर्ट

सन्दर्भः

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), ऑक्सफोर्ड पावर्टी तथा मानव विकास पहल द्वारा सालाना प्रकाशित नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, 2005-06 और 2019-21 के बीच लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आए। एमपीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी 55.1 प्रतिशत से गिरकर 16.4 प्रतिशत हो गई

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):

- एम.पी.आई. 'स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में परस्पर जुड़े अभावों को मापता है जो किसी व्यक्ति के जीवन तथा कल्याण को सीधे प्रभावित करते हैं।'
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने न केवल गरीबी को प्रभावशाली दर से कम किया है, बल्कि भारत में सभी संकेतकों में गिरावट आई है। 'सबसे गरीब राज्यों और समूहों (जिनमें बच्चे और वंचित जाति समूहों के लोग शामिल हैं) ने सबसे तेज गति से प्रगति की है।' इसका मतलब है कि भारत ने तीनों संकेतकों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन) स्तर में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। गरीबी में गिरावट भी सभी क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों में समान रही है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

- यह विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करता है, साथ ही सबसे कम विकसित देशों को सहायता पर अधिक जोर देता है।
- इसका समग्र लक्ष्य सतत मानव विकास में योगदान देना है।
- यूएनडीपी के कार्यक्षेत्र में 4 फोकस क्षेत्र 'गरीबी में कमी, लोकतांत्रिक शासन, विधि का शासन और समावेशी संस्थान' हैं।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
- यह कानूनी और राजनीतिक संस्थानों के निर्माण तथा निजी क्षेत्र के विस्तार में मदद करने के लिए विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- यूएनडीपी एक 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है जिसकी देखरेख एक प्रशासक करता है जो महासचिव और उप-महासचिव के बाद तीसरी सबसे ऊंची रैंकिंग वाला अनौपचारिक पद है।
- यूएनडीपी 170 देशों में संचालित होता है जिसे पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है।

- भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है जिससे पता चलता है कि तेजी से प्रगति संभव है। इन देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं।
- उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में जी रहे हैं। यूएनडीपी जनसंख्या की भेद्यता पर प्रकाश डालता है जिसमें लगभग 18.7% लोग ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं जो गरीब नहीं हैं, लेकिन सभी भारित संकेतकों के 20-33.3% में वंचित हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 में भारत 142.86 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी में उल्लेखनीय कमी देखी गई जिसमें केवल 15 वर्षों की अवधि 2005-6 से 2019-21 के भीतर 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले।
- हालाँकि, COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान व्यापक डेटा की कमी के कारण तत्काल संभावनाओं का आंकलन करने में चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। हालांकि भारत में, 2005-2006 से 2019-2021 तक 415 मिलियन गरीब लोग गरीबी से बाहर निकले और यह 2005-2006 में 55.1% से गिरकर 2019-2021 में 16.4% हो गई।

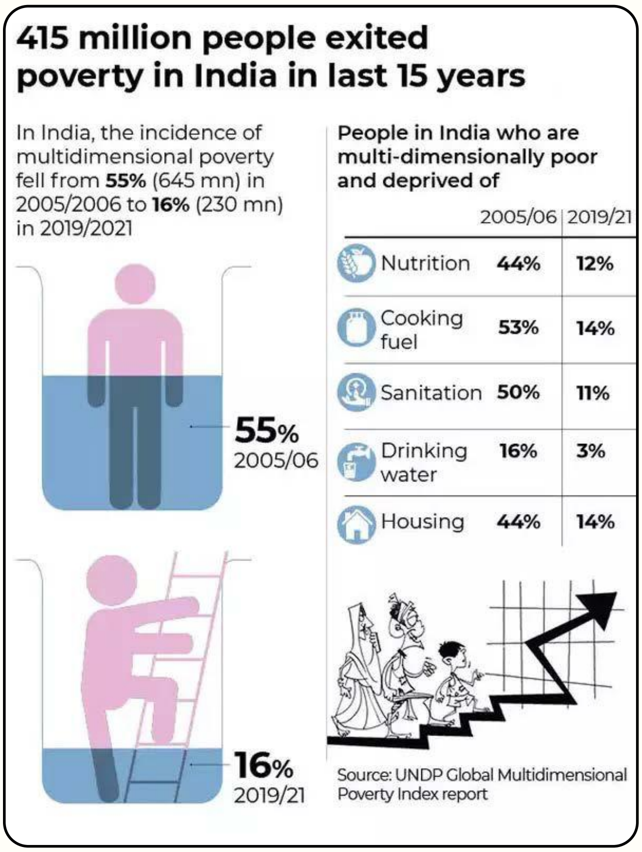

- 2005-2006 में भारत में लगभग 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में थे, वहीं 2015-2016 में यह संख्या घटकर लगभग 370 मिलियन और 2019-2021 में 230 मिलियन हो गई है।

- भारत में पोषण संकेतक के तहत बहुआयामी रूप से गरीब और वंचित लोग 2005-2006 में 44.3% से घटकर 2019-2021 में 11.8% हो गए और बाल मृत्यु दर 4.5% से गिरकर 1.5% हो गई।
- गरीब और खाना पकाने के ईंधन से वंचित लोग 52.9% से गिरकर 13.9% हो गए और स्वच्छता से वंचित लोगों की संख्या 2005-2006 में 50.4% से 2019-2021 में 11.3% रह गए।
- पेयजल संकेतक में इस अवधि के दौरान बहुआयामी रूप से गरीब और वंचित लोगों का प्रतिशत 16 से गिरकर 3 हो गया, जबकि बिजली अनुपलब्धता 29% से 2.1% और आवास अनुपलब्धता 44% से 14% हो गया।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गरीबी की विभिन्न घटनाओं वाले देशों ने अपने वैश्विक एमपीआई मूल्य को भी आधा कर दिया है, जबकि ऐसा करने वाले 17 देशों में पहली अवधि में 25% से कम थी, भारत और कांगो में शुरुआती स्तर 50% से ऊपर थी।
- भारत उन 19 देशों में शामिल था जिन्होंने एक अवधि के दौरान अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को आधा कर दिया था।

- 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 110 देशों में 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन (सिर्फ 18% से अधिक) तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। उप-सहारा अफ्रीका (534 मिलियन) और दक्षिण एशिया (389 मिलियन) में हर छह में से लगभग पांच गरीब लोग रहते हैं।
- सभी गरीब लोगों में से लगभग दो-तिहाई (730 मिलियन लोग) मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं जिससे वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए इन देशों में कार्यवाही महत्त्वपूर्ण हो जाती है। हालाँकि कम आय वाले देशों में एमपीआई में शामिल आबादी का केवल 10% हिस्सा है, लेकिन यह गरीब लोगों का 35% निवास करते हैं।
- गरीब लोगों में से आधे (566 मिलियन) 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। बच्चों में गरीबी दर 27.7% है, जबकि वयस्कों में यह 13.4% है। गरीबी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है। सभी गरीब लोगों में से 84% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व के सभी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गरीब हैं।
- हालांकि, शिक्षा जैसे आयामों में महामारी के नकारात्मक प्रभाव महत्त्वपूर्ण हैं जिसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। यह जरूरी है कि हम सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित आयामों को समझने के प्रयासों को तेज करें ताकि गरीबी में कमी लाने के लिए मजबूत डेटा संग्रह और नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता हो।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ देशों को देखते हुए जहां 2021 या 2022 में डेटा पूरी तरह से एकत्र किया गया था, उनमें मेक्सिको, मेडागास्कर, कंबोडिया, पेरू और नाइजीरिया में गरीबी में कमी की गति महामारी के दौरान बनी रही।
- कंबोडिया, पेरू और नाइजीरिया ने अपने हालिया समय में महत्त्वपूर्ण कमी दिखाई है जिससे उम्मीद जगी है कि प्रगति अभी भी संभव है। कंबोडिया में इनमें से सबसे उत्साहजनक मामला गरीबी की दर 36.7% से गिरकर 16.6% हो गई और गरीब लोगों की संख्या आधी होकर 5.6 मिलियन से 2.8 मिलियन हो गई। यह सब 7.5 वर्षों के भीतर हुआ।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक

- यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), ऑक्सफोर्ड पावर्टी और मानव विकास पहल द्वारा निर्मित एक रिपोर्ट है।
- वैश्विक एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के माध्यम से प्रत्येक घर तथा व्यक्ति की वंचित प्रोफाइल का निर्माण करता है। प्रत्येक आयाम में सभी संकेतकों को समान रूप से महत्त्व दिया जाता है।
- एमपीआई की गणना गरीबी की घटनाओं और गरीबी की औसत तीव्रता को गुणा करके की जाती है।
- एमपीआई 0 से 1 तक होता है जिसमें उच्च मान उच्च गरीबी का संकेत देते हैं।

निष्कर्ष:

"दुनिया डेटा के बाढ़ से जूझ रही है और डिजिटल विकास के अगले युग के लिए तैयार हो रही है। फिर भी हमारे पास 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से 1 बिलियन के लिए महामारी के बाद कोई स्पष्ट योजना नहीं है। वैश्विक एमपीआई की निगरानी और नीति के माध्यम से लोग अपने दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में गरीबी का अनुभव करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच से लेकर आवास, पेयजल, स्वच्छता और बिजली जैसे जीवन स्तर तक कवर किए गए आधे से अधिक देशों में, बाल गरीबी में या तो कोई सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण कमी नहीं हुई या कम से कम एक अवधि के दौरान वयस्कों की तुलना में बच्चों में एमपीआई मूल्य निम्न गति की रही। इससे पता चलता है कि बाल गरीबी एक गंभीर मुद्दा बनी रहेगी, खासकर स्कूल में उपस्थिति और अल्पपोषण के संबंध में। गरीबी सूचकांक के रूप में एमपीआई को इन अभावों को दूर करने के उद्देश्य से गरीब व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए अभावों के एक खड़े टॉवर के रूप में चित्रित किया जा सकता है।

उच्च सागर संधिः साबित हो सकती है समुद्री जैव विविधता के लिए मील का पत्थर

खुले समुद्रों की रक्षा के लिए दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि को 19 जून, 2023 को संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया। यह मानवता के लिए अहम सुदूर सागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का मानना है कि इस ऐतिहासिक संधि से अंतर्राष्ट्रीय जल और जलक्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण के विस्तार हेतु एक कानूनी ढांचा स्थापित होगा जो दुनिया के महासागरों का 60 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के उन समुद्री निकायों की रक्षा के लिए पहली 'हाई सीज ट्रिटी' पर हस्ताक्षर किए हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित हैं और दुनिया के महासागरों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं। संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसी गतिविधियों के संभावित प्रभावों से उच्च सागर की रक्षा करना है। यह समुद्र तल से खनिज एकत्र करने की प्रक्रिया के दौरान सागरों को होने वाली क्षति का ध्यान रखने के लिए जरूरी संधि है। अन्य बातों के अलावा यह संधि इस बात पर प्रतिबंध लगाएगी कि खुले समुद्र में कितनी मछली पकड़ी जा सकती है? इससे आईयूयू फिशिंग यानी अवैध, अनरेपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग की समस्या के समाधान की तरफ बढ़ा जा सकेगा। कई देश समुद्र की तलहटी में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर के निष्कर्षण (Extraction) के लिए इंटरनेशनल सीबेड (Seabed) अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद समुद्री संसाधनों का अति दोहन करने लगते हैं। इसके चलते सागरों की धारणीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सागरों में ऑक्सीजन डिप्लीटिंग जोन्स बनने लगते हैं जिससे महासागरीय जैवविविधता को अपूरणीय क्षति होती है। इसलिए उच्च सागरों का विनियमन जरूरी समझा गया है। लंबे समय से इस उच्च सागर से जुड़े मुद्दे पर राष्ट्रों में सहमतियां भी नहीं बन पाई थीं, लेकिन वर्तमान समय की चुनौतियों और सतत विकास लक्ष्यों को देखते हुए अब इसे उपेक्षित न करने वाला विषय तथा जरूरत समझा गया है।

क्या होता है उच्च समुद्र?

- उच्च समुद्र को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा महासागर के सभी हिस्सों के रूप में परिभाषित किया गया है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल या एक द्वीप समूह या देश के द्वीपसमूह में शामिल नहीं हैं। उच्च सागरीय क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर वर्ष 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने के लिये वर्ष 2018 में सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि अब दुनिया के 30 प्रतिशत महासागरों को संरक्षित क्षेत्र में लाती है, समुद्री संरक्षण में अधिक पैसा लगाती है और समुद्र में खनन के लिए नए नियम निर्धारित करती है। पहले ये जल निकाय मछली पकड़ने, नौवहन और अनुसंधान करने के लिए खुले थे जिनमें से लगभग 1 प्रतिशत जल (जिसे उच्च समुद्र भी कहा जाता है) संरक्षण में था जिससे इन जल में रहने वाले समुद्री जीवों को जलवायु परिवर्तन तथा अत्यधिक मछली पकड़ने सहित खतरों के कारण शोषण का उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता था। शिपिंग और यातायात से भी समुद्री पारितंत्र प्रभावित होता था।
- इस संधि की जरूरत को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड डेटा बुक के आंकड़ों के संदर्भ में देखा जा सकता है जिसमें कहा गया है कि लगभग 10 प्रतिशत समुद्री प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। इसके अलावा IUCN का अनुमान है कि संकटग्रस्त प्रजातियों में से 41 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित हैं, वहीं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के जो गहरे समुद्र में भविष्य की किसी भी गतिविधि को लाइसेंस देने की देखरेख करती है। उसका कहना है कि उच्च सागर संधि के आने के बाद सागरीय अन्वेषण से जुड़े मंजूरियों को वह सख्त पर्यावरणीय नियमों और निगरानी के अधीन रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च सागर क्षेत्रों का आर्थिक दोहन करने का कार्य जिम्मेदारी से किया जाए।

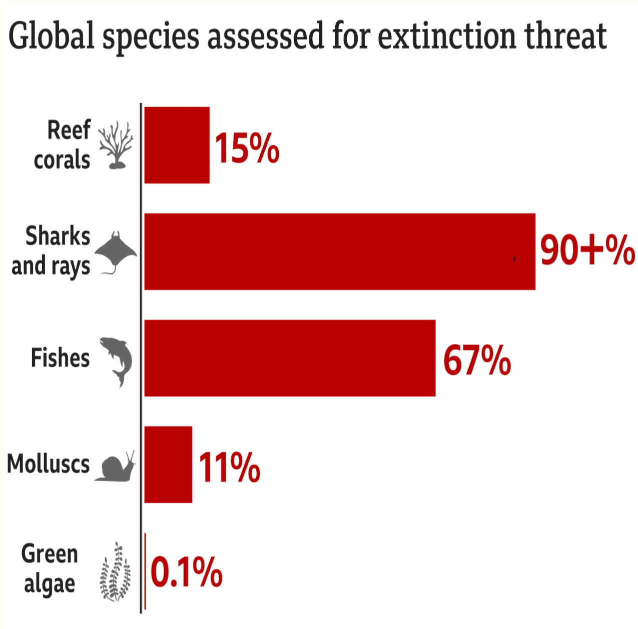

नई उच्च सागर संधि का महत्त्वः

- **उच्च सागर संधि का बाध्यकारी प्रकृतिः** नई उच्च सागर संधि सतत विकास और समावेशी विकास के लक्ष्यों से प्रेरित है। यह समुद्री पर्यावरण संरक्षण को एक वैश्विक मिशन या आंदोलन बनाने की दिशा में कार्यवाही हेतु लाई गई है। इस संधि का महत्त्व इस बात में है कि विश्व के 193 देश जिन्होंने इसे अंगीकृत किया है, वह इसे एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी समुद्री जैव विविधता

समझौते के रूप में देखेंगे और अपने पर्यावरणीय दायित्वों से पीछे हटने की कोशिश नहीं करेंगे। पर्यावरणीय मामलों में वैधानिक रूप से बाध्यकारी संधि या समझौता हो पाना मुश्किल रहा है। राष्ट्रों के बीच अपने अलग-अलग हितों और चिंताओं को लेकर सहमति भी नहीं बन पाती रही है, लेकिन उच्च सागर संधि में बनी सहमति इस बात का साक्ष्य है कि आज राष्ट्र महासागरीय संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। सबसे प्रमुख बात यह भी है कि हर राष्ट्र की अपनी राष्ट्रीय व तटीय सीमाएं हैं, इसलिए उन तटीय सीमाओं के बाहर भी सागरों को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रों की कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समुद्री व्यापारिक मार्ग राष्ट्रों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं तथा सागरीय मत्स्य संसाधन खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, तब राष्ट्रों का भी यह दायित्व बनता है कि वे केवल अपने ही क्षेत्रीय जल का संरक्षण करने पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल यानी इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर की सुरक्षा पर भी ध्यान दें।

भारत धारणीय मत्स्यन प्रबंधन पर फोकस्ड

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के तत्वावधान में 2 नवम्बर, 2022 को गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अविनियमित (IUU) मत्स्य पालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) वैश्विक आबादी के लगभग 35 प्रतिशत के लिए एक जीवन रेखा है। मछली और मत्स्य पालन में खाद्य सुरक्षा श्रृंखला के महत्त्वपूर्ण घटक शामिल हैं। ये राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। आईयूयू मछली पकड़ने की गतिविधियों से टिकाऊ मत्स्य पालन कार्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो आईओआर के तटवर्ती इलाकों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। इसी के अनुरूप सितम्बर 2018 में स्थापित समुद्री सुरक्षा और बचाव पर आईओआरए कार्य समूह (WGMSS) द्वारा अधिक सहयोग के क्षेत्र के रूप में इसकी पहचान की गई थी। डब्ल्यूजीएमएसएस की अध्यक्षता वर्तमान में श्रीलंका द्वारा की जा रही है जो आईओआरए कार्य योजना 2017-21 को आगे बढ़ा रही है जिसका आईओआरए सदस्य देशों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।
- महासागरों को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचाने के लिए भी उच्च सागर संधि का महत्त्व है। आज जिस गति से महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, उससे कई प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ गई है। आर्कटिक और अंटार्कटिक के ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिनके संरक्षण के लिए भी सकारात्मक हस्तक्षेप जरूरी है।

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर पर्यावरण संरक्षण पर बल:

- नई उच्च सागर संधि को 'मरीन बायोडायवर्सिटी ऑफ एरियाज बियोंड नेशनल जूरिडिक्शन' पर अंतर सरकारी सम्मेलन में अंगीकृत किया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि राष्ट्रों को केवल अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्रों और उससे जुड़े अतिक्रमणों या चुनौतियों के बारे में ही विचार नहीं करना चाहिए, केवल अपनी तटरेखा को ही सुदृढ़ करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मानवता के हित में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के भी कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

सागरीय पर्यावरणीय मूल्यों की सुरक्षा को बढ़ावा:

- उच्च सागर संधि को अंगीकार करने वाली बैठक में कहा गया है कि समुद्री पर्यावरण का जिम्मेदार इस्तेमाल तथा समुद्री पारितंत्रों की अखंडता अथवा उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना, समुद्री जैव विविधता के मूल्यों को संरक्षित करना न केवल एक आवश्यकता है बल्कि यह एक पर्यावरणीय मूल्य भी है। इसीलिए इस नये कानून में 75 अनुच्छेद रखे गए हैं जो महासागरों के विभिन्न हिस्सों को सुरक्षित करने का आवाहन करते हैं।

उच्च सागर संधि सागरों की स्वच्छता के लिए जरूरी:

- उच्च सागर संधि सागरों की स्वच्छता के लक्ष्य से भी प्रेरित है। आज जहरीले अथवा विषाक्त रसायन और लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट तटीय पारितंत्रों को नष्ट कर रहे हैं, मछलियों, समुद्री कछुआ, समुद्री पक्षियों, समुद्री स्तनपाई जीव और अकशेरुकी जीवों को नष्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट को देखें तो उसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 में 17 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक दुनिया के महासागरों में प्रवेश कर चुका है जिसके 2040 तक प्रतिवर्ष दोगुना या तिगुना होने की संभावना व्यक्त की गई है। यूएन का आंकड़ा और साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का लिविंग ब्लू प्लेनेट रिपोर्ट भी कहता है कि 2050 तक सागर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। सागर में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कार्यवाही करनी आवश्यक थी, इसलिए उच्च सागर संधि लाई गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि उच्च सागर संधि की महत्ता इस बात में भी है कि यह धारणीय मत्स्यन को बढ़ावा देता है। यूनाइटेड नेशंस पहले ही कह चुका है कि एक तिहाई से अधिक ग्लोबल फिश स्टॉक्स अति दोहन का शिकार हैं। आज टूना, सारडाईन और सीफूड के रूप में प्रयुक्त होने वाली मछलियां बड़े पैमाने पर अति दोहन का शिकार हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यवाही के रूप में ऐसी संधियों का औचित्य स्वयंसिद्ध है।

1. केंद्र सरकार ने 'रिपोर्ट फिश डिजीज' ऐप किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन तथा डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने एक एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल ऐप 'रिपोर्ट फिश डिजीज' लॉन्च किया जो किसानों को जिला मत्स्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में मदद करेगा। यह ऐप उन किसानों को कम समय में कुशल तरीके से विशेषज्ञों तक पहुंचने में मदद करेगा जो मछली की बीमारियों की समस्या का सामना करते हैं जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था या रिपोर्ट नहीं की जाती थी।

रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप के बारे में:

- ऐप को आईसीएआर-एनबीएफजीआर द्वारा जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) के तहत विकसित किया गया है जो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत वित्त पोषित है।
- यह किसान-आधारित रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करेगा और देश में जलीय पशु रोगों की रिपोर्टिंग में सुधार करेगा।

ऐप के क्या लाभ हैं?

- इससे किसानों को अपने खेतों में फिनफिश, झींगा और मोलस्क में होने वाली बीमारियों की घटनाओं के बारे में फील्ड स्तर के अधिकारियों तथा मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी।
- इससे किसानों को रोग के कुशल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- बीमारियों से संबंधित डेटा को अस्थायी और स्थानिक पैमाने पर संग्रहीत किया जाएगा जिसका उपयोग रोग के मामलों की मैपिंग के लिए किया जा सकता है।
- यह किसानों को किसान-आधारित रिपोर्टिंग में सुधार करने, वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता करेगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के बारे में:

- यह देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है जिसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
- पीएमएमएसवाई को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे तथा विपणन तक मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महत्त्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना तथा मजबूत करना, ट्रेसबिलिटी को बढ़ाने के साथ ही एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है।

योजना के उद्देश्य क्या हैं?

- इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाने की है।
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये करना।
- मछुआरों और मछली पालकों की आय दोगुनी करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 20-25% से कम करना।

आईसीएआर-एनबीएफजीआर (नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज):

- आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (ICAR-NBFGR) की स्थापना दिसंबर 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में देश के मछली जर्मप्लाज्म संसाधनों के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान करने के लिए इलाहाबाद में की गई थी।
- संस्थान का दृष्टिकोण बौद्धिक संपदा संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और भावी पीढ़ी के लिए मछली आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यांकन व संरक्षण करना है।

आगे की राह:

किसान और हितधारक इस ऐप के माध्यम से अपने खेतों की फिनिश, झींगा और मोलस्क की बीमारियों की स्वयं-रिपोर्टिंग कर सकते हैं जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा किसानों को इस ऐप के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

2. कैबिनेट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) विधेयक 2023 को मंजूरी दी है जो देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एनआरएफ को एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित करेगा। यह विधेयक इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि मौजूदा कानूनों ने निजी अनुसंधान संगठनों के लिए एनआरएफ जैसे फंडिंग निकाय में योगदान करना जटिल बना दिया है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

1. NRF की स्थापना:

- एनआरएफ विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यह शीर्ष संस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीति प्रदान करेगी। अगले पांच वर्षों (2023-2028) में एनआरएफ की स्थापना और संचालन की अनुमानित लागत रु.

50,000 करोड़ होगी।

2. प्रशासनिक विभाग एवं संचालक मंडल:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा जिसे एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित किया जाएगा जिसमें विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित शोधकर्ता तथा पेशेवर शामिल होंगे।
- चूँकि एनआरएफ का दायरा व्यापक रूप से सभी मंत्रालयों को प्रभावित करता है, इसलिए प्रधानमंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री व केंद्रीय शिक्षामंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
- एनआरएफ का कार्य भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

3. सहयोग एवं सहभागिता:

- एनआरएफ उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा। यह वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों, राज्य सरकारों की भागीदारी तथा इसके योगदान के लिए एक इंटरफेस तंत्र भी तैयार करेगा।
- यह नीतिगत ढांचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग द्वारा सहयोग और बढ़े हुए खर्च को प्रोत्साहित कर सकता है।

4. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का निरसन:

- एनआरएफ विधेयक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) को भी हटा देगा जिसका गठन 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। एसईआरबी को एनआरएफ में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें एक व्यापक जनादेश होगा तथा एसईआरबी के अलावा अन्य महानुभाव भी शामिल होंगे।

NRF का महत्त्व:

- **विज्ञान निधि का लोकतंत्रीकरण:** एनआरएफ परिधीय, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्त पोषण पर जोर देगा जिन्हें पहले विज्ञान परियोजनाओं के लिए वित्त प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
- **भारतीय समाज की समस्याओं का समाधान खोजना:** एनआरएफ न केवल प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में, बल्कि सामाजिक विज्ञान, कला तथा मानविकी में भी अनुसंधान को बढ़ावा देगा।
- **एक कुशल और एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना:** सुपरकंप्यूटर मिशन या क्वांटम मिशन जैसे मिशनों के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करेगा।

आगे की राह:

अनुसंधान वित्तपोषण के लोकतंत्रीकरण के साथ-साथ भारतीय समाज के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के समाधान की पहचान करने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता थी क्योंकि मौजूदा नियमों ने निजी अनुसंधान निकायों के लिए वित्त पोषण संगठन में योगदान करना मुश्किल बना दिया था। एनआरएफ के आने से इन सभी प्रकार की चुनौतियों से समाधान मिलने की संभावना है।

3. क्रिटिकल मिनरल्स पर पहली रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय ने 'भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स' पर देश की पहली रिपोर्ट जारी किया। यह पहली बार है कि भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की विस्तृत सूची की पहचान की है।

क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं?

- क्रिटिकल मिनरल्स एक धात्विक या गैर-धात्विक तत्व होता है जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है जैसे-तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ के पृथ्वी तत्व आदि।
- इनका उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फाइबर-ऑप्टिक केबल, सेमीकंडक्टर, बैंकनोट, रक्षा, एयरोस्पेस और चिकित्सा अनुप्रयोगों सहित उन्नत तकनीकों के निर्माण के लिए किया जाता है। इनमें से कई का उपयोग कम-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन, सौर पैनल और रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है।
- प्रत्येक देश अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए विशेष खनिजों के सापेक्ष महत्त्व और आपूर्ति जोखिमों के रणनीतिक मूल्यांकन के आधार पर क्रिटिकल मिनरल्स की अपनी सूची को विकसित करते हैं।

भारत के लिए सामरिक महत्त्व:

- सरकार के बढ़ते दबाव के कारण भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है। भारत के 'मेक इन इंडिया' और 'स्मार्ट सिटी' कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 100 गीगावॉट लक्ष्य, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए त्वरित विकास आदि देश में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग को बढ़ाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान भारत 14 विकसित देशों के अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) में शामिल हो गया। भारत एकमात्र ऐसा विकासशील देश है जो क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए जून 2022 में स्थापित एलीट क्रिटिकल मिनरल्स क्लब का हिस्सा बना है।
- इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स परियोजनाओं में निवेश करके क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए।

आगे की राह:

क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट का जारी होना खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की खोज में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह सूची उन खनिजों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन की गई है जो उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन तथा रक्षा जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए

आवश्यक हैं। यह सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्धारण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करेगी। यह पहल एक मजबूत और लचीला खनिज क्षेत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत के लिए 'नेट जीरो' लक्ष्य प्राप्त करने के बड़े दृष्टिकोण के अनुरूप है।

4. निर्भया फंड से सरकार ने शुरू की गर्भवती नाबालिग पीड़िताओं हेतु योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हुई नाबालिग (Minor) पीड़िताओं को बहुआयामी सहायता के लिए एक योजना की घोषणा की गई है।

योजना के प्रमुख प्रावधान:

- योजना का संचालन निर्भया फंड के माध्यम से किया जाएगा। निर्भया फंड का इस्तेमाल पीड़ितों को कानूनी सहायता, वित्तीय चिकित्सीय एवं बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही आश्रय एवं भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी।
- आवंटित धनराशि- 74.10 करोड़ रुपये।
- नाबालिग पीड़िता एवं नवजात शिशु को न्याय प्रदान करने तथा पुनर्वास तक पहुंच स्थापित करने हेतु बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।
- **पात्रता**- 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता जो कि पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों के अनुसार बलात्कार या इस तरह के हमले के कारण गर्भवती हो जाती हैं, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- **योजना प्रारंभ करने का कारण:** एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पोक्सो एक्ट के तहत 2021 में 51853 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 99% मामले लड़कियों से संबंधित थे तथा 64% मामले गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित थे।
- **क्रियान्वयन का माध्यम:** इसमें राज्य सरकार एवं बाल देखभाल संस्थान का सहयोग लिया जाएगा, साथ ही मिशन वात्सल्य प्रशासनिक संरचना का उपयोग भी किया जाएगा।
- **एनसीआरबी:** एनसीआरबी के द्वारा अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाता है।
- **निर्भया फंड:** दिल्ली में घटित घटना के बाद 2013 में स्थापना।
- **उद्देश्य:** बलात्कार पीड़ितों की सहायता करना एवं उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना। निर्भया फंड के अंतर्गत निम्नलिखित योजना शुरू की गई है:
  - वन स्टॉप सेंटर स्कीम।
  - केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि।
  - महिला पुलिस वालंटियर।

मिशन वात्सल्य:

- यह बच्चों के विकास एवं सुरक्षा पर आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है।
- बाल देखभाल संस्थाओं का निर्माण किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किया गया है।

अपराध को रोकने हेतु किए गए प्रयास:

- **वन स्टॉप सेंटर:** किसी भी परिस्थिति में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता या परामर्श जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है।
- **धारा-376:** धारा-376 के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है तथा दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की कैद होती है।
- **विशाखा गाइडलाइन:** कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन-उत्पीड़न के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश।
- वर्तमान में 415 पोक्सो फास्ट ट्रैक अदालतें नाबालिग पीड़ितों को न्याय देने के लिए कार्य कर रही हैं।

आगे की राह:

इस योजना के माध्यम से नाबालिक पीड़ितों को तात्कालिक सहायता मिलेगी, लेकिन यौन अपराधों को समाप्त करने हेतु समस्त पारिस्थितिकी-तंत्र में सुधार करना होगा तभी इस प्रकार के जघन्य अपराधों को कम किया जा सकेगा।

5. प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0

चर्चा में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) पर एक रिपोर्ट जारी की।

श्रेणियाँ और डोमेन:

- 2021-22 के लिए पीजीआई 2.0 ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दस ग्रेडों में वर्गीकृत किया है जिसमें उच्चतम प्राप्य ग्रेड दक्ष है जो कुल 1000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को दिया जाता है।
- सबसे निचला ग्रेड आकांक्षी है जो 460 तक के स्कोर को दिया जाता है। पीजीआई 2.0 संरचना में 73 संकेतकों में 1000 अंक शामिल हैं जिन्हें 2 श्रेणियों 'परिणाम (Outcomes), शासन प्रबंधन (Governance Management -GM)' में बांटा गया है।
- इन श्रेणियों को आगे 6 डोमेन में विभाजित किया गया है:
  1. सीखने के परिणाम Learning Outcomes (LO)
  2. पहुंच Access (A)
  3. बुनियादी ढांचा और सुविधाएं Infrastructure & Facilities (IF)
  4. इक्विटी Equity (E)
  5. शासन प्रक्रिया Governance Process (GP)
  6. शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण A Teachers Education and Training (TE&T)

2021-22 पीजीआई संरचना में बदलाव:

- इस अवधि के दौरान पीजीआई-राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कई संकेतक समाप्त हुए हैं जो अनावश्यक हो गए थे। इसके अलावा पीजीआई-राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संरचना गुणवत्ता संकेतकों के

बजाय, शासन प्रक्रियाओं से संबंधित संकेतकों पर अधिक फोकस करती है। इसलिए, 2021-22 के लिए पीजीआई-राज्य संरचना को संशोधित किया गया है जिसका नाम बदलकर पीजीआई 2.0 कर दिया गया है।

- पीजीआई 2.0 में कई संकेतकों के लिए डेटा स्रोत यूडीआईएसई+ (UDISE+) डेटा रहा है जिसमें एकरूपता और बेहतर तुलनीयता के लिए ग्रेड को पीजीआई जिले के साथ संरेखित किया गया है।

पीजीआई 2.0 लॉन्च करने का कारण:

- गुणवत्ता संकेतकों के साथ अधिक अद्यतन आधार प्राप्त करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की नई पहलों के साथ तालमेल बिठाना।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लक्ष्य-4 से संबंधित संकेतकों की निगरानी करना।
- मौजूदा संकेतकों को प्रतिस्थापित करना जिन्होंने उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

पीजीआई 2.0 की मुख्य बातें:

- किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं किया है।
- सीखने के परिणामों (LEARNING OUTCOMES) के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान हैं, जबकि कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण (Teachers Education and Training (TE&T) के लिए शीर्ष ग्रेड हासिल नहीं कर सका।
- 2019-20 में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल सूचकांक में शीर्ष पर रहे, जबकि कोविड अवधि (2020-21) के दौरान सूचकांक में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में दर्ज किया गया।
- पंजाब और चंडीगढ़ को छठी कक्षा (प्रचेस्टा- 2) में जगह मिली है, जबकि छह राज्य सातवीं कक्षा (प्रचेस्टा-3) में जगह बनाये हैं।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम हैं।
- अंतर-राज्यीय असमानता को उजागर करते हुए, 2021-22 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम स्कोर क्रमशः 659.01 और 420.64 हैं।
- 23.8% का विचलन दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों को शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे।
- 2017-18 में यह असमानता 51% थी जो दर्शाती है कि पीजीआई ने पिछले कुछ वर्षों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रदर्शन अंतर को कम करने में भी मदद की है।

आगे की राह:

पीजीआई-2.0 रिपोर्ट से राज्य शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर अंतराल की पहचान करने और हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर विकेंद्रीकृत तरीके से प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता मिलने की उम्मीद है जिससे सभी जिले उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने और समग्र शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं।

6. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 की जांच करने के लिए नियुक्त संसदीय समिति ने संशोधन विधेयक को पूरी तरह से अपनी सहमति दे दी है।

पृष्ठभूमि:

- स्वतंत्रता के बाद, वन भूमि के विशाल हिस्से को आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में नामित किया गया। भारतीय वन अधिनियम, 1927 लकड़ी और अन्य वन संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्य से बनाया गया था।
- 1976 में वनों को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची-III (समवर्ती सूची) में शामिल किया गया था। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया था।
- 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पेड़ों की कटाई को निलंबित कर दिया और फैसला सुनाया कि एफसी अधिनियम उन सभी भूमि पार्सल पर लागू होगा जो या तो दर्ज थे या जंगल से मिलते जुलते थे।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बारे में:

- वन (संरक्षण) अधिनियम 25 अक्टूबर, 1980 को पारित किया गया था। इसमें वन संरक्षण और उससे संबंधित मामलों से संबंधित नियम शामिल हैं।
- **वनों के आरक्षण पर प्रतिबंध-** कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के लिए परिवर्तित नहीं करेगा। गैर-वन उद्देश्यों में बागवानी फसलों की खेती के लिए या पुनर्वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग शामिल है।
- **अपील-** राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति एनजीटी अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है।
- **सलाहकार समिति-** केंद्र सरकार एक समिति का गठन कर सकती है जिसमें सरकार को सलाह देने के लिए उतने व्यक्ति शामिल होंगे, जितने वह उचित समझे।
- **नियम बनाने की शक्ति-** केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 के बारे में:

- **अधिनियम के दायरे में भूमि:** विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करता है ताकि इसे कुछ प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सके। इनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या 1980 अधिनियम लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में अधिसूचित भूमि शामिल है।
- यह अधिनियम 12 दिसंबर, 1996 से पहले गैर-वन उपयोग में

परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा।

- **भूमि की छूट वाली श्रेणियाँ:** इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।
- **वन भूमि का आवंटन/पट्टा:** राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। विधेयक में यह शर्त सभी संस्थाओं पर लागू की गई है जिनमें सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाएँ भी शामिल हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि पूर्व अनुमोदन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन हो।

वन भूमि में अनुमत गतिविधियाँ:

- अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो जंगलों में की जा सकती हैं, जैसे-चेक पोस्ट, बाड़ लगाना और पुल स्थापित करना। विधेयक चिड़ियाघर, सफारी और इको-पर्यटन सुविधाएं चलाने की भी अनुमति देता है।
- यह अधिनियम वनों के गैर-आरक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ऐसे प्रतिबंध केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं।

आगे की राह :

मानव निर्मित वृक्षारोपण के विपरीत, प्राकृतिक वन कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं जो लाखों प्रजातियों के अस्तित्व और कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यह कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है और 2070 तक उत्सर्जन के मामले में 'शुद्ध शून्य' होने की भारत की महत्त्वाकांक्षा में सहायता कर सकता है।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स की अपील को किया खारिज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स (PIH) द्वारा 2021 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया जिसने कंपनी को आलू की किस्म (FL-2027) के लिए दिए गए प्लांट वेरिएटल प्रोटेक्शन (PVP) प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था।

पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण (पीपीवी एंड एफआर) अधिनियम, 2001:

- यह कानून पादप प्रजनन गतिविधि में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है तथा टीआरआईपी (TRIP) को इस तरह से लागू करने का भी प्रावधान करता है जो निजी, सार्वजनिक क्षेत्रों और अनुसंधान संस्थानों सहित सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों का समर्थन करता है।

पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के उद्देश्य:

- पौधों की किस्मों, किसानों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना जो पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- नई पौधों की किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और उपलब्ध कराने में किसी भी समय किए गए योगदान के संबंध में किसानों के अधिकारों की रक्षा करना।
- देश के कृषि विकास में तेजी लाने के लिए पौधा प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना, पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।
- देश में बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

अधिनियम के तहत अधिकार:

- **प्रजनकों के अधिकार:** प्रजनकों के पास संरक्षित किस्म का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने का विशेष अधिकार होगा। वह ब्रीडर एजेंट/लाइसेंसधारी को नियुक्त कर सकता है और अधिकारों के उल्लंघन के मामले में नागरिक उपचार के लिए आवेदन कर सकता है।
- **शोधकर्ताओं के अधिकार:** शोधकर्ता प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए अधिनियम के तहत किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकता है। इसमें किसी अन्य किस्म को विकसित करने के उद्देश्य से किस्म के प्रारंभिक स्रोत के रूप में एक किस्म का उपयोग शामिल है, लेकिन बार-बार उपयोग के लिए पंजीकृत प्रजनक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

किसानों के अधिकार:

- एक किसान जिसने नई किस्म विकसित की है, वह किसी किस्म के प्रजनक की तरह ही पंजीकरण और सुरक्षा का हकदार है।
- किसानों की किस्म को भी मौजूदा किस्म के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- एक किसान पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के तहत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपने कृषि उत्पाद को बचा सकता है, उपयोग कर सकता है, दोबारा बुवाई कर सकता है, जानकारी आदान-प्रदान कर सकता है या बेच सकता है, बशर्ते किसान इसके तहत संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज बेचने का हकदार नहीं होगा।
- किसान भूमि प्रजातियों और आर्थिक पौधों के जंगली रिश्तेदारों के पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मान्यता और पुरस्कार के पात्र हैं।
- अधिनियम, 2001 की धारा-39(2) के तहत किस्म का अच्छा प्रदर्शन न करने पर किसानों को मुआवजे का भी प्रावधान है।
- किसान अधिनियम के तहत प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही में कोई शुल्क देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1. भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने 23वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ईरान आधिकारिक तौर पर नौवें सदस्य देश के रूप में एससीओ में शामिल हुआ। इस दौरान सदस्य देशों ने एक स्वर में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन और वैश्विक संगठनों में सुधार का आह्वान किया।

23वें शिखर सम्मेलन की प्रमुख बिंदु:

- एससीओ ने ईरान को अपने नौवें सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया।
- **नई दिल्ली घोषणा:** एससीओ शिखर सम्मेलन के प्रमुख उदेश्यों में से एक नई दिल्ली घोषणा हुई।
- घोषणापत्र में पांच संयुक्त प्रस्तावों 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, कट्टरपंथ से मुक्ति, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थायी जीवन शैली, बाजरा का उत्पादन और डिजिटल परिवर्तन' को शामिल किया गया।
- घोषणापत्र में कई वैश्विक चुनौतियों को भी सूचीबद्ध किया गया जिनमें नए और उभरते संघर्ष, बाजारों में अशांति, आपूर्ति श्रृंखला अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन तथा COVID-19 महामारी के प्रभाव शामिल हैं।
- **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव:** भारत ने एक बार फिर चीन की महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) योजना का समर्थन करने से इंकार कर दिया जिसमें बड़े बुनियादी ढांचे के खर्च के साथ चीन को एशिया, यूरोप और उससे आगे जोड़ने के लिए पुराने सिल्क रोड के पुनर्निर्माण की कल्पना की गई है।
- शंघाई सहयोग संगठन में भारत एकमात्र देश था जिसने इस परियोजना का समर्थन नहीं किया।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं।
- बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम ने जोर देकर कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो गंभीर मामलों पर दोहरे मानदंडों को अपनाते हैं।
- चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की सूची को अवरुद्ध करता रहा है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में:

- शंघाई सहयोग संगठन एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई में हुई थी।
- एससीओ में वर्तमान में 9 सदस्य देश (चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान) शामिल हैं, जबकि पर्यवेक्षक के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया शामिल हैं।
- 2021 में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में ईरान को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

ईरान की सदस्यता का महत्त्व:

- एससीओ का ध्यान ईरान के चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं के साथ जुड़कर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की ओर स्थानांतरित हुआ है।
- एससीओ में ईरान की उपस्थिति पाकिस्तान को दरकिनार करने के भारत के प्रयासों के लिए समर्थन सुनिश्चित करती है और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करती है।
- इसके अतिरिक्त ईरान के शामिल होने से भारत, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में उलझे बिना इस क्षेत्र से जुड़ने में सक्षम होगा।
- भारत का ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद के बारे में ईरान की साझा चिंताएं तथा आतंक की सुरक्षित पनाहगाहों के खिलाफ कार्यवाही के लिए भारत के आह्वान को मजबूती देंगी।

आगे की राह:

एससीओ में ईरान का शामिल होना अवसर और चुनौतियाँ दोनों लाएगा। ईरान भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं का समर्थन करता है, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करता है तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार का समर्थन करता रहा है।

2. पूर्वी अफ्रीका और ग्रेट लेक्स क्षेत्र में 2023 में 11.7 मिलियन लोग विस्थापित हुए: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पूर्वी और हॉर्न ऑफ अफ्रीकी तथा ग्रेट लेक्स (EHAGL) क्षेत्र को बड़ी संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDP) का घर माना गया। 31 मार्च 2023 तक इस क्षेत्र में लगभग 11.71 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे थे। विस्थापन के जटिल कारकों में बाढ़, सूखा, संघर्ष, हिंसा और अन्य प्राकृतिक

आपदायें शामिल हैं।

रिपोर्ट से सम्बंधित प्रमुख बिंदु:

- बुरुंडी, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान में आईडीपी की संख्या क्रमशः 75,300, 2.73 मिलियन, 3 मिलियन, 2.23 मिलियन से अधिक और 3.7 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था।
- पूर्वी अफ्रीका के बुरुंडी में अधिकांश विस्थापन हिंसक हवाओं, मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण हुए। तांगानिका झील के तेजी से बढ़ने के कारण देश में 84 प्रतिशत से अधिक आंतरिक प्रवासन हुआ। बुरुंडी विश्व स्तर पर 20 सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देशों में से एक है।
- सोमालिया में आंतरिक विस्थापन संघर्ष/असुरक्षा (52%), सूखा (31%) और बाढ़ (16%) से जुड़ा था। लास कानूड जिले में केंद्रित सशस्त्र संघर्ष के बाद सोमालिया के सूल क्षेत्र से अनुमानित 190,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। गेडो क्षेत्र में बाढ़ से सबसे अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
- दक्षिण सूडान में लगभग 150,000 व्यक्तियों को जनवरी से मार्च 2023 के बीच संघर्ष और अंतर-सांप्रदायिक हिंसा के कारण जबरन विस्थापित किया गया था। दक्षिण सूडान में शुष्क मौसम (दिसंबर-मई) के आगमन से विभिन्न संघर्षों के साथ-साथ मवेशी चराने और छापेमारी में लगे अभिकर्ताओं की गतिशीलता में वृद्धि के कारण देश में जबरन विस्थापन बढ़ गया है।
- सूडान में आंतरिक विस्थापन मुख्य रूप से 2004 से दारफुर में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के कारण हुआ है। विश्व स्तर पर सूडान उन 20 देशों में से एक है जो उच्च बाढ़ आवृत्ति से होने वाले नुकसान के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

यूएनएचसीआर की प्रतिक्रिया:

- वर्ष 2023 में ईएचएजीएल क्षेत्र में 135,000 लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।
- यूएनएचसीआर ने 2023 में इस क्षेत्र के लिए 2.021 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट रखा है जिसमें इस क्षेत्र के 11 देशों में से चार (बुरुंडी, इथियोपिया, सोमालिया और सूडान) पर विशेष जोर दिया गया है।
- इन क्षेत्रों में शरणार्थी समस्या को कम करने हेतु यूएनएचसीआर 'पॉकेट्स ऑफ होप' तथा 'स्टेटस-ब्लाइंड' जैसी पहल चला रहा है ताकि शरणार्थियों की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR):

- यह एक वैश्विक संगठन है जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों को छोड़ने को मजबूर लोगों के जीवन को बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1950 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाखों लोगों की मदद करने के लिए की गई थी। वर्तमान समय में यह 135 देशों में काम करता है। यह संघर्ष और उत्पीड़न से भागने को मजबूर लोगों को आश्रय, भोजन, पानी तथा चिकित्सा देखभाल सहित जीवन रक्षक सहायता प्रदान करता है।

आगे की राह:

अफ्रीका के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में यूएनएचसीआर द्वारा चलाये जा रहे मानवतापूर्ण कार्य सराहनीय है। सर्वविदित है कि ऐसे कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता आवश्यक होती है, अतः विश्व समुदाय को यूएनएचसीआर की हर संभव मदद करनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को मुख्य मानवीय जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े।

3. पैंगोंग त्सो झील के निकट निर्माण कार्य में आई तेजी

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख तथा पश्चिमी तिब्बत में पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लायी है। चीन इस झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण कर रहा है, जबकि भारत उत्तरी तट के किनारे पर एक ब्लैक-टॉप सड़क का निर्माण कर रहा है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा:

- भारत और चीन के बीच विवादित सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में भी जाना जाता है। यह तीन क्षेत्रों पश्चिमी, मध्य और पूर्वी में विभाजित है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में एलएसी की सटीक स्थिति पर असहमत हैं। भारत का दावा है कि एलएसी 3,488 किमी लंबी है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 किमी मानता है।

पैंगोंग त्सो झील फिंगर्स से संबंधित विवाद:

- झील का उत्तरी किनारा 8 फिंगर्स में बंटा हुआ है। फिंगर 4 तक भारत का कब्जा रहा है, जबकि भारत फिंगर 8 तक अपने क्षेत्र का दावा करता है क्योंकि भारत इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) मानता है, वहीं चीन फिंगर 4 तक अपना दावा करता है। झील के उत्तरी तट पर आठ किलोमीटर की दूरी पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से आमना-सामना होता रहा है।

चीनी बुनियादी ढांचा विकास:

- चीन पैंगोंग त्सो नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़ने के लिए तेजी से पुल का निर्माण कर रहा है, जबकि इसके सहायक (Auxiliary) पुल का निर्माण पहले ही हो चुका है। तिब्बत में यूली के पास महत्त्वपूर्ण G-216 राजमार्ग को G-0177 मोटरवे से जोड़ने वाली 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि खुरनाक किले के पूर्व में एक चीनी वायु रक्षा प्रतिष्ठान स्थित है।

पूर्वी लद्दाख में बुनियादी ढांचा विकास:

- पूर्वी लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के तहत भारत पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर एक ब्लैक-टॉप सड़क का निर्माण कर रहा है जिसको वर्ष 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। भारतीय सीमा में

फिंगर 4 तक पहुंचना सड़क निर्माण का मुख्य लक्ष्य है।

- बुनियादी ढांचे के विकास में विशेष रूप से आधुनिक लैंडिंग क्षेत्रों और परिवहन नेटवर्क के निर्माण को काफी प्राथमिकता दी जाती है। भारत ने एलएसी के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास हेतु बजटीय आवंटन तेजी से बढ़ाया है।
- इसके अतिरिक्त, दारबुक-स्काईओक-दौलत बेग ओल्डी रोड की तुलना में सासेर ला के माध्यम से एक अलग मार्ग पर कार्य तेजी से किया जा रहा है।

पैंगोंग त्सो झील के बारे में:

- यह लेह लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। इसका नाम तिब्बती शब्द 'पैंगोंग त्सो' से लिया गया है जिसका अर्थ 'उच्च घास के मैदान वाली झील' होता है।
- यह लद्दाख हिमालय में 14,000 फीट (4,350 मीटर) से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी संकीर्ण तथा भूमि से घिरी (Endorheic) झील है। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है।
- कुल 135 किमी लंबी बूमरैंग आकार (boomerang-shaped) की पैंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत के पास है, जबकि शेष दो तिहाई हिस्सा चीन के कब्जे में है।
- इस झील को रंग बदलने के लिए भी जाना जाता है क्योंकि अलग-अलग समय पर यह नीला, हरा और लाल दिखाई देती है।
- पाँच उप-झीलें मिलकर पैंगोंग त्सो बनाती हैं जिसमें पैंगोंग त्सो, त्सो न्याक, रम त्सो (twin lakes) और न्याक त्सो शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक उप-झील के अपने विशिष्ट गुण और विशेषताएं हैं।

आगे की राह:

भारत और चीन विश्व की दो ऐसी उभरती महाशक्तियां हैं जो एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। ऐसे में यदि सीमा विवाद को लेकर सैनिकों के बीच झड़पें होती हैं, तो विकास और समृद्धि के मार्ग में रुकावट आएगी। इसलिए दोनों देशों को अपने नागरिकों के बेहतरी के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

4. सेनेगल ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयास से, सेनेगल जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JET-P) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

इस समझौते के बारे में:

- जेट-पी विकासशील देशों में जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव का समर्थन करने के लिए प्रथम विश्व के देशों द्वारा शुरु किया गया एक बहुपक्षीय वित्तपोषण तंत्र है। पर्यावरण संबंधी पहलुओं के अलावा, यह सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिसमें कौशल विकास और रोजगार सृजन शामिल हैं।
- इसे इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप और ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो (GFANZ) के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। आईपीजी में फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, यूके आदि देश शामिल हैं, जबकि जीएफएएनजेड में ज्यादातर बहुपक्षीय विकास बैंक और वित्त एजेंसियां शामिल हैं।
- 3-5 वर्षों की अवधि में सेनेगल के ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2.5 बिलियन यूरो जुटाने की उम्मीद है। यह 2030 तक सेनेगल के बिजली मिश्रण की स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ा देगा।
- वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी देश की स्थापित क्षमता का लगभग 31% है। परिणामस्वरूप, इसे अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। 2010 में ऊर्जा मिश्रण में जीवाश्म ईंधन का योगदान लगभग 85% था। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में यह हिस्सेदारी काफी हद तक कम हो गई है।

आगे की चुनौतियां:

- इसकी लगभग 30% आबादी के पास अभी भी बिजली तक पहुंच नहीं है, मुख्य चुनौती इसकी 16.8 मिलियन आबादी (विश्व बैंक के अनुसार) तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है।
- इसके अलावा आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच अंतर होने से इन देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है।

भारत के संबंध में चुनौतियाँ:

- भारतीय बिजली क्षेत्र की विविध और जटिल संरचना के कारण जेट-पी में भारत के शामिल होने पर बातचीत पूरी नहीं हो सकी।
- दूसरा, जलवायु वित्त की आड़ में किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर करेगा।

आगे की राह:

पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन

में विकासशील दुनिया की जरूरतों का वित्तपोषण आवश्यक है। हालाँकि, यह जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुदान और रियायती ऋण के रूप में होना चाहिए।

5. वैश्विक शिपिंग उद्योग को 2050 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के शिखर सम्मेलन में वैश्विक शिपिंग उद्योग के लिए 2050 तक या उसके आसपास नेट जीरो उत्सर्जन का आंकड़ा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सभी सदस्य देश ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 2008 की तुलना में 2030 तक कम से कम 20 परसेंट तक कम करने, 30 परसेंट के लिए प्रयास करने और 2040 तक कम से कम 70 तथा 80 परसेंट कम करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए हैं।

वैश्विक शिपिंग उद्योग में ग्रीन हाउस उत्सर्जन की स्थिति:

- शिपिंग एक प्रदूषण कारी उद्योग है जो वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 3 पर्सेंट के लिए जिम्मेदार है और हर साल लगभग एक अरब टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करता है।

चिंता:

- विशेषज्ञों ने कहा है कि जिस स्तर पर सहमति व्यक्त की गई है, वह वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए उचित नहीं है।

उपाय:

- ऊर्जा दक्षता को बेहतर करने हेतु अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे- हाइड्रोजन एवं मेथेनॉल का उपयोग किया जाए।
- प्रबोधन और बिजली उत्पादन मशीनरी का अच्छा रखरखाव ईंधन की खपत को कम करता है।
- शिपिंग उद्योग की परिचालन क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने हेतु परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए क्योंकि कई अध्ययनों में पाया गया है कि शिपिंग उद्योग के लिए परमाणु ऊर्जा कारगर साबित हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन:

- यह यूएन की एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना जिनेवा सम्मेलन के दौरान 1948 में हुई थी, परन्तु इसने 1958 ई. से कार्य करना प्रारम्भ किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानव निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक के सुधार व जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाता है।

नेट जीरो:

- कार्बन तटस्थता का आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का कुल उत्सर्जन वातावरण से अवशोषित CO_2 के समान होता है। इसमें पेड़ अथवा जंगलों द्वारा या अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से CO_2 को वातावरण से हटाना शामिल है।

आगे की राह:

शिपिंग उद्योग का डीकार्बोनाइज होना अति आवश्यक है क्योंकि कार्बन युक्त शिपिंग उद्योग जलवायु परिवर्तन की दर को बढ़ाकर, सतत विकास लक्ष्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके लिए सदस्य देशों की सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों तथा पर्यावरण के हितैषी समूह को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

6. चीन का संशोधित जासूसी विरोधी कानून व्यवसायों के लिए खतरा: अमेरिका

चर्चा में क्यों:

हाल ही में चीन की विधायिका ने चीन के जासूसी विरोधी कानून में व्यापक संशोधनों को मंजूरी दी ताकि जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के दायरे को व्यापक बनाया जा सके।

चीन का जासूसी विरोधी कानून:

- यह चीन के 2014 के जासूसी विरोधी कानून में संशोधन है जिसका अनुच्छेद-1 कहता है कि इस कानून को संशोधित करने का कारण 'जासूसी आचरण को रोकना, दंडित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है।'
- चीन ने कानून का दायरा बढ़ाते हुए यह घोषणा की कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हितों से संबंधित सभी दस्तावेज, डेटा, सामग्री और वस्तुओं' को राज्य के रहस्यों के बराबर संरक्षित किया जाएगा।
- अधिकारियों द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के रूप में परिभाषित किसी भी जानकारी के हस्तांतरण को अब जासूसी का कार्य माना जाएगा।
- नवीनतम परिवर्तन साइबर जासूसी के नियमों में सुधार करके साइबर हमलों, घुसपैठ, हस्तक्षेप, नियंत्रण और विनाश को जासूसी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- अन्य परिवर्तनों में प्रचार-प्रसार के मार्गदर्शन और व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना तथा जासूसी विरोधी कार्यों में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को मजबूत करने का प्रावधान शामिल है।

इस संशोधन से व्यवसाय प्रभावित होने का कारण:

- हाल के वर्षों में चीन-अमेरिका संबंध खराब होने के बावजूद, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच उल्लेखनीय व्यापारिक संबंध हैं।
- सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वह चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को 'जोखिम मुक्त' करने या सेमीकंडक्टर जैसी विशिष्ट सामग्रियों के लिए उस पर अपनी निर्भरता कम करने की योजना बना रहा है।
- चीन में अमेरिकी व्यवसायों के अधिकारियों से पूछताछ होना, अप्रैल में कंसल्टेंसी फर्म बेन एंड कंपनी के शंघाई कार्यालय पर छापा पड़ना तथा ड्यू डिलिजेंस फर्म मिंट्ज ग्रुप में कार्य कर रहे चीनी कर्मचारियों को हिरासत में लिये जाने से चीन में व्यवसाय कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियां परेशान हैं।
- इस वर्ष फार्मास्युटिकल कंपनी एस्टेलस फार्मा इंक. के एक जापानी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए जासूसी को आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जापान ने भी आरोप लगाया है कि चीन

अपने कानून का इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए करता है।

आगे की राह:

चीन में फार्मा और आईटी जैसे संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाली भारतीय कंपनियां, इस संशोधन को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में इन कंपनियों को विस्तारित कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक परिभाषाओं के तहत आने वाले जोखिम की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी।

7. विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तंजानिया यात्रा संपन्न

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर 4 दिवसीय आधिकारिक विदेश यात्रा पर अफ्रीकी देश तंजानिया गये जहां उन्होंने तंजानिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किया। विदेश मंत्री ने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा किया और भारतीय नौसेना की जहाज त्रिशूल पर एक स्वागत समारोह में भी भाग लिया।

विदेश मंत्री के यात्रा से सम्बन्धित प्रमुख बिंदु:

- इस दौरान विदेश मंत्री ने तंजानिया के दार-एस-सलाम शहर में अपने समकक्ष के साथ 10वीं भारत-तंजानिया संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता किया।
- विदेश मंत्री ने दार-एस-सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन किया और भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया।
- यात्रा के दौरान यह सहमति बनी कि जांजीबार-तंजानिया में आईआईटी परिसर की स्थापना की जाएगी जो विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से युक्त होगा। यह दुनिया के लिए भारतीय उच्च शिक्षा और नवाचार के महत्त्वाकांक्षी गुणों का एक उदाहरण बनेगा।
- विदेश मंत्री ने कहा कि भारत तंजानिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष, रक्षा और अवसंरचनात्मक विकास के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करेगा।

भारत-तंजानिया सम्बन्ध दोनों देशों के लिए महत्त्वपूर्ण:

- हिंद महासागर के साथ तंजानिया की सामरिक स्थिति समुद्री कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करती है। पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह दार-एस-सलाम इस क्षेत्र में भूमि से घिरे देशों के लिए व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- इसमें प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सहित पर्याप्त ऊर्जा संसाधन हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोगात्मक प्रयास सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिससे विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच बढ़ जाएगी।
- मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अध्ययन में भारत की विशेषज्ञता से तंजानिया में चरम मौसम की घटनाओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- तंजानिया की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ते अफ्रीकी देशों में से एक है जो भारत-अफ्रीकी देशों के संबंधों हेतु महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है।
- भारत तंजानिया को पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स तथा रसायन, मोटर वाहन, विद्युत के सामान, चीनी, मशीनरी आदि का निर्यात करता है, जबकि तंजानिया से स्वर्ण अयस्क, काजू, दालें, लकड़ी, लौंग, धातु स्क्रैप, रत्न, आदि का आयात करता है।

तंजानिया के बारे में:

- तांगानिका और जांजीबार के स्वतंत्र होने के बाद, इन राज्यों ने मिलकर 1964 में एक स्वतंत्र और संप्रभु तंजानिया नामक देश की स्थापना की। तंजानिया की आधिकारिक राजधानी डोडोमा है, जबकि दार-एस-सलाम में अधिकांश सरकारी प्रशासनिक केंद्र स्थित हैं।
- अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो(5,895 मीटर) तंजानिया में ही स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की तीन सबसे बड़ी झीलें विक्टोरिया झील, तांगानिका झील (बैकाल झील के बाद, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील) और निसा झील तंजानिया में पाई जाती हैं।
- तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है जिसकी सीमा युगांडा, केन्या, मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, बुरुंडी और रवांडा से मिलती है।

आगे की राह:

तंजानिया और भारत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। दार-एस-सलाम में भारतीय उच्चायोग नवंबर 1961 में और जांजीबार में भारत का महावाणिज्य दूतावास अक्टूबर 1974 में स्थापित हुआ था। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय यात्राओं से व्यापार और रक्षा क्षेत्र में तेजी आयी है जिसका प्रयोग नागरिकों के बेहतरी हेतु करना चाहिए।

पर्यावरणीय मुद्दे

1. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम हेतु मसौदा नियमों को किया गया अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'ग्रीन क्रेडिट' के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। यह एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो व्यक्तियों, किसान-उत्पादक संगठनों (FPO), उद्योगों, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों सहित अन्य हितधारकों को दिया जाता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या है?

- 'ग्रीन क्रेडिट' का अर्थ है किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक एकल इकाई जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक ऐसा तंत्र है जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है।
- घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए अन्य पर्यावरणीय दायित्वों को भी पूरा करना है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) कार्यक्रम का प्रशासक होगा जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश व प्रक्रियाएं विकसित करेगा।

कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा?

- **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP):** प्रतिस्पर्धी बाजार-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करने और विभिन्न हितधारकों की स्वैच्छिक पर्यावरणीय पहल को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। पर्यावरण मंत्रालय ने आठ चुनिंदा गतिविधियों की पहचान की है जिनके लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है।
- **वृक्षारोपण-आधारित ग्रीन क्रेडिट:** वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से देश भर में हरित आवरण बढ़ाने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- **जल-आधारित हरित ऋण:** अपशिष्ट जल के उपचार और पुन: उपयोग सहित जल संरक्षण, जल संचयन तथा जल उपयोग दक्षता/बचत को बढ़ावा देना।
- **सतत कृषि-आधारित ग्रीन क्रेडिट:** उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादित भोजन के पोषण मूल्य में सुधार के लिए प्राकृतिक व पुनर्योजी कृषि प्रथाओं तथा भूमि बहाली को बढ़ावा देना।
- **अपशिष्ट प्रबंधन-आधारित ग्रीन क्रेडिट:** संग्रहण, पृथक्करण और उपचार सहित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ तथा बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **वायु प्रदूषण न्यूनीकरण-आधारित ग्रीन क्रेडिट:** वायु प्रदूषण को कम करने और अन्य प्रदूषण उपशमन गतिविधियों के उपायों को बढ़ावा देना।
- **मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन-आधारित हरित ऋण:** मैंग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपायों को बढ़ावा देना।
- **इकोमार्क-आधारित ग्रीन क्रेडिट:** निर्माताओं को अपने वस्तुओं के लिए 'इकोमार्क' लेबल प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- **सतत भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट:** टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके इमारतों तथा अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के फायदे:

- यह कॉर्पोरेट और व्यवसायों के अलावा व्यक्तिगत तथा सामुदायिक कार्यों का लेखा-जोखा रखता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली पर्यावरणीय गतिविधि में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने जैसे जलवायु सह-लाभ हो सकते हैं।
- ऐसी गतिविधि से ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट दोनों प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें क्रमश: ग्रीन क्रेडिट मार्केट या कार्बन मार्केट के तहत बेचा जा सकता है।
- ग्रह समर्थक (Pro-planet) लोगों और संस्थाओं के माध्यम से 'मिशन लाइफ' के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद कर सकता है।

ग्रीन क्रेडिट तंत्र के संबंध में चिंताएं:

- विशेषज्ञों को चिंता है कि ग्रीन क्रेडिट की बाजार-आधारित व्यवस्था से ग्रीनवॉशिंग हो सकती है।
- ग्रीनवॉशिंग से तात्पर्य सकारात्मक छवि बनाने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता या उपलब्धियों के बारे में झूठे या अतिरंजित दावे करने की प्रथा से है, जबकि वास्तव में महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ नहीं मिलते हैं।

आगे की राह:

बाजार के स्थिर और व्यवहार्य होने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि कार्यप्रणाली तथा मानक सही हों एवं ग्रीन क्रेडिट की पर्याप्त मांग हो। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम को व्यवहार में लाने से पहले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए अर्थात वनीकरण और वृक्षारोपण पर जोर दिया जाना चाहिए।

2. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में घटते वर्षावन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI) और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से पता चला है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन लगातार घट रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि बढ़ती मांगों के लिए प्राथमिक वन संसाधनों का दोहन प्रमुख कारण है।

अफ्रीका में वर्षा वन:

- अमेजॅन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन कांगो वर्षावन 6 अफ्रीकी देशों (कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, डीआरसी, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन) में फैला हुआ है जिसका 60% भाग डीआरसी में स्थित है।
- वैश्विक संसाधन सूचकांक में बताया गया है कि डीआरसी को लगभग 5 लाख हेक्टेयर वन का नुकसान 2022 में हुआ है।

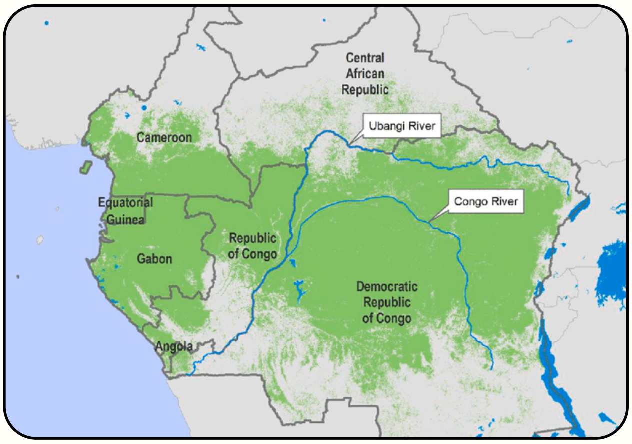

इस अभूतपूर्व हानि के प्रमुख कारक:

- यह देखा गया है कि DRC की जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक 3.19% है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भोजन और ऊर्जा मांगों के लिए प्राथमिक वन संसाधनों पर आधारित है। इसके कारण बढ़ती जनसंख्या अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए स्लैश-एंड-बर्न तकनीक (स्थानांतरित खेती) का उपयोग तेजी से कर रही है।
- इसके अलावा डीआरसी की 96% आबादी प्रदूषणयुक्त खाना पकाने वाले ईंधन का उपयोग करती है और 79% के पास बिजली तक पहुंच नहीं है। इसलिए बढ़ती जनसंख्या की वन संसाधनों पर निर्भरता कई गुना बढ़ गई है।
- अनियंत्रित लकड़ी का कोयला उत्पादन, अवैध कटाई और झाड़ियों की आग भी इस स्थिति के लिए प्रमुख कारक रहे हैं।

अन्य चिंताएँ:

- इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल दुनिया भर में 4 एमएचए प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वन नष्ट हो गए जिसमें से ब्राजील में 43% नुकसान हुआ और उसके बाद डीआरसी तथा बोलीविया का स्थान रहा।

वर्षावनों का महत्त्व:

- पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाले वर्षावनों की CO_2 अवशोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ये जैविक विविधता और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करते हैं।
- ये दुनिया की जलवायु को (जीएचजी को भी संतुलित करते हैं) स्थिर करते हैं और भू-रासायनिक चक्र तथा जल चक्र को बनाए रखते हैं। ये जनजातीय आबादी का समर्थन करके इकोटूरिज्म केंद्र के रूप में भी काम करते हैं।
- इसके साथ ही ये विविध प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

सुझाव:

- उपचारात्मक उपायों में डीआरसी को अपनी जनसंख्या के लिए टिकाऊ और जैविक खेती तथा सौर ऊर्जा संयंत्र जैसे सुरक्षित ऊर्जा विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। एफएओ और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन अफ्रीकी देशों को अपनी संभावित पूंजी विकसित करने के लिए सतत तरीके से सहायता प्रदान कर सकती हैं। इस अवधि में एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है क्योंकि यह एक दीर्घकालिक लक्ष्य है।

आगे की राह:

वर्षावन इनके उपनाम 'लंग्स ऑफ द प्लैनेट' की तरह ही हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से विकसित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका संरक्षण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि इस ग्लोबल वार्मिंग युग में भविष्य के लिए भी आवश्यक है। एक कानूनी और टिकाऊ भविष्य की कार्यवाही की आवश्यकता है, क्योंकि यदि यह खजाना (Treasure) खो जाता है, तो इससे न केवल पृथ्वी पर संसाधन कम होंगे बल्कि जीवन के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न होगा।

3. तापमान बढ़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ों में अधिक बारिश एवं कम बर्फबारी होने का अनुमान: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर हिमालय और उत्तरी गोलार्ध के अन्य पहाड़ों में 15% अधिक बारिश होने का अनुमान है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जलवायु अनुकूलन योजनाएँ विकसित करने का महत्त्व:

- प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण की रक्षा के लिए जलवायु अनुकूलन योजनाओं को विकसित करने का महत्त्व है क्योंकि दुनिया की 26% आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में या उससे लगे मैदानी क्षेत्रों में रहती है।
- 1950 से 2019 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से वर्षा का संक्रमण पहले ही शुरू हो चुका है।

संकटग्रस्त पर्वतीय क्षेत्र:

- सभी पर्वतीय क्षेत्र उच्च जोखिम में नहीं हैं। हिमालय और उत्तरी अमेरिकी प्रशांत पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें कैस्केड, सिएरा नेवादा और कनाडा से दक्षिणी कैलिफोर्निया तक की तटीय श्रृंखलाएं शामिल हैं जो रॉकी या आल्प्स की तुलना में अधिक खतरे में हैं।

- हिमालय उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है जहां अत्यधिक वर्षा का खतरा देखने को मिला है।
- हिमालय में अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि की दर अधिक होने की संभावना है।
- यह उच्च जोखिम वायुमंडलीय गतिविधियों में परिवर्तन के कारण हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका में प्रशांत पर्वत श्रृंखला में अधिकांश बर्फबारी तब होती है, जब तापमान शून्य सेल्सियस से थोड़ा नीचे होता है।
- हवा के तापमान में गिरावट के कारण यह बर्फबारी बारिश में बदल जाती है।
- शून्य डिग्री से काफी नीचे तापमान पर कम खतरे वाली पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फबारी हो सकती है।

पर्वतीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर द्रव्यमान का 65 प्रतिशत नुकसान देखा गया है।
- इससे उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत बर्फ का एक चौथाई हिस्सा नष्ट हो सकता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि 1971 और 2000 के बीच औसत बर्फबारी की तुलना में 2070 और 2100 के बीच बर्फबारी में गिरावट होगी जैसे-सिंधु बेसिन में 30-50 प्रतिशत, गंगा में 50-60 प्रतिशत और ब्रह्मपुत्र में 50-70 प्रतिशत।

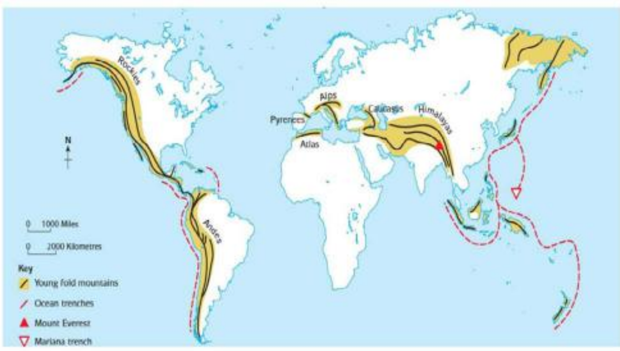

रॉकीज पर्वत:

- रॉकी पर्वत या रॉकीज, एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में लगभग 4,800 किमी में विस्तृत है।
- रॉकीज ग्रेट प्लेन्स और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विभाजन का निर्माण करती हैं जिसमें देश के कई बड़े राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

हिमालय पर्वत:

- हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप पर एक चाप (arc) बनाती है जिसकी कुल लंबाई 2,400 किमी है और चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी तक है।

आल्प्स पर्वत:

- आल्प्स यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला है जो इटली से फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया तक फैली हुई है।
- इस पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी यूरोप का सबसे ऊँचा पर्वत मोंट ब्लांक स्थित है जिसकी ऊंचाई 4,810 मीटर है।

आगे की राह:

वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण उत्तरी गोलार्ध में पर्वत अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के लिए हॉटस्पॉट बन रहे हैं जिससे संभावित रूप से बाढ़ और भूस्खलन आने की संभावना है जो दुनिया की एक चौथाई आबादी को प्रभावित कर सकते हैं।

4. ज्वार बढ़ते तापमान के समय में गेहूं का एक आदर्श विकल्प: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ज्वार गेहूं के टिकाऊ और जलवायु-स्मार्ट विकल्प के रूप में हो सकता है। 'नेचर्स साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित 'भारत में शुष्क मौसम के अनाज की जलवायु लचीलापन' शीर्षक वाले शोध पत्र में तापमान में वृद्धि के लिए गेहूं और ज्वार की पैदावार की संवेदनशीलता की जांच की गई और विभिन्न परिदृश्यों के तहत पानी की आवश्यकताओं की तुलना की गई।

गेहूं के विकल्प की क्यों जरूरत है?

- भारत पिछले दो दशकों में उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और लगातार हीटवेव ने विकास के कई चरणों में गर्मी के प्रति फसल की संवेदनशीलता के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- 2040 तक जल स्त्रोतों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ पैदावार में 5 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है।
- गेहूं के विकल्पों को बढ़ावा देकर भारत एक अधिक लचीला और टिकाऊ कृषि प्रणाली का निर्माण कर सकता है जो जलवायु चुनौतियों, पानी की कमी, पोषण, आय स्थिरता तथा पर्यावरणीय स्थिरता को संबोधित करता है।

ज्वार एक आदर्श टिकाऊ विकल्प क्यों है?

पारंपरिक रूप से उगाया जाने वाला ज्वार गेहूं का एक आशाजनक विकल्प है जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में निम्न लाभ प्रदान करता है:

- **जलवायु लचीलापन:** ज्वार सूखे और गर्मी के तनाव के लिए अधिक सहनशील है। इसमें एक गहरी जड़ प्रणाली है जिससे यह निचली मिट्टी की परतों से पानी तक पहुंच सकता है जिससे यह अधिक सूखा प्रतिरोधी बन जाता है।
- **कुशल जल उपयोग:** गर्मियों में अपने विकास चक्र के विस्तार के कारण गेहूं को ज्वार की तुलना में 1.4 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ज्वार में उच्च जल-उपयोग दक्षता होती है जिससे यह प्रति यूनिट पानी की खपत में अधिक उपज पैदा करने में सक्षम होता है।
- **पोषण संबंधी लाभ:** ज्वार एक पौष्टिक रूप से समृद्ध अनाज है

जो आहार फाइबर, आवश्यक खनिजों (जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा) तथा एंटीऑक्सिडेंट में उच्च है।

- **आर्थिक व्यवहार्यता:** कृषि संबंधी उपयोगों के अलावा यह फसल बहुमुखी है जिसका उपयोग आटा, माल्ट, स्नैक्स और पशु फीड सहित उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह:

जैसा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के प्रभावों से जूझ रही है, गेहूं के विकल्प के रूप में ज्वार को अपनाने से कई लाभ मिलते हैं। इसके लचीलापन, कुशल जल उपयोग, पोषण मूल्य और आर्थिक व्यवहार्यता इसे बदलती जलवायु के लिए एक आदर्श फसल बनाती है। ज्वार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना पोषण और जलवायु लचीलापन के लिए बाजरा पर सरकार के ध्यान के साथ भी संरेखित है।

5. अमेजन वनों की कटाई में गिरावट

चर्चा में क्यों?

ब्राजील के अधिकारियों ने अमेजन वर्षावनों की कटाई में 33.6% की दर से गिरावट दर्ज की गई है। इसका परिणाम राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डि सिल्वा के चुनाव के बाद राजनीतिक शासन और पर्यावरण प्रशासन में बदलाव के कारण हुआ है।

अमेजन वर्षावन और सरकार की रणनीतियाँ:

- अमेजन वर्षावन ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। यह उत्तर में गिनी हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजीलियाई केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।
- वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, 43% की दर से कम हो रहा है। इसलिए नए राष्ट्रपति ने 2030 तक वनों की कटाई की मंजूरी को समाप्त करने का वादा किया है।
- नए सरकारी प्रशासन ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को चुना है:
  - 6 नए स्वदेशी भंडार घोषित किए गए हैं और इन क्षेत्रों में खनन प्रथा तथा वाणिज्यिक खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  - जंगल की आग से निपटने के लिए अतिरिक्त बजट के आवंटन से जुलाई से अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण अवधि में जंगल की आग में वृद्धि से निपटने के लिए अग्निशमन दस्तों का दायरा भी बढाया गया है।

वनोन्मूलन के कारण:

- अमेजन वर्षावन में वनों की कटाई में कृषि भूमि के विस्तार के लिए जंगलों की अवैध कटाई मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या और माँग में वृद्धि के कारण अमेजन क्षेत्र में व्यावसायिक खेती बढ़ रही है।
- जंगल की आग अमेजन वनों की कटाई का एक और प्रमुख कारण है। अत्यधिक तापमान की घटनाओं और अनियंत्रित वन निकासी के संयोजन के बाद मानव निर्मित जंगल में आग लगने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- अत्यधिक चराई और पशुपालन का विस्तार भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है।

विश्व जलवायु पर प्रभाव:

- अमेजन वन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का 25% अवशोषण करता है और पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का 6% उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में गिरावट के परिणामस्वरूप अंततः ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी और बारिश के पैटर्न में बदलाव आएगा।
- इससे पहले एक अध्ययन से पता चला था कि अमेजन के जंगल ने CO2 को अवशोषित करने के बजाय इसका उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है। यह अंततः क्षेत्र के जंगलों, पानी की उपलब्धता, जैव विविधता, कृषि और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा।

आगे की राह:

ब्राजील उन देशों में शामिल है जिन्होंने COP-26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और वनों में वृद्धि करने का वादा किया था। नया राजनीतिक शासन इस संबंध में सकारात्मक कदम उठा रहा है, लेकिन इस दिशा में विकसित देशों के अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वनीकरण कार्यक्रमों और अन्य पहलों में सहायता कर सकती हैं, इसमें आदिवासी समुदाय की भागीदारी भी जरूरी है।

6. श्वसन व संचार संबंधी बीमारी के लिए NO_2 जिम्मेदार- HEAL रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में HEAL द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) के संपर्क में आने से श्वसन और संचार संबंधी बीमारी बढ़ने से समय से पहले मौत होने की संभावना अधिक हो जाती है।

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) के बारे में:

- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तीखी गंध वाली एक लाल-भूरे रंग की गैस होती है।
- अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड शामिल होते हैं।
- यह अत्यधिक वायु प्रदूषक है जो मुख्य रूप से दहन प्रक्रियाओं (वाहन उत्सर्जन और बिजली संयंत्रों) से निकलती है।
- NO_2 स्मॉग के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो श्वसन समस्याओं का कारण बनता है।
- यह अम्लीय वर्षा के निर्माण और ओजोन परत के क्षरण में भी योगदान देती है।

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग:

- नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में।
- ऑक्सीकृत सेलूलोज अणु बनाने में।
- सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में।
- रॉकेट ईंधन के रूप में।
- विस्फोटक बनाने में।

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- अस्थमा का बढ़ना।
- फेफड़ों की क्षमता कम होना।
- एलर्जी की प्रतिक्रिया बढ़ना।
- सांस संबंधी समस्याएं होना।
- आंखों और त्वचा में जलन होना।

पर्यावरणीय प्रभाव:

- NO_2 तथा अन्य NOx वातावरण में पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ क्रिया करके अम्लीय वर्षा करते हैं जिनसे झीलों तथा जंगलों जैसे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है।
- **वायु प्रदूषण:** NOx से उत्पन्न होने वाले नाइट्रेट कण हवा को धुंधला और देखने में कठिन बनाते हैं।
- **जल प्रदूषण:** वातावरण में NOx तटीय जल में पोषक तत्व प्रदूषण में योगदान देता है।

डब्ल्यूएचओ की सिफारिशें:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हवा में NO_2 की अधिकतम वार्षिक औसत सांद्रता को 40µg/m3 से घटाकर 10µg/m3 करने की सिफारिश की है।

हील (HEAL) के बारे में:

- स्वास्थ्य और पर्यावरण गठबंधन (HEAL) एक अग्रणी गैर-लाभकारी संगठन है जो यह बताता है कि पर्यावरण यूरोपीय संघ (EU) और उसके बाहर मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है?

आगे की राह:

वायु प्रदूषण से बढ़े स्वास्थ्य बोझ पर कार्यवाही करने की तात्कालिकता को देखते हुए HEAL ने 2030 तक अधिकतम सांद्रता के लिए NO_2 की कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमा को 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg / m3) वार्षिक औसत में बदलने की सिफारिश की। 2021 में, WHO ने NO_2 की सीमा को फिर से परिभाषित किया जिसे और अधिक कठोर बना दिया। NO_2 और अन्य वायु प्रदूषकों के स्वास्थ्य प्रभावों पर साक्ष्य की नियमित समीक्षा शामिल करने से समस्या का समाधान करने में मदद मिल सकती है।

7. बाघ अभयारण्यों में शिकारियों के खिलाफ 'रेड अलर्ट' जारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने अधिकारियों को सभी बाघ अभयारण्यों का दौरा करने का निर्देश देते हुए एक 'रेड अलर्ट' जारी किया है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक वयस्क बाघ का सिर कटा शव पाए जाने के कुछ दिनों बाद भारत के छह बाघ अभयारण्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के अनुसार, शिकारी विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों विशेषकर सतपुड़ा, ताडोबा, पेंच, कॉर्बेट, राजाजी, अमानगढ़, पीलीभीत और वाल्मिकी के साथ-साथ बालाघाट, गढ़चिरौली तथा चंद्रपुर जैसे बाघ बहुल क्षेत्रों के आसपास सक्रिय हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:

- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के तहत संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह वर्ष 2008 में परिचालन में आया।

टाइगर रिजर्व:

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए जाते हैं। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व है जिसे अक्टूबर, 2022 को घोषित किया गया था।
- 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार, भारत में बाघों की आबादी बढ़कर 3,167 हो गई है।
- भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था।

चुनौतियाँ:

- 2023 में अब तक समस्त भारत में कुल 100 बाघ मारे गए हैं जिनमें से सबसे ज्यादा 26 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में टॉप पर है।
- 'स्टेटस ऑफ टाइगर' रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत के सभी पांच मुख्य बाघ क्षेत्रों को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है जिसमें बाघ निवास स्थान का अतिक्रमण, शिकार, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अनियमित मवेशी चराई, गैर-लकड़ी वन उत्पादों की अत्यधिक कटाई, आग, खनन और विस्तार जैसे आधारभूत संरचना शामिल हैं।

आगे की राह:

बाघों के शरीर के अंगों की बरामदगी तथा शिकारियों की गिरफ्तारी पर आधिकारिक आंकड़ों और रिपोर्टों के आधार पर, बाघ का अवैध शिकार अभी भी एक बड़ी समस्या है तथा जंगली बाघों के प्रत्यक्ष नुकसान का मुख्य कारण भी है। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों द्वारा बाघ के शरीर के अंगों की बढ़ती मांग के कारण बाघ का अवैध शिकार हो रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों और ट्रैफिक जैसे संस्थागत तंत्र को अवैध शिकार के मुद्दे से निपटने के लिए स्थानीय वन समुदायों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

1. फास्ट रेडियो बर्स्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय स्थित शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किसी भी फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB) में चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण का पहला प्रमाण प्राप्त किया है। इस टीम के निष्कर्षों ने एफआरबी के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं।

फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है?

- फास्ट रेडियो बर्स्ट रेडियो तरंगों के चमकीले विस्फोट हैं जिनकी अवधि मिलीसेकंड पैमाने में होती है जिसके कारण इनका पता लगाना और आकाश में इनकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल होता है।
- एफआरबी को ब्रह्मांड के विभिन्न और सुदूर हिस्सों के साथ-साथ हमारी अपनी आकाशगंगा में भी देखा गया है। इनकी उत्पत्ति अज्ञात है जिनका स्वरूप अत्यधिक अप्रत्याशित है। इन्हें पहली बार 2007 में खोजा गया था।

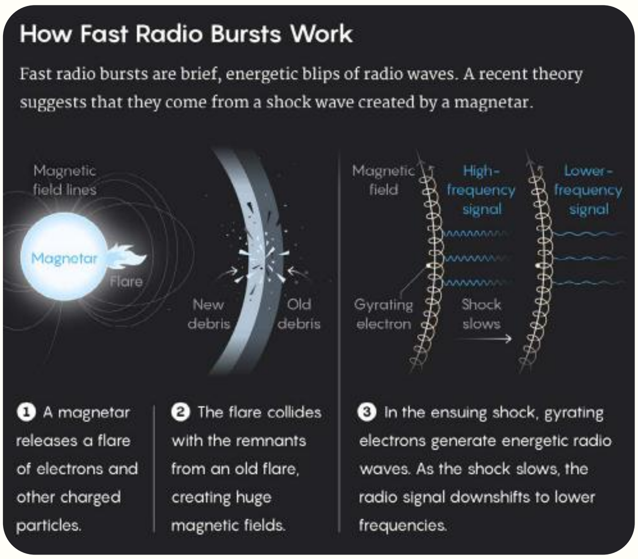

शोध के मुख्य निष्कर्ष:

- नवीनतम निष्कर्ष ग्रीन बैंक टेलीस्कोप द्वारा किया गया है जो अपने स्रोत के आसपास एक दुर्लभ खगोलीय वातावरण का खुलासा करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र मुड़ता और उतार-चढ़ाव करता है। यह तरंगों के दिशात्मक परिवर्तनों को भी देखने में सक्षम है।
- यह किसी FRB से देखे गए चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमण का पहला पता है और पहली बार किसी अन्य आकाशगंगा में यह व्यवहार देखा गया है।
- यह खोज इस विचार को भी महत्त्व देती है कि एफआरबी का कम से कम एक अंश एक बाइनरी प्रणाली में उत्पन्न होता है जो दो तारों की एक प्रणाली है तथा एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।

एफआरबी का महत्त्व:

- एफआरबी में फैलाव (बिखरने या अलग होने) की एक विशिष्ट संपत्ति (Distinguished property) होती है। इसके फटने से रेडियो तरंगों का एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है और जैसे ही तरंगें पदार्थ के माध्यम से यात्रा करती हैं, वे फैलती हैं या उच्च रेडियो आवृत्तियों पर फटने के साथ बिखर जाती हैं। उच्च रेडियो आवृत्तियों पर टेलीस्कोप कम आवृत्तियों की तुलना में पहले पहुंचती है।
- फैलाव के माप का विश्लेषण वैज्ञानिकों को उस पदार्थ के बारे में जानने की अनुमति देता है जिससे रेडियो विस्फोट गतिमान पृथ्वी की ओर होकर गुजरता है।
- ये अप्रत्यक्ष रूप से यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि चीजें कितनी दूर हैं?
- वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि रेडियो विस्फोट और उनकी मेजबान आकाशगंगाओं के अद्वितीय गुणों के बारे में डेटा संयुक्त रूप से ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर सकता है।
- यह ब्रह्मांड के विकास और ब्रह्मांड में पदार्थ की त्रि-आयामी संरचना में अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकता है।

FRB शोध अध्ययन में भारत:

- 2021 में पुणे स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और नेशनल सेंटर फॉर रेडियोफिजिक्स (NCRA) ने फास्ट रेडियो बर्स्ट्स (FRBs) कैटलॉग (catalogue) का सबसे बड़ा संग्रह इकट्ठा किया था।

आगे की राह:

यह ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं में से एक है जिसके बारे में जागरूकता का मौजूदा स्तर अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है। इसलिए उनकी उत्पत्ति तथा गुणों को समझने के लिए और अधिक सूचनायें जुटाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां और अनुसंधान शिक्षा जगत के संयुक्त प्रयास इस संबंध में सबसे व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं।

2. नवजात शिशुओं का जीनोम अनुक्रमण

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई विकसित देशों में नवजात शिशु के जीनोम अनुक्रमण का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में कुछ भारतीय राज्यों ने भी नवजात शिशु जांच कार्यक्रम शुरू किए हैं।

नवजात जीनोम अनुक्रमण क्या है?

- नवजात जीनोम अनुक्रमण से तात्पर्य नवजात शिशु की संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी का विश्लेषण करने की प्रक्रिया से है।
- इसमें किसी भी आनुवंशिक विकार की पहचान करने के लिए पूरे जीनोम को अनुक्रमित करना शामिल है जो विशिष्ट बीमारियों या स्थितियों से जुड़ा हुआ है, जैसे- सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिन्ड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिन्ड्रोम आदि।

ध्येयIAS most trusted since 2003 परफेक्ट 7

- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने नवजात शिशुओं के जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए क्रमशः बेबीसेक प्रोजेक्ट और राष्ट्रव्यापी अभियान जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- ये कार्यक्रम इस तथ्य पर आधारित हैं कि शीघ्र निदान से हम प्रभावी उपचार कर सकते हैं और शिशु को विकलांगता या मृत्यु से बचा सकते हैं।

नवजात शिशु के जीनोम अनुक्रमण का महत्त्वः

- 6,000 ज्ञात आनुवंशिक बीमारियों में से केवल 3,500 का दस्तावेजीकरण किया गया है, जबकि अधिकांश आनुवंशिक विकार (जैसे डाउन-सिंड्रोम) निश्चित समय के बाद लक्षण दिखाना शुरू करते हैं। इससे इनके इलाज का सफल होना और भी मुश्किल हो जाता है।
- नवजात शिशुओं के जीनोम का अनुक्रमण निम्नलिखित तरीके से आनुवंशिक विकार के उपचार में एक महत्त्वपूर्ण उपाय बन सकता है:
  - यह आनुवंशिक बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और निदान करने की अनुमति देता है जिससे समय पर हस्तक्षेप और उपचार संभव हो पातें है। यह संभावित चिकित्सा जोखिमों के बारे में जानकारी भी प्रदान कर सकता है।
  - अनुक्रमण के लाभ केवल उन शिशुओं तक ही सीमित नहीं हो सकते हैं जो अस्वस्थ हैं, बल्कि यह स्वस्थ बच्चों को भविष्य में बहुत तेज गति से चिकित्सा निगरानी भी प्रदान कर सकता है।

चुनौतियाँ:

- नवजात अनुक्रमण जन्म से आनुवंशिक विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए आशा की किरण प्रदान करता है, लेकिन यह कई नैतिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है।
- आकस्मिक और द्वितीयक निष्कर्षों को प्रकट करने तथा इन्हें प्रबंधित करने का मुद्दा गोपनीयता और परिवारों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है।
- प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उपयोग से जुड़े लाभों तथा इससे जुड़े दबावों (Burdens) का न्यायसंगत वितरण भी न्याय और निष्पक्षता के मुद्दों का आह्वान करता है।
- परिणामों में संभावित हेरफेर भी एक प्रमुख चिंता का विषय है।

आगे की राहः

चिकित्सा क्षेत्र में नवजात जीनोम अनुक्रमण एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए नैतिक और गोपनीयता संबंधी चुनौतियों पर सशक्त कानूनी ध्यान देने तथा इस संबंध में सख्त व निष्पक्ष चिकित्सा आचरण संहिता के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

3. डार्क पैटर्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन विज्ञापनों में 'डार्क पैटर्न' के खिलाफ मानदंड जारी किए। इसके अलावा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर इस तरह की हेरफेर वाली ऑनलाइन प्रथाओं को पंजीकृत कराने का आग्रह किया है।

डार्क पैटर्न क्या हैं?

- डार्क पैटर्न वेबसाइटों या एप्लिकेशन द्वारा लोगों से वह काम करवाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि हैं जो वे नहीं करना चाहते। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता की स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता और पसंद को प्रभावित करना है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन विज्ञापन में भ्रामक पैटर्न से गुमराह किया जाता है जो उनके ऑनलाइन अनुभव को नुकसान पहुंचाता है जिससे व्यवसायों और विज्ञापन पर विश्वास कम होता है।
- ऑनलाइन क्षेत्र में डार्क पैटर्न की व्यापकता उपभोक्ताओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों के दायरे में आता है।

डार्क पैटर्न के प्रकारः

डार्क पैटर्न में जोड़-तोड़ की प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है:

- **झूठा आग्रहः** यह रणनीति उपभोक्ताओं पर खरीदारी करने के लिए दबाव डालने की तात्कालिकता या कमी की भावना पैदा करती है।
- **बास्केट स्नीकिंगः** वेबसाइट या ऐप्स उपयोगकर्ता की सहमति के बिना शॉपिंग कार्ट (shopping cart) में अतिरिक्त उत्पाद या सेवाएं जोड़ने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग करते हैं।
- **अंशदान ट्रैप्सः** यह युक्ति उपभोक्ताओं के लिए किसी सेवा के लिए साइन अप करना आसान बनाती है, लेकिन उनके लिए इसे रद्द करना मुश्किल होती है।
- **बैट एंड स्विच (Bait and Switch):** इसमें एक उत्पाद या सेवा का विज्ञापन और दूसरे को वितरित करना शामिल है जो अक्सर कम गुणवत्ता वाला होता है।
- **छिपी हुई लागतः** इस रणनीति में उपभोक्ताओं से अतिरिक्त लागत छिपाना शामिल है जब तक कि वे पहले से ही खरीददारी करने के लिए प्रतिबद्ध न हों।
- **प्रच्छन्न विज्ञापनः** प्रच्छन्न विज्ञापन ऐसे विज्ञापन होते हैं जिन्हें अन्य प्रकार की सामग्री, जैसे समाचार लेख या उपयोगकर्ता-जनित सामग्री की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया जाता है।

डार्क पैटर्न को नियंत्रित करने के उपायः

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नैतिक डिजाइन दिशानिर्देश स्थापित कर सकते हैं जो डार्क पैटर्न के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं।
- स्वतंत्र ऑडिट करने को प्रोत्साहित करने से डार्क पैटर्न मुद्दों की पहचान करने और उन्हें सुधारने में मदद मिल सकती है।
- उपयोगकर्ताओं को ऐसे उपकरणों और संसाधनों से लैस करना जो उन्हें ऑनलाइन सूचित विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं जो एक संभावित समाधान है।

आगे की राहः

डिजिटल स्पेस उपभोक्ता के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है जो महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि वे वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कैसे करते हैं? हालांकि, जब उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाने के लिए हेरफेर किया जाता है, तो वे चिंता का कारण बन जाते हैं।

उपभोक्ताओं को उनकी स्पष्ट सहमति के बिना अनपेक्षित परिणामों के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से आग्रह किया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन इंटरफेस में किसी भी डिजाइन या पैटर्न को शामिल करने से बचें जो उपभोक्ता की पसंद को ध्यान नहीं देता है या हेरफेर कर सकता है अथवा डार्क पैटर्न की श्रेणी में आता है।

4. सीएमवी और टीओएमवी वायरस के दोहरे खतरे से जूझ रहे टमाटर उत्पादक

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में टमाटर उत्पादकों को दो वायरस ककम्बर मोजेक वायरस (CMV) और टोमैटो मोजेक वायरस (ToMV) के प्रभाव के कारण महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये वायरस टमाटर की पैदावार में काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान और कृषि उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

सीएमवी और टीओएमवी:

- सीएमवी और टीओएमवी नाम और क्षति में समान होने वाले पौधे रोगजनक हैं जो विभिन्न वायरल परिवारों से संबंधित हैं और अलग-अलग फैलते हैं।
- ToMV तंबाकू मोजेक वायरस (TMV) से संबंधित है जो टमाटर, तंबाकू, मिर्च और सजावटी पौधों को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित बीज, पौधे, कृषि उपकरण और मानव स्पर्श के माध्यम से फैलता है।
- सीएमवी में एक व्यापक मेजबान रेंज है जिसमें ककड़ी, तरबूज, बैंगन, टमाटर, गाजर आदि शामिल हैं। सीएमवी की पहचान 1934 में ककड़ी में की गई थी। यह एफिड्स नामक सैप-सकिंग इंसेक्ट्स (Sap-Sucking Insects) के माध्यम से फैलता है जिसमें मानव स्पर्श के माध्यम से न्यूनतम संचरण होता है।

फसल जीवन शक्ति पर पौधों के वायरस का प्रभाव:

अगर समय पर इसके बचाव हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता है, तो दोनों वायरस 100 प्रतिशत फसल नुकसान का कारण बन सकते हैं। इनके निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित होते हैं:

- **ToMV:** पत्ते पर पीले और गहरे हरे रंग के क्षेत्र, पत्तियों पर छाले जैसे दिखने, पत्ती विरूपण, छोटी पत्तियों का मुड़ना, फलों पर नेक्रोटिक धब्बे और प्रभावित फल सेटिंग इत्यादि।
- **CMV:** खीरे के पत्तों की विकृति तथा मोजेक जैसे पैटर्न के साथ बारी-बारी से पीले और हरे धब्बे पड़ना।
- सीएमवी और टीओएमवी उपज हानि, अवरुद्ध विकास और विकृत फलों से बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। वे किसानों की आजीविका, बाजार में टमाटर की उपलब्धता और समग्र क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं।

वायरस को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?

- टीओएमवी के प्रसार को रोकने के लिए नर्सरी में जैव सुरक्षा मानकों का पालन करना और अनिवार्य बीज उपचार आवश्यक है। पौधों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना, संक्रमण के संकेतों की निगरानी करना, खरपतवार और पौधों के मलबे के खेतों को साफ करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि टीओएमवी निष्क्रिय रह सकता है तथा पुनः सतह पर आ सकता है।
- प्रभावी तरीकों में एफिड्स को रोकने के लिए कीटनाशकों या खनिज तेलों का छिड़काव शामिल है, जबकि वायरस को फैलने से रोकने के लिए सतर्क रहना शामिल है। एफिड माइग्रेशन की निगरानी फसल रोपण के दौरान निवारक उपायों को लागू करने में मदद करती है।

आगे की राह:

स्थानीय किस्मों, वानस्पतिक, जैव-कीटनाशकों और उचित कीट वेक्टर प्रबंधन पर जोर दिया जाना चाहिए। वायरस, तापमान और वर्षा के बीच संबंधों को समझना महत्त्वपूर्ण है। सरकार की निगरानी में मानचित्रण, बीज कंपनियों के साथ सहयोग और कृषि रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। इसमें सीएसआर फंड का उपयोग किया जाना चाहिए और किसानों को अच्छी कृषि प्रथाओं के साथ स्थानीय किस्मों की ओर लौटना चाहिए।

5. गुइलेन-बैरी सिंड्रोम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेरू की सरकार ने एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार गुइलेन-बैरी सिंड्रोम के मामलों में असामान्य वृद्धि के बाद 90 दिनों का देशव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की।

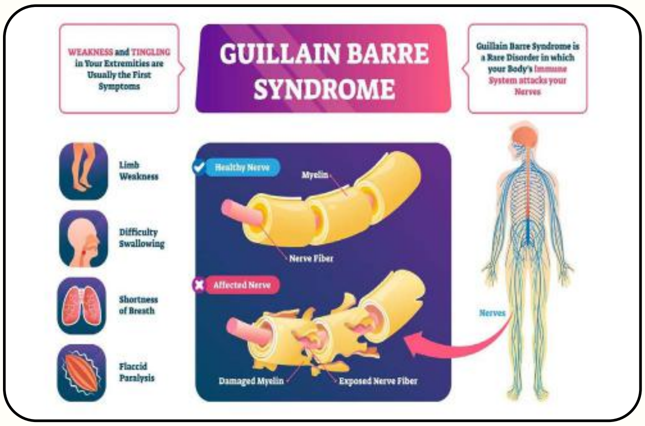

गुइलेन-बैरी सिंड्रोम (Guillain-Barre Syndrome) क्या है?

- गुइलेन-बैरी सिंड्रोम एक दुर्लभ तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है।
- यह हाथों और पैरों में झुनझुनी तथा कमजोरी के साथ शुरू होता है जो लकवा का कारण बन सकता है।
- इस स्थिति वाले अधिकांश लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है।
- हालांकि विकार का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, परन्तु

रिपोर्टों से पता चलता है कि दो-तिहाई रोगियों में पिछले छह सप्ताह में संक्रमण के लक्षण कोविड-19, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण या जीका वायरस की भाँति देखे गए हैं।

गुइलेन-बैरी सिंड्रोम के लक्षण:

- इसके मुख्य लक्षणों में हाथ की उंगलियों, पैर की उंगलियों, टखनों, कलाईयों या कभी-कभी बाहों और चेहरे में भी झुनझुनी महसूस होना।
- पैरों में कमजोरी जो शरीर के ऊपरी हिस्से तक फैल जाती है। कुछ मामलों में चलने या सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थता भी महसूस की जाती है।
- चेहरे के हिलने-डुलने में कठिनाई, बोलने, चबाने या निगलने या आँखें हिलाने में असमर्थता होती है।
- इसमें गंभीर दर्द, गोली लगने या ऐंठन जैसा महसूस होता है। इसके अतिरिक्त मूत्राशय नियंत्रण और आंत्र में कठिनाई, तेज हृदय गति, निम्न या उच्च रक्तचाप, सांस लेने में कठिनाई तथा पक्षाघात होने की संभावना होती है।

उपचार:

- गुइलेन-बैरी सिंड्रोम के अभी तक कोई इलाज विकसित नहीं किया गया है। हालाँकि, ऐसे उपचार हैं जो लक्षणों का इलाज करने में मदद करते हैं, बीमारी की गंभीरता और अवधि को कम करते हैं। गुइलेन-बैरी सिंड्रोम के तीन प्रकार के होते हैं:
  1. एक्यूट इंफ्लेमेटरी डिमाइलेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी (AIDP)
  2. मिलर-फिशर सिंड्रोम
  3. एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी
- एक्यूट इंफ्लेमेटरी डिमाइलेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाया जाने वाला सामान्य प्रकार है। इस प्रकार का सिंड्रोम मांसपेशियों को कमजोर करता है जो शरीर के निचले हिस्से से शुरू होकर शरीर के ऊपरी हिस्से तक फैल जाती है।
- मिलर-फिशर सिंड्रोम में पक्षाघात आंखों से शुरू होता है। यह सिंड्रोम अमेरिका में कम और एशिया में अधिक पाया पाया जाता है। एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी चीन, जापान और मैक्सिको में अधिक पाया जाता है।

आगे की राह:

इस बीमारी में उपचार के अलावा, पुनर्प्राप्ति अवधि के दौरान पक्षाघात से जुड़ी विभिन्न जटिलताओं को दूर करने के लिए देखभाल प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें श्वसन संबंधी सहायता, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की निगरानी, मुंह और गले में स्राव के प्रबंधन में सहायता आदि शामिल हो सकती है।

6. सिकल सेल एनीमिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, विशेष रूप से देश की आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित रहा है।

सिकल सेल एनीमिया क्या है?

- सिकल सेल रोग (SCD) रक्त विकारों का एक वंशानुगत समूह है जो प्रकृति में आनुवंशिक है। यह आमतौर पर जन्म के दौरान माता-पिता से बच्चे में स्थानांतरित हो जाता है यानी माता-पिता दोनों एससीडी के वाहक हो सकते हैं।
- स्वस्थ आरबीसी आकार में गोल होते हैं, इसलिए एससीडी वाले व्यक्ति में आरबीसी चिपचिपा (sticky) और कठोर हो जाता है जो कृषि उपकरण 'सिकल' के समान सी-आकार ग्रहण कर लेता है।

क्या लक्षण हैं?

- **क्रोनिक एनीमिया:** सिकल सेल समय से पहले मर जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है जिससे थकान, कमजोरी और शरीर पर पीलापन हो जाता है।
- **दर्दनाक एपिसोड-Painful Episode:** इसे सिकल सेल संकट के रूप में भी जाना जाता है जैसे ही सिकल सेल छोटी रक्त धमनियों से गुजरते हैं, वे फंस जाते हैं और रक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप हड्डियों, छाती, पीठ, बाहों, पैरों में अचानक और तीव्र दर्द जैसी परेशानी होती है जिसके अन्य खतरनाक परिणाम (स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं) जैसे संक्रमण, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम (Acute chest Syndrome) एवं स्ट्रोक हो सकते हैं।
- यह शारीरिक विकास और यौवन को प्रभावित करता है।

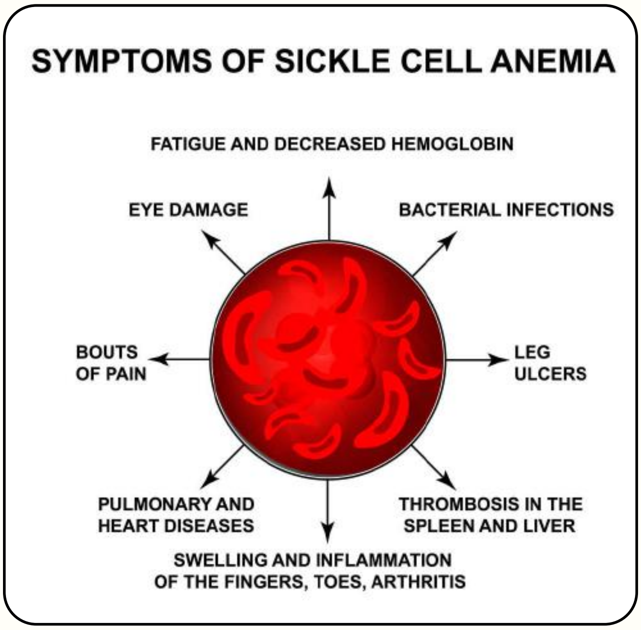

उपचार क्या हैं?

- **ब्लड ट्रांसफ्यूजन** (Blood Transfusions)- रक्ताल्पता दूर करने और दर्द संकट के जोखिम को कम करने के लिए।

- **हाइड्रोक्सीयूरिया** (Hydroxyurea)- यह एक ऐसी दवा है जो दर्दनाक एपिसोड की आवृत्ति को कम करने और रोग की दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है।
- अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण।

सिकल सेल रोग (SCD) के निदान की प्रक्रिया:

- रक्त परीक्षण।
- बच्चे के जन्म से पहले एमनियोटिक द्रव या अपरा ऊतक के नमूने से भी एससीडी का निदान किया जा सकता है।

आगे की राह:

सिकल सेल लक्षण विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समुदायों में जांच करने की आवश्यकता है। सिकल सेल विशेषता वाले व्यक्तियों को एक दूसरे से शादी करने से रोकना, सिकल सेल रोग के लिए भ्रूण की जांच करना और माता-पिता की इच्छा होने पर गर्भावस्था को समाप्त करना जरूरी सावधानियां हैं। सिकल सेल रोग उन्मूलन का लक्ष्य एक 'साहसिक कदम' है जिसे समावेशी विकास पर फोकस करके प्राप्त किया जा सकता है।

7. यूनिवर्स का बैकग्राउंड ह्यूम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के शोध पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी टीम को ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों से गुंजन कर रहा है। इसमें बताया गया है कि यह गुंजन अंतरिक्ष-समय के ताने-बाने में विशाल वस्तुओं के टकराने और एक-दूसरे से विलीन होने से उत्पन्न तरंगों का परिणाम है।

शोध के निष्कर्ष:

- इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे (InPTA) सहित पांच अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय टीमों के रेडियो खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड की गुंजन का पता लगाया गया है। यह दुनिया भर में छह बड़े रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके किया गया है जिनमें से एक पुणे में भी स्थित है।
- यह खोज वर्षों से पल्सर (तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो विकिरण के स्पंदों का उत्सर्जन करते हैं) की संख्या की जांच के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।
- नवीनतम खोज ने स्थापित किया है कि कई स्रोतों से गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड में एक सतत पृष्ठभूमि बनाती हैं जिसे बैकग्राउंड ह्यूम नाम दिया गया है।
- यह पता चला है कि इन तारों (Pulsar) द्वारा संकेतों के आगमन में पाई जाने वाली विसंगतियाँ (आगमन समय में) अंतरिक्ष समय में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण होने वाली विकृति के कारण होती हैं।
- इन अनियमितताओं ने ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की निरंतर उपस्थिति और हर चीज की बड़े पैमाने पर गति को भी दिखाया जिससे अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भी पुष्टि हुई।
- इस सिद्धांत ने भविष्यवाणी की है कि ब्रह्मांड विभिन्न घटनाओं से गुरुत्वाकर्षण तरंगों से भरा हो सकता है और अंतरिक्ष-समय इसके संयुक्त प्रभावों का अनुभव कर सकता है।

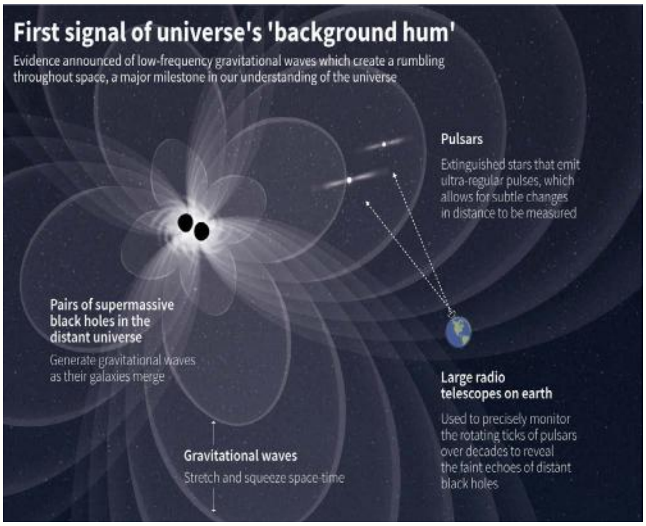

गुरुत्वाकर्षण तरंगें और उनका महत्त्व:

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड में हिंसक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं में से एक है। ये अंतरिक्ष-समय में उत्पन्न अदृश्य 'लहरें' हैं।
- ये प्रकाश की गति से चलती हैं और रास्ते में प्रत्येक वस्तु को संपीड़ित करती और फैलाती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है।
- इन्हें पहली बार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी (LIGO) डिटेक्टरों का उपयोग करके खोजा गया था। इनका निर्माण लगभग 1.3 अरब वर्ष पहले दो ब्लैक होल के विलय से हुआ था।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि यह वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करती हैं। ज्यादातर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी (ब्रह्मांड का 95%) के बारे में है जो किसी भी प्रकार के प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करते हैं।
- इससे ब्रह्मांड के विकास और विस्तार के बारे में समझने में भी मदद मिलेगी।

LIGO-भारत परियोजना:

- अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने LIGO-भारत परियोजना (अंतर्राष्ट्रीय नियोजित नेटवर्क का 5वां नोड) के निर्माण को मंजूरी दे दी। इसका निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यू.एस. नेशनल साइंस फाउंडेशन और अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ किया जाएगा।
- यह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित होगा और 2030 से वैज्ञानिक संचालन शुरू होने की उम्मीद है।

आगे की राह:

दुनिया भर में LIGO नेटवर्क के विस्तार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से किए गए निरंतर प्रयास बहुत जल्द ब्रह्मांड में डार्क मैटर तथा डार्क फील्ड के बारे में सच्चाई का पता चलेगी। LIGO-भारत परियोजना इस दिशा में काफी मदद करेगी।

1. 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कृषि, डेयरी, बैंकिंग, आवास, स्वास्थ्य जैसे अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की भूमिका की सराहना की। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का विषय 'अमृत काल: जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि' था। इस दौरान पीएम मोदी ने सहकारी विपणन के लिए 'ई-कॉमर्स वेबसाइट' और सहकारी विस्तार तथा सलाहकार सेवा पोर्टल का 'ई-पोर्टल' लॉन्च किया।

भारत में सहकारिता का इतिहास:

- भारत में सहकारी आंदोलन का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है जो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था।
- भारत में पहली सहकारी समिति की स्थापना 1904 में सर फ्रेडरिक निकोलसन द्वारा की गई थी जो इंग्लैंड में रोशडेल पायनियर्स की सफलता से प्रेरित थे।
- सोसायटी को 'सहकारी क्रेडिट सोसायटी' कहा जाता था जो किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती थी।
- वर्ष 1947 में मिली भारत को आजादी के बाद सहकारी आंदोलन को गति मिली क्योंकि सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और ग्रामीण विकास की समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी समितियों की क्षमता को पहचाना।

सहकारी समितियों के बारे में:

- सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को साकार करने के लिए किया जाता है।
- सहकारी समितियों के सिद्धांतों में स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी आदि शामिल हैं।
- यह देश भर में सहकारी समितियों की सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

सहकारी समितियों का विनियमन:

- 'सहकारी समितियां' राज्य सूची का विषय हैं।
- हालाँकि, बहुराज्य सहकारी समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसायटी (MSCS) अधिनियम, 2002 द्वारा विनियमित किया जाता है।
- राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी बहुराज्य सहकारी समितियों पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है।
- 2002 में तत्कालीन सरकार ने सहकारी समितियों के प्रचार और विकास का समर्थन करने हेतु सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी।
- जुलाई 2021 में देश में सहकारी समितियों के लिए एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया।
- इसे 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) की दृष्टि से बनाया गया है।

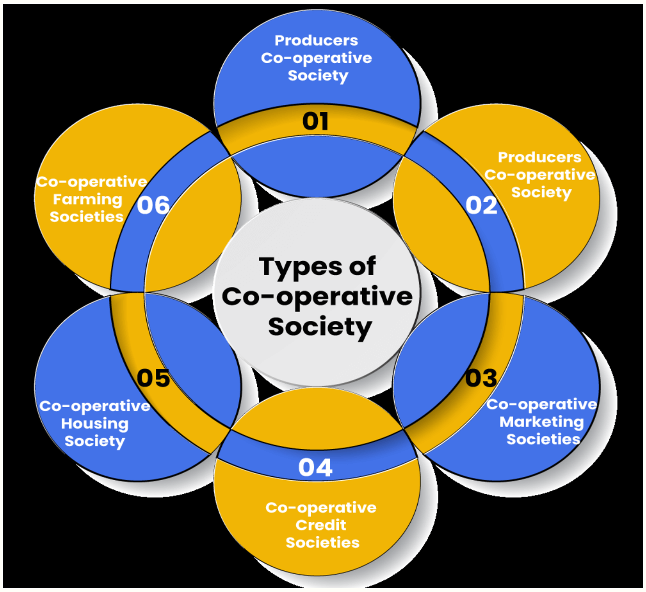

सहकारिता के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- 97वां संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2011 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- यह देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटता है।
- संविधान का अनुच्छेद-19(1)(C) मौलिक अधिकार के रूप में सहकारी समितियां बनाने के अधिकार की गारंटी देता है। सहकारिता से संबंधित एक नया अनुच्छेद-43B और भाग-IX(B) को शामिल किया गया था।
- संविधान का अनुच्छेद-243(ZH) राज्य विधानमंडलों को सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

आगे की राह:

भारत में सहकारी समितियों के माध्यम से लाखों लोगों की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का एक लंबा तथा गौरवशाली इतिहास रहा है। इसने गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन आदि के राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में भी योगदान दिया है। हालांकि, इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास और प्रदर्शन को सीमित करती हैं। भारत में सहकारी समितियों का भविष्य उज्ज्वल है, यदि वे अपनी कमजोरियों और खतरों को दूर करते हुए उसके अवसरों का लाभ उठा सकें।

2. आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आठ प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में मई 2022 के सूचकांक की तुलना में मई 2023 में 4.3 प्रतिशत (अनंतिम) की वृद्धि हुई है। मई 2023 में सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, कोयला और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का 40.27 प्रतिशत भार आठ कोर उद्योगों से आता है।

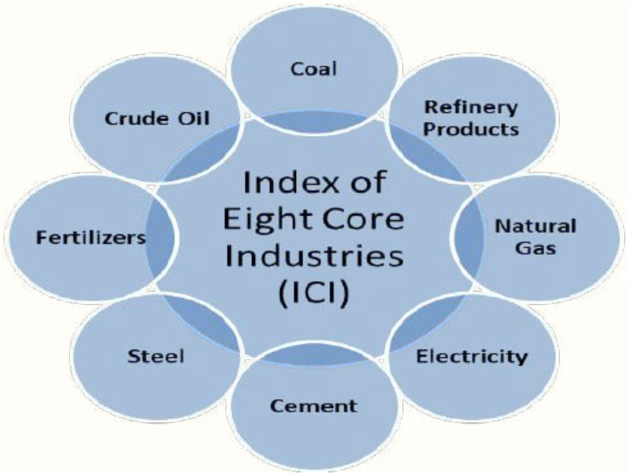

आठ प्रमुख उद्योगों के बारे में:

- फरवरी 2023 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को संशोधित करके 7.4 प्रतिशत कर दिया गया है। अप्रैल-मई 2023-24 के दौरान आईसीआई की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3 प्रतिशत (अनंतिम) बताई गई थी।
- **कोयला**- कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत) मई 2022 की तुलना में मई 2023 में 7.2 प्रतिशत बढ़ गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से मई 2023-24 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.2 प्रतिशत बढ़ गया।
- **कच्चा तेल**- कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) मई 2023 में मई 2022 की तुलना में 1.9 प्रतिशत कम हो गया। अप्रैल से मई 2023-24 तक इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.7 प्रतिशत कम हो गया।
- **प्राकृतिक गैस**- प्राकृतिक गैस उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) मई 2023 में मई 2022 की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम हो गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से मई 2023-24 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.5 प्रतिशत कम हो गया।
- **पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद**- पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) मई 2022 की तुलना में मई 2023 में 2.8 प्रतिशत बढ़ गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से मई 2023-24 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.7 प्रतिशत बढ़ गया।
- **उर्वरक**- उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) मई 2023 में मई 2022 की तुलना में 9.7 प्रतिशत बढ़ गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से मई 2023-24 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.7 प्रतिशत बढ़ा।
- **स्टील**- स्टील उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) मई 2022 की तुलना में मई 2023 में 9.2 प्रतिशत बढ़ गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से मई 2023-24 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ा।
- **सीमेंट**- सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) मई 2022 की तुलना में मई 2023 में 15.5 प्रतिशत बढ़ गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से मई 2023-24 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.7 प्रतिशत बढ़ गया।
- **बिजली**- बिजली उत्पादन (भारांक: 19.85 प्रतिशत) मई 2023 में मई 2022 की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम हो गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से मई 2023-24 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.7 प्रतिशत कम हो गया।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) क्या है?

- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1950 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है।
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुशंसित आईआईपी के दायरे में खनन, विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति शामिल हैं।
- आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2011-2012 है।

आगे की राह:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक सूचकांक है जो एक निर्धारित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। आईआईपी सूचकांक की गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।

3. व्यापार सुविधा के मामले में भारत दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश: UNESCAP

चर्चा में क्यों?

भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के डिजिटल तथा सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है।

सर्वेक्षण के परिणाम:

- **स्कोर:** सर्वेक्षण भारत को 2023 में लगभग 93% के प्रभावशाली स्कोर के साथ वैश्विक व्यापार सुविधा प्रयासों में सबसे आगे रखा जो 2021 के 90% के स्कोर में सुधार दिखाता है।
- **विभिन्न उप-संकेतकों में भारत की सफलता:** पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था, सहयोग और कागज रहित

व्यापार में 100% का उत्तम स्कोर।

- 'व्यापार सुविधा में महिलाएं' घटक में पर्याप्त सुधार हुआ है जो 2021 के लगभग 66% से बढ़कर 2023 में लगभग 78% हो गया। यह लैंगिक समावेशिता और व्यापार क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

- **उल्लेखनीय पहल:** फेसलेस कस्टम्स, पेपरलेस कस्टम्स और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स में व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट), प्री-अराइवल डेटा प्रोसेसिंग और ई-संचित का प्रयोग।
- भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है जिसने कनाडा, फ्रांस, यूके और जर्मनी सहित कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है।
- UNESCAP द्वारा आयोजित डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा समझौते (TAF) के साथ-साथ 11 उप-समूहों में वर्गीकृत लगभग 60 व्यापार सुविधा उपायों का सेट शामिल है।
- इसमें पारदर्शिता, औपचारिकताएँ, संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग, पारगमन सुविधा, कागज रहित व्यापार, सीमा पार कागज रहित व्यापार, एसएमई के लिए व्यापार सुविधा, कृषि व्यापार सुविधा, व्यापार सुविधा में महिलाएँ, व्यापार सुविधा के लिए व्यापार वित्त और संकट के समय में व्यापार सुविधा शामिल है।

आगे की राह:

भारत के समग्र स्कोर में साल-दर-साल सुधार जारी रहा है जो आने वाले समय के व्यापार सुविधा उपायों में आसानी को और बढ़ाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

4. भारत के एक अरब लोग 2047 तक मध्यवर्ग में होंगे शामिल- PRICE रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'द प्यूपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकॉनमी' (PRICE) द्वारा किये गये सर्वे में बताया गया है कि भारत में 2047 तक 1 अरब से अधिक जनसंख्या मध्यम वर्ग में शामिल होगी जो कुल जनसंख्या की लगभग 60 प्रतिशत होगी।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- कोविड-19 एवं रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत रूप से वृद्धि देखी गई है। बजट 2023-24 में जीडीपी में 7% की वृद्धि दर अनुमानित है।
- पिछले 1 दशक में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है जो कि सुधार का संकेतक है।
- मानव संसाधन को कौशल युक्त बनाने एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा तथा स्वास्थ्य में वृहद स्तर पर निवेश किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने की अनुशंसा की गई है। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण में वृद्धि मध्यम वर्ग के लिए हितकारी साबित हो रहा है।

भारत के पास जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर:

- अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में एफडीआई की वृद्धि 10 फीसदी रही। यह भारत की बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक रहा है।

लाभ:

- मध्यमवर्ग का विकास भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगा, साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा।
- जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन के स्तर में भी सुधार होगा।
- नागरिकों में राजनैतिक चेतना का विकास होगा जिससे नागरिक अपने अधिकारों को लेकर सजग होंगे। सामाजिक-आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी जिससे सामाजिक समस्याओं में कमी देखने को मिल सकती है।

चुनौतियां:

- जनता तक अधिकतम सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी समस्या है।
- शहरों पर बढ़ता दबाव शासन के लिए एक चुनौती होगी।
- उपभोक्तावादी मध्यमवर्ग पर्यावरणीय चुनौतियों को बढ़ाने में सहायक हो सकता है जिसके लिए नीतिगत एवं व्यावहारिक स्तर पर उपाय करने होंगे।
- महिलाओं का बराबर प्रतिनिधित्व, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन तथा वृद्ध जैसे उपेक्षित समूहों को लाभ देना भी चुनौती है।

आगे की राह:

मध्यमवर्ग का विकास भारत को वर्ल्ड ऑर्डर में शीर्ष स्थान दिलाने में सहायक होगा जो सापेक्ष गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में सहायता करेगा। शासन एवं नागरिकों को इससे उत्पन्न पर्यावरण की चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा, तभी यह विकास सतत और समावेशी होगा।

5. खुला बाजार बिक्री योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नई दिल्ली में 'खाद्य मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया। इसमें देशभर के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों ने भाग लिया। यह सम्मेलन देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों, अवसरों पर विचार करने तथा 2023-24 के लिए रोडमैप तैयार करने में कार्य करेगा।

सम्मेलन में शामिल मुद्दे:

- सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य खुलो बाजार बिक्री योजना के तहत खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान मोटे अनाज की खरीद के लिए एक कार्य योजना विकसित करना था। सम्मेलन के मुख्य आकर्षण में स्मार्ट-पीडीएस का कार्यान्वयन, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, खरीद केंद्रों की ग्रेडिंग और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का परिवर्तन आदि शामिल है।
- कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने खुले बाजार बिक्री योजना के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न खरीदने के लिए राज्यों पर लगाए गए प्रतिबंध पर चिंता जताई। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और राजस्थान ने भी केंद्र से पहले के प्रावधानों को बहाल करने का आग्रह किया है ताकि राज्य अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक खाद्यान्न की कमी को पूरा कर सकें।

ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS):

- ओएमएसएस के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को खुले बाजार में ई-नीलामी के माध्यम से पूर्व-निर्धारित कीमतों पर बेचता है।
- इसका उद्देश्य मंदी के मौसम के दौरान खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं की आपूर्ति को बढ़ाना है और इस तरह घाटे वाले क्षेत्रों में खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना है।
- एफसीआई इस योजना के तहत कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड) के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके खुले बाजार में साप्ताहिक नीलामी आयोजित करता है।
- राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भी ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति है, यदि उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना और अन्य कल्याण योजनाओं के बाहर गेहूं तथा चावल की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

भारतीय खाद्य निगम के मात्रा प्रतिबंधों के बाद राज्य गेहूं और चावल की खरीद के वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहे हैं जिसके बाद राज्यों को अपनी खुली बाजार बिक्री योजना के माध्यम से दो खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया है। बीपीएल परिवारों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से उचित कीमत पर पर्याप्त गेहूं और चावल खरीदने में कठिनाई के कारण राज्यों ने खाद्यान्न के बदले लाभार्थियों को अस्थायी रूप से नकद देने का निर्णय लिया है।

6. भारत 2075 तक बनेगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: गोल्डमैन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किए गए इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वर्तमान समय में भारत जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

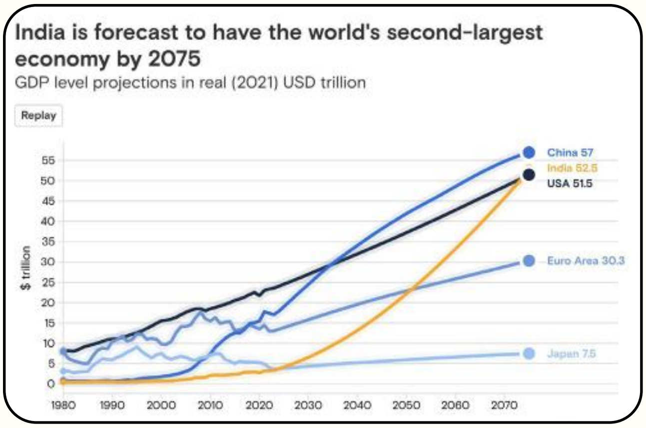

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 1.4 बिलियन लोगों की आबादी के साथ भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है जो अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 52.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
- इस संबंध में गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता ने कहा है कि भारत के लिए बढ़ती आबादी के अलावा नवाचार और प्रौद्योगिकी में प्रगति, उच्च पूंजी निवेश तथा बढ़ती श्रमिक उत्पादकता अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेंगे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 85 सॉवरेन वेल्थ फंड और 57 केंद्रीय बैंकों के अनुसार, भारत अब निवेश करने के लिए नंबर एक उभरता हुआ बाजार है।
- इनवेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी में कहा गया है कि उभरते बाजारों में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सॉवरेन

निवेशकों (जो सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करते है) को अपनी ओर आकर्षित किया है।

- इसमें कहा गया है कि भारत को निजी क्षेत्र के लिए विनिर्माण और सेवाओं में क्षमता बढ़ाने का यह उपयुक्त समय है ताकि अधिक नौकरियां का सृजन हो सकें तथा बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार प्राप्त हो।

वृद्धि का मुख्य कारण:

- भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता के अनुसार, भारत ने इंटरनेट की व्यापक पहुंच के माध्यम से अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। भारत के पास विशिष्ट पहचान संख्या 'आधार' है जो दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है जिसके द्वारा 1.4 बिलियन आबादी की पहचान को ऑनलाइन और भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।
- शांतनु सेनगुप्ता ने कहा कि आधार सार्वजनिक सेवा वितरण को आसान और लक्षित बनाता है जिससे क्रेडिट नेट का विस्तार होता है।

भारत के लिए चुनौतियाँ:

- भारत में श्रम बल भागीदारी दर में पिछले 15 वर्षों में गिरावट आई है और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है।
- गोल्डमैन सैक्स के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से चालू खाते के संतुलन में कमी आ रही है।

आगे की राह:

इससे पहले विश्व बैंक ने चिंता जताया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर धीमी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक घटाकर 5.9% कर दिया था जिसमें भारत को और सुधार करने की आवश्यकता है।

7. भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर-विभागीय समूह ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की संभावना की जांच और एक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से सिफारिशें दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रूपए का चलन और पूंजी खाता लेनदेन में भारतीय रुपये के बढ़ते उपयोग से स्थानीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलेगी जिसमें भारतीय मुद्रा को आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार (SDR) बास्केट में शामिल करने के प्रयास भी जारी हैं। किसी भी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की प्रक्रिया में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए सुधार:

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं:

- 2060 तक पूर्ण परिवर्तनीयता का लक्ष्य जिससे भारत और विदेशों के बीच वित्तीय निवेश की मुक्त आवाजाही संभव हो सके।
- व्यापार और निवेश लेनदेन को रुपयों में निपटाने के लिए श्रीलंका की तरह अतिरिक्त मुद्रा विनिमय समझौते स्थापित करना।
- भारत के अन्दर परिचालन में रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी व्यवसायों को कर प्रोत्साहन प्रदान करना।
- मुद्रा प्रबंधन स्थिरता सुनिश्चित करना और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए विनिमय दर व्यवस्था में सुधार करना।
- रुपये की स्वीकार्यता और प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसे आधिकारिक मुद्रा बनाने का प्रयास करना।
- बैंकिंग क्षेत्र में राजकोषीय घाटे मुद्रास्फीति दर और गैर-निष्पादित संपत्तियों को कम करने सहित तारापोर समितियों की सिफारिशों को लागू करना।

सीमित अंतर्राष्ट्रीय मांग:

- वैश्विक मुद्रा बाजार में रुपये की हिस्सेदारी लगभग 1.6% है, जबकि वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है। इसके अंतर्गत रुपये पर आधारित लेनदेन को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता:

- आरक्षित मुद्रा कहलाने के लिए रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय, आसानी से उपयोग में आने योग्य और पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना चाहिए। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है।

चीन के अनुभव से सबक:

- चीन ने धीरे-धीरे व्यापार वित्त और चुनिंदा निवेशों सहित विभिन्न लेनदेन के लिए रेनमिनबी (RMB) के उपयोग की अनुमति दी है। कई देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और बाजारों की स्थापना ने आरएमबी लेनदेन को सुविधाजनक बनाया है। इससे आरएमबी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आरक्षित मुद्रा का दर्जा प्राप्त हुआ।

आगे की राह:

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार के रोडमैप का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों को लाभ पहुंचाना, तरलता बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसे भारतीय नागरिकों, उद्यमों के हितों और घाटे को वित्तपोषित करने की सरकार की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। रुपये की परिवर्तनीयता और विनिमय दर स्थिरता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

विविध मुद्दे

1. खर्ची पूजा महोत्सव 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने खर्ची पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, खर्ची पूजा महोत्सव आषाढ़ महीने में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है, जो आमतौर पर ईसाई कैलेंडर के अनुसार जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में होने वाला एक बहुत पुराना अनुष्ठान है।

खर्ची पूजा के बारे में:

- यह त्रिपुरा के प्रमुख त्यौहारों में से एक है।
- यह जुलाई-अगस्त महीने के दौरान अमावस्या के आठवें दिन मनाया जाता है।
- खर्ची शब्द को दो त्रिपुरी शब्दों में विभाजित करके समझा जा सकता है 'खर' या खरता जिसका अर्थ है पाप और 'ची' या 'सी' जिसका अर्थ है सफाई, इसलिए यह पापों की शुद्धि का प्रतीक है।
- यह 'आषाढ़' महीने के दौरान 'शुक्ल अष्टमी' के दिन मनाया जाता है।
- चौदह देवताओं की पूजा शाही पुजारी 'चंताई' द्वारा की जाती है।
- यह सात दिनों तक चलता है और पुराने अगरतला में चौदह देवताओं के मंदिर में होता है जिसे 'चतुर्दश देवता' मंदिर परिसर के रूप में जाना जाता है।
- खर्ची पूजा देवताओं का पूरा शरीर नहीं होता बल्कि उनके केवल सिर की ही पूजा की जाती है।
- पूजा के दिन, चंताई सदस्यों द्वारा चौदह देवताओं को मंदिर से सैदरा नदी तक ले जाया जाता है और पवित्र नदी के जल से स्नान कराया जाता है, फिर वापस मंदिर में लाया जाता है।
- इस त्यौहार के रीति-रिवाज पूरी तरह से प्रामाणिक त्रिपुरी परंपराओं से संबंधित हैं।

त्रिपुरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- कृष्ण माणिक्य बहादुर (1760-1761) ने 1760 में राजधानी को दक्षिणी त्रिपुरा के उदयपुर से पूरन हबेली में स्थानांतरित किया था जो 1838 तक अविभाजित त्रिपुरा की राजधानी बनी रही।
- 1838 में राजा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर ने अगरतला को त्रिपुरा की राजधानी बनाया था।
- अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने भारतीय गवर्नर जनरल के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किये और त्रिपुरा भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया।

खर्ची पूजा की विधि:

- **चतुर्दश मंडप का निर्माण:** चतुर्दश मंडप का निर्माण त्रिपुरी राजाओं के शाही महल का प्रतिनिधित्व करता है और पारंपरिक कारीगरों द्वारा बांस तथा फूस की छतों का उपयोग करके बनाया जाता है।
- **चौदह देव जुलूस:** शाही पुजारी चंताई सभी 14 देवताओं की मूर्तियों को मुख्य पूजा के दिन प्राचीन उज्जयंता महल से अगरतला के मंदिर के मैदान से पवित्र सैदरा नदी तक ले जाते हैं, जहां लौटने से पहले उन्हें पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है।

आगे की राह:

यह पूजा पापों को धोने और धरती माता के मासिक धर्म के बाद के चरण को साफ करने के लिए की जाती है। इस त्यौहार में त्रिपुरा के सभी समुदाय बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लेते हैं। यह एक प्रसिद्ध उत्सव है जो त्रिपुरा की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

2. DPCGC का 'अश्लील' कंटेट हटाने का आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नवगठित डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (DPCGC) ने कथित तौर पर अश्लील कंटेट को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म ULLU के लिए दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिश की है। परिषद ने 15 दिनों के भीतर अश्लील कंटेट को हटाने का आदेश दिया है।

दण्डात्मक आदेश से संबंधित मामला:

- यह आदेश ULLU के खिलाफ DPCGC में एक शिकायत दर्ज होने के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ वेब सीरीज में केवल अश्लीलता और नग्नता ही दिखाई जाती है। शिकायतकर्ता ने कहा कि ऐसी सामग्री देश के कानून

और आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का उल्लंघन करती है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में:

- ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को केबल ऑपरेटर या ब्रॉडकास्टर जैसे पारंपरिक मध्यस्थ के हस्तक्षेप के बिना टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जैसी सामग्री बनाने, अपलोड करने, स्ट्रीम करने या साझा करने की अनुमति देती हैं।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म के कुछ उदाहरण नेटफ्लिक्स, अमेजॅन प्राइम वीडियो, डिजनी+, स्पॉटिफाइ आदि हैं।
- ये दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए मनोरंजन, सूचना और संचार के तेजी से लोकप्रिय स्रोत बनते जा रहे हैं। हालांकि, ये इन प्लेटफार्मों पर अपलोड, स्ट्रीम या साझा की जाने वाली सामग्री के विनियमन के लिए कुछ गंभीर चुनौतियां भी पेश करते हैं।

डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के बारे में:

- डीपीसीजीसी ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रदाताओं (OCCP) के लिए एक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त, स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय है।
- इसकी स्थापना जून 2021 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के तत्वावधान में की गई है।
- डीपीसीजीसी का लक्ष्य एक निवारण तंत्र शुरू करना है जो दर्शकों की शिकायतों को संबोधित करने और तदर्थ हस्तक्षेप के बिना मुक्त भाषण वातावरण में सामग्री प्रदर्शित करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।
- यह मौजूदा या नए कानूनों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशन से संबंधित समय-समय पर बनाए गए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करता है।

आगे की राह:

ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल युग में सामग्री के उपभोग, निर्माण और संचार के हमारे तरीके को बदल रहे हैं। ये कई लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उन पर सामग्री को विनियमित करने में कई चुनौतियाँ भी पेश करते हैं। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जिसमें स्व-विनियमन, सह-विनियमन और उपयोगकर्ता-विनियमन शामिल है। यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि इन प्लेटफार्मों का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जाए। इसमें शामिल सभी हितधारकों के अधिकारों और हितों का सम्मान किया जाए।

3. हूल दिवस 2023

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को आदिवासी नेताओं सिदो कान्हो, चांद भैरव तथा फूलो और झानो को उनके 1855 के साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में संथाल (हूल) विद्रोह के वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दिया।

संथाल विद्रोह के बारे में:

- संथाल विद्रोह या हूल क्रांति की शुरुआत 30 जून, 1855 को वर्तमान झारखंड में हुई थी। इसी की याद में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है।
- यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था।
- विद्रोह शुरू करने में मदद करने वाले प्रमुख नेता भाई सिदो कान्हो, चांद भैरव और उनकी बहनें फूलो और झानो थे।
- बहुत ही कम समय में इसमें 32 समुदायों (आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों) के लगभग 60,000 लोगों की भागीदारी हो गई।
- संगठित आंदोलनों, हथियारों और रणनीति के उचित उपयोग तथा प्रशिक्षित नेतृत्व के कारण संथाल विद्रोह को 'विद्रोहों के खिलाफ संगठित युद्ध' के रूप में जाना जाता है।

संथाल विद्रोह का कारण और प्रभाव:

- 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संथालों को झारखंड का दामिन-ए-कोह क्षेत्र दिया गया था। यह आवंटन बंदोबस्त प्रयोजनों के लिए उनकी भूमि में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता के साथ किया गया था। हालाँकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया और अंग्रेजों की माँगें बढ़ती गईं, संथालों से लिया जाने वाला किराया अनुचित रूप से बहुत अधिक हो गया।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के इस कदम का उद्देश्य स्थायी कृषि के तहत लगातार बढ़ते क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाना था।
- संथाल लोग वस्तु-विनिमय प्रणाली का पालन करते थे जिससे जमींदारों को नकद में भुगतान करने में कठिनाई होती थी। परिणामस्वरूप, उन्होंने साहूकारों से अत्यधिक दरों पर धन उधार लेना शुरू कर दिया जिसके कारण वे एक दुष्चक्र में फंस गए।
- ये सभी कारक संथालों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
- विद्रोह की शुरुआत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार्शल लॉ की घोषणा की जो 3 जनवरी, 1856 तक प्रभावी रहा। इसके बाद मार्शल लॉ को हटा दिया गया और प्रेसीडेंसी सेनाएं विद्रोह को दबाने में सफल रहीं।
- संथाल विद्रोह ने आगामी विद्रोहों के लिए उत्प्रेरक का काम किया, विशेष रूप से 1857 के विद्रोह में संथालों की भागीदारी।
- यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना और झारखंड में भविष्य के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया।

आगे की राह:

युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश उत्पीड़न से कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। संथाल विद्रोह ऐतिहासिक महत्त्व रखता है क्योंकि यह आदिवासी भूमि अधिकारों पर संघर्ष का प्राथमिक कारण है जो वर्तमान संदर्भ में अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। यह इतिहास की निरंतर प्रकृति और भारत में जनजातियों के सामने आने वाली वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए पिछले मुद्दों का अध्ययन करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

4. पक्षियों में अलगाव का बढ़ता प्रचलन

चर्चा में क्यों?

पक्षियों को आम तौर पर मोनोगैमस के रूप में जाना जाता है और प्रजनन के मौसम के दौरान उनका एक ही साथी होता है। हालांकि पक्षी प्रजातियों के बीच अलगाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के शोध ने एवियन डिवोर्स (Devorce), इसके पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव में योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डाला है जिससे पक्षी व्यवहार तथा सामाजिक गतिशीलता की समझ गहरी हुई है।

एवियन डिवोर्स को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

पक्षियों में अलगाव से जुड़े कारकों की जांच करने के लिए शोधकर्ताओं ने 232 पक्षी प्रजातियों हेतु अलगाव की दर, मृत्यु दर के आंकड़ों और प्रवास दूरी का विश्लेषण किया। इसके बाद निम्नलिखित कारणों को सूचीबद्ध किया गया:

- **नरपक्षी संकीर्णता (Promiscuity):** उच्च नरपक्षी संकीर्णता उच्च अलगाव दर के साथ सहसंबद्ध थी, जबकि मादा संकीर्णता का समान प्रभाव नहीं था। प्लोवर्स, निगल (Swallows), मार्टिन, ओरिओल्स और ब्लैकबर्ड उन प्रजातियों में से थे जिन्होंने इस संयोजन को प्रदर्शित किया।
- **प्रवासन दूरी:** लंबी प्रवास दूरी वाले पक्षियों में अलगाव की दर अधिक होती है। प्रवासन के दौरान लंबे समय तक अलगाव अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करता है जिससे रिश्ते की अस्थिरता बढ़ जाती है। प्रजनन स्थलों पर अतुल्यकालिक आगमन एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां जल्दी पहुंचने वाले पक्षी एक अलग साथी के साथ मिलते हैं जिसके परिणामस्वरूप अलगाव होता है।
- **परिवर्तित प्रजनन मौसम:** जलवायु परिवर्तन प्रजनन के मौसम सहित मौसमों के समय में बदलाव का कारण बन रहा है जिससे संघर्ष और प्रजनन सफलता कम हो रही है, इससे भी अलगाव की संभावना बढ़ जाती है।

एवियन डिवोर्स में वृद्धि के पारिस्थितिक प्रभाव:

- एवियन डिवोर्स में वृद्धि से पक्षियों की सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है जिससे असंतुलित पारिस्थितिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- आनुवंशिक विविधता और पर्यावरणीय अनुकूलन को प्रभावित करने वाली आबादी के भीतर परिवर्तित जीन प्रवाह होना।
- पक्षी आबादी के भीतर प्रजनन साझेदारी की स्थिरता में व्यवधान होना।
- सामाजिक गतिशीलता में बदलाव से पक्षियों के भीतर सहयोग, संचार और संसाधन साझा करने के पैटर्न को प्रभावित करना।
- यह अलगाव प्रजनन उत्पादन में परिवर्तन को बढ़ा सकता है जिससे निम्न जीवित (Lower Survival) रहने की दर या संतान के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न होना।

आगे की राह:

पक्षियों में अलगाव के बढ़ते प्रसार को जलवायु परिवर्तन से प्रेरित कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे- प्रवासन दूरी में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक कारक। ये अध्ययन एवियन आबादी की गतिशीलता, उनके व्यवहार और प्रजनन रणनीतियों पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभावों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

5. लम्बानी कढ़ाई पैच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हम्पी में जी-20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में लगभग 450 लम्बानी कारीगरों ने एक साथ मिलकर संदुर कढ़ाई के 1,755 से अधिक अद्वितीय पैच का एक संग्रह बनाकर, लम्बानी वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया।

लम्बानी कढ़ाई के बारे में:

- लम्बानी कढ़ाई रंगीन धागों, दर्पण-कार्य और सिलाई पैटर्न द्वारा चित्रित कपड़ा अलंकरण का एक जटिल रूप है।
- लंबानी शिल्प परंपरा में एक सुंदर कपड़ा बनाने के लिए फेंके गए कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ सिलना शामिल है।
- यह मुख्य रूप से कर्नाटक के कई गांवों जैसे संदुर, केरी टांडा, मरियम्मनहल्ली, कादिरामपुर आदि में प्रचलित भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है।
- पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में कपड़ा परंपराओं के साथ लम्बानी शिल्प का अंतर्संबंध खानाबदोश समुदायों की साझा कलात्मक संस्कृति तथा ऐतिहासिक प्रवासन को रेखांकित करता है।

लम्बानी लोगों के बारे में:

- लम्बानी को बंजारा के नाम से भी जाना जाता है।
- ये अधिकांश दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाए जाते हैं।
- इस समुदाय ने अपनी खानाबदोश जीवनशैली को स्थायी रूप से त्याग दिया है और टांडा नामक अपनी बस्तियों में बस गए हैं।
- ये गोर बोली बोलते हैं जिसे लम्बाडी भी कहा जाता है जो इंडो-आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। लम्बाडी की कोई लिपि नहीं है।
- वे श्रावणम (अगस्त माह) के दौरान तीज का त्यौहार मनाते हैं।
- **नृत्य-** अग्नि नृत्य और चरी बंजारा।

संदुर कुशल कला केंद्र (SKKK) के बारे में:

- यह 1988 में पंजीकृत एक सोसाइटी है।
- संदुर कुशल कला केन्द्र का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना तथा शिल्पकारों की आजीविका, कौशल, उत्पादों को बढ़ावा देना और एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है।
- 2004 और 2012 में दक्षिण एशिया में हस्तशिल्प के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार अर्जित किया है।
- एसकेकेके ने शिल्प 'संदुर लम्बानी हाथ की कढ़ाई' के लिए वर्ष 2008 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त किया है।

आगे की राह:

यह उपलब्धि न केवल भारतीय कला की विविधता को उजागर करती है,

बल्कि लम्बानी कारीगरों की प्रतिभा और शिल्प कौशल पर भी प्रकाश डालती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि मिशन 'LiFe' और संस्कृति कार्य समूह की 'Culture for LiFe' की पहल के साथ जुड़ी हुई है। जी20 प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने लम्बानी कारीगरों के लिए एक मंच प्रदान किया जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने वाली पहलों के माध्यम से लम्बानी कारीगरों को उनकी उपलब्धियाँ अन्य समुदायों और व्यक्तियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने तथा संरक्षित करने के लिए प्रेरित करेंगी।

6. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA) फ्रेमवर्क 2023

चर्चा में क्यों?

भारत में ई-गवर्नेंस परिदृश्य को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन फ्रेमवर्क' का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया था। डीएआरपीजी द्वारा हर दो साल में किए गए अध्ययन से ई-सेवा वितरण की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत मिला है जो एकल साइलो विभागीय पोर्टलों से एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टलों में स्थानांतरित हो रही है।

NeSDA के बारे में:

- अगस्त 2018 में शुरू किए गए एनईएसडीए ढांचे की अवधारणा मौजूदा ई-गवर्नेंस सेवा वितरण तंत्र की गहराई और प्रभावशीलता को मापने के समग्र उद्देश्य के साथ की गई थी।
- यह ढांचा यूएनडीईएसए ई-गवर्नमेंट सर्वे के ऑनलाइन सेवा सूचकांक (OSI) पर आधारित है जिसे भारतीय संघीय ढांचे और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की ई-गवर्नेंस प्रणाली के लिए अनुकूलित किया गया है।

फ्रेमवर्क ई-सेवाओं का आंकलन कैसे करता है?

- फ्रेमवर्क में छह क्षेत्रों अर्थात् वित्त, श्रम व रोजगार, शिक्षा, स्थानीय सरकार और उपयोगिताओं, सामाजिक कल्याण (कृषि तथा स्वास्थ्य सहित) और पर्यावरण (अग्नि सहित) क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- यह 7 प्रमुख मापदंडों जैसे पहुंच, सामग्री की उपलब्धता, उपयोग में आसानी, सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता, सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण, स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग पर सभी सेवा पोर्टलों का आंकलन करता है।

एनईएसडीए 2019 और 2021:

- एनईएसडीए अध्ययन के दो संस्करणों अर्थात् एनईएसडीए 2019 और एनईएसडीए 2021 ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि का खुलासा किया है।
- अध्ययनों की मुख्य बातें ई-सेवा वितरण में वृद्धि, एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टलों के उपयोग में वृद्धि तथा मूल्यांकन पैरामीटर स्कोर में सुधार को दर्शाती हैं।
- 2021 के सर्वेक्षण में यह नोट किया गया था कि वित्त, स्थानीय शासन और उपयोगिता की ई-सेवाओं का नागरिकों द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, जहां 74% उत्तरदाताओं ने ई-सेवाओं से संतुष्ट होने का दावा किया था।

आगे की राह:

एनईएसडीए फ्रेमवर्क को ई-गवर्नेंस में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और मौजूदा अंतराल को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। डीएआरपीजी द्वारा एनईएसडीए फ्रेमवर्क 2023 का शुभारंभ नागरिकों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ई-गवर्नेंस परिदृश्य को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाकर, यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, सेवा वितरण बढ़ाएगी और डिजिटल रूप से समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी।

7. बाल तस्करी समस्या

चर्चा में क्यों?

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों की तस्करी की ज्यादातर घटनाएं मूल देश के भीतर होती हैं जिनमें लगभग आधे मामलों में परिवार या दोस्तों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राउंडब्रेकिंग रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए बाल पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी किए जाने की अधिक संभावना थी, जबकि जबरन श्रम के लिए तस्करी किए गए बाल पीड़ितों को घरेलू स्तर पर तस्करी किए जाने की अधिक संभावना थी।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- वैश्विक बाल तस्करी 186 देशों और लगभग 156 राष्ट्रीयताओं को शामिल करती है। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की संख्या 57.4%, पुरुषों की 42.6% और सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 13-17 वर्ष थी।
- गरीबी से त्रस्त क्षेत्रों में परिवार और दोस्त बच्चों की भर्ती करते हैं। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि तस्करी में मनोवैज्ञानिक दबाव, शारीरिक शोषण, खतरे एवं अत्यधिक काम के घंटे भी शामिल हैं।
- बाल तस्करी पीड़ितों में से लगभग आधे (43.4%) घरेलू काम, भीख मांगने और कृषि जैसे विभिन्न उद्योगों में मजबूर श्रम से पीड़ित हैं। यौन शोषण तस्करी किए गए बच्चों के 20% को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से लड़कियां जिसमें 7.3% पुरुषों की तुलना में 30.3% महिलाएं इसकी रिपोर्ट करती हैं।
- आपदा-प्रवण और कमजोर देशों के बच्चों को तस्करी की 1.12 गुना अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपदाओं के दौरान बाल पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में घरेलू स्तर पर तस्करी किए जाने की अधिक संभावना है।

बाल तस्करी के खिलाफ कानून:

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA) बाल तस्करी के खिलाफ भारत का प्रमुख कानून है जो किसी भी प्रकार

के शोषण के लिए भर्ती, परिवहन, आश्रय या जबरदस्ती के माध्यम से शोषण को रोकता है।

- इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2015 तस्करी के पीड़ितों सहित देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास का प्रावधान करता है।
- इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में ऐसे प्रावधान हैं जिनका उपयोग बाल तस्करी के मामलों, जैसे-अपहरण और दासता से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।
- इन विशिष्ट कानूनों के अलावा, भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) और बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल पोर्नोग्राफी पर यूएनसीआरसी के वैकल्पिक प्रोटोकॉल का भी हस्ताक्षरकर्ता है।

आगे की राहः

रिपोर्ट में मानव तस्करी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए संयुक्त कार्यवाही का आग्रह किया गया है। प्रमुख सिफारिशों में आपदा पहल में तस्करी को एकीकृत करना, समुदायों को सशक्त बनाना और कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए लक्षित कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। भारत की सरकार, गैर-सरकारी संगठन और अन्य संगठन तस्करी का मुकाबला करने तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न

1. क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स पर केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय की पहली रिपोर्ट का भारत के लिए महत्त्व की विवेचना करें।

2. रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान डीपफेक के प्रयोग ने वर्तमान विश्व की चिंताओं को बढ़ा दिया है। डीपफेक की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके संभावित खतरे तथा इससे निपटने के उपायों का उल्लेख करें।

3. ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की चुनौतियां तथा संभावनाओं का वर्णन करें।

4. वर्तमान में जिस तेज गति से मध्य पूर्व और अफ्रीका की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के संभावित निहितार्थ का मूल्यांकन करें।

5. भारत की अध्यक्षता में संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन (SCO) के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए ईरान की सदस्यता के भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्व का परीक्षण करें।

6. बहुआयामी गरीबी क्या है? हाल ही में यूएन द्वारा भारत में गरीबी पर प्रकाशित रिपोर्ट के आलोक में भारत में गरीबी की स्थिति का समालोचनात्मक परीक्षण करें।

7. हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट (Price Ice डिग्री सर्वे) के अनुसार भारत के एक अरब लोग 2047 तक मध्यम वर्ग में शामिल होंगे। इस स्थिति की संभावित लाभ एवं चुनौतियां की विवेचना करें।

8. ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल युग में सामग्री के उपयोग निर्माण और संचार के तरीके बदल रहे हैं। भारत में इसको विनियमित करने से जुड़ी संस्था DPCGC की भूमिका तथा चुनौतियों की विवेचना करें।

9. सिकल सेल एनीमिया क्या है? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें।

10. ऑनलाइन विज्ञापनों में डार्क पैटर्न से आप क्या समझते हैं? हाल ही में सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन करें।

11. भारत का चंद्रयान-3 मिशन क्या है? चंद्रयान मिशन के संभावित लाभ तथा चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

12. बाल तस्करी से संबंधित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए भारत में इससे निपटने के वर्तमान उपायों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

13. विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के आलोक में भारत की लैंगिक समानता की ओर बढ़ते कदम का परीक्षण कीजिए।

14. भारत सरकार का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या है? इससे होने वाले लाभों तथा ग्रीनवाशिंग से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

15. 'ज्वार बढ़ते तापमान के समय गेहूं के एक आदर्श विकल्प हैं।' इस कथन का परीक्षण करें।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. भारत की पहली 'पुलिस ड्रोन यूनिट'

ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस (GCP) ने हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए 'पुलिस ड्रोन यूनिट' लॉन्च किया।

मुख्य बिन्दु:

पुलिस के अनुसार, इस इकाई में तीन श्रेणियों के तहत कुल नौ ड्रोन उपलब्ध हैं जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी हेतु 6 ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टीरोटर हेतु 1 ड्रोन और लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेस हेतु 2 ड्रोन शामिल हैं। ये सभी अंतर्निहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमताओं से लैस हैं जिन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5-10 किमी की दूरी तक संचालित किया जा सकता है।

2. देश का यह पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले एलिवेटेड दिल्ली-द्वारका अर्बन एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जो अगले 3-4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 29 किमी है जिसका 18.9 किमी का हिस्सा हरियाणा में, जबकि 10.1 किमी हिस्सा दिल्ली में पड़ता है।

एलिवेटेड एक्सप्रेसवे:

- एलिवेटेड रोड या एक्सप्रेसवे अक्सर उस जगह पर बनाया जाता है जहाँ ट्रांस्पोर्टेशन ज्यादा होता है और जमीन कम। इसे एलिवेटेड फ्लाईओवर भी कहा जाता है।
- इसके बनने से भीड़ वाले एरिया से न केवल हाई ट्रैफिक रिलीज होता है, बल्कि भारी वाहन को भी बिना रुके निकलने का रास्ता मिलता है जिसके चलते बिजी एरिया में जाम की समस्या से समाधान मिलता है।
- द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के सड़क नेटवर्क में चार लेवल बनायें जायेंगे जिसमें सुरंग यानि अंडरपास, ग्रेड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर शामिल होंगे।

3. भारतीय नौसेना का जुलै लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम

- भारतीय नौसेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सम्पर्क मजबूत करने के लिए समर्पित एक बहुआयामी कार्यक्रम 'जुलै लद्दाख (Hello Ladakh)' चलाया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा सेवाओं में लद्दाख के युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाना, राष्ट्र-निर्माण को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मनाया गया।
- आउटरीच गतिविधियों के अंतर्गत लद्दाख के एक बड़े हिस्से से गुजरने वाला मोटर साइकिल अभियान, प्रसिद्ध नौसेना बैंड द्वारा सिटी सेंटर में एक बैंड कॉन्सर्ट, मेडिकल कैंप और नौसेना एवं लद्दाख फुटबॉल क्लब के बीच एक फुटबॉल मैच शामिल है।

4. जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX) 2023 का सातवां संस्करण 5-10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया।

मुख्य विशेषताएं:

- इस अभ्यास में आरएडीएम निशियामा ताकाहिरो, कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला वन की कमान के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) की इकाईयां और पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर ने भाग लिया।
- जिमेक्स 2023 में आईएनएस दिल्ली, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, आईएनएस कामोर्टा, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट, बेड़े टैंकर आईएनएस शक्ति, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान पी-8आई और डोर्नियर, जहाज-वाहित हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान ने भागीदारी ली है।

5. सहायक प्रोफेसर के पद हेतु पीएचडी डिग्री अनिवार्य नहीं: यूजीसी

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पीएचडी अनिवार्यता नियम में बदलाव किया है जिसमें महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
- यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 में संशोधन किया गया है।
- यूजीसी ने कहा है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए नेट/सेट/एसएलईटी न्यूनतम मानदंड होगा।

6. यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) का यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया।

यूक्लिड क्या है?

- यूक्लिड एक 1.2-मीटर-व्यास दूरबीन है जो पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन मील दूर एल2 तक यात्रा करेगी।
- यूक्लिड मिशन का मुख्य लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड के 'डार्क साइड' की जांच करना है।
- डार्क मैटर में ब्रह्मांड के 85 प्रतिशत पदार्थ शामिल हैं। हालांकि, इसे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, जबकि डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिम्मेदार है।

7. जीएसआई ने ओडिशा में प्राकृतिक मेहराब की खोज का प्रस्ताव रखा

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में 'प्राकृतिक आर्क' की खोज का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य बिंदु:

- भूवैज्ञानिक के अनुसार, अंडाकार आकार के मेहराब की आधार पर लंबाई 30 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है।
- सुंदरगढ़ में मेहराब के अलावा, भारत के पास दो अन्य मेहराब हैं:- पहला तिरूपति की तिरुमाला पहाड़ियों पर तथा दूसरा अंडमान और निकोबार में।
- सुंदरगढ़ के कनिका रेंज में ब्राह्मणी गांव के पास घने छेंगापहाड़ आरक्षित वन में स्थित इस स्थल के भूवैज्ञानिक महत्त्व पर अनुसंधान 2017 में किया गया था।

8. आरती होल्ला-मैनी बनी बाह्य अंतरिक्ष मामलों की निदेशक

भारतीय मूल की ब्रिटिश उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ आरती होल्ला-मैनी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOOSA) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

यूएनओओएसए के बारे में:

- यूएनओओएसए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक कार्यालय है जो बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करता है जो विकासशील देशों को स्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहायता करता है।

9. चैंपियंस 2.0 पोर्टल

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई ने 'उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस' मनाया। इस दौरान एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया गया, जो एमएसएमई के विकास के लिए समर्पित हैं। जैसे 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल' और 'क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप'। इसके अलावा, 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2.0' के परिणाम घोषित किए गए और महिला उद्यमियों के लिए 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0' लॉन्च किया गया।

10. बांग्लादेश को असम का पहला मेथेनॉल निर्यात किया गया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नामरूप में असम पेट्रोकेमिकल्स प्लांट से आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के लिए पहली मेथनॉल शिपमेंट रवाना की जिसे असम को एक प्रमुख पेट्रोकेमिकल निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- सीएम ने जॉयपुर-चारियाली और नामरूप-सोनारी तिनिआली सड़कों के निर्माण की आधारशिला भी रखी।
- यह ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और नामरूप थर्मल प्लांट से औद्योगिक उत्पादन के प्रवाह को सक्षम करेगी।

11. बाहु बल्ली मवेशी बाड़

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत में राजमार्गों पर बाहु बल्ली मवेशी बाड़ को लागू करने की योजना बना रहा है ताकि मवेशियों को सड़क पार करने और खतरनाक दुर्घटनाओं का कारण बनने से रोका जा सके।

मुख्य उद्देश्य:

- यह बाड़ 1.20 मीटर ऊँचा होगा और व्यापक रूप से एनएच-30 के खंड 23 पर स्थापित किया जायेगा।
- बांस का उपयोग करके निर्मित मवेशी बाड़, पूरी तरह से प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करता है। बांस को क्रेओसोट तेल से उपचारित किया जाता है और एचडीपीई के साथ लेपित किया जाता है, जिससे यह स्टील का एक मजबूत विकल्प बन जाता है।
- इसके प्रमुख सभी राजमार्गों को टिकाऊ बनाना और वन्यजीवों तथा मवेशियों के नुकसान को कम करना है।

12. अर्बन 20 (यू20) मेयर शिखर सम्मेलन

गांधीनगर में चेयर सिटी अहमदाबाद द्वारा आयोजित दो दिवसीय शहरी 20 मेयर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेयरों द्वारा जी20 नेताओं को विज्ञप्ति सौंपने के बाद संपन्न हुआ।

सम्मेलन की मुख्य बातें:

इस सम्मेलन में नौ क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है जो शहरों को स्थायी भविष्य की दिशा में काम करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें स्थानीय शासन को मजबूत करना, पारंपरिक सीमाओं से परे योजना बनाना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर शहरों पर जोर देना, नवप्रवर्तन की संस्कृति को बढ़ावा देना, डेटा और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना, विनियमन से सुविधा की ओर बदलाव, परिणाम पर नहीं बल्कि प्रभाव पर ध्यान देना, नागरिकों को शहरी नीति के केंद्र में रखना, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना शामिल है।

13. एनएलयू दिल्ली ने शोध संबद्ध कार्यक्रम 'एकलव्य' लॉन्च किया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली ने अपनी नई शैक्षणिक पहलों के तहत गैर-डिग्री धारकों के लिए रिसर्च एफिलिएट कार्यक्रम 'एकलव्य' लॉन्च किया।

मुख्य उद्देश्य:

- यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास परंपरागत कानून की डिग्री नहीं है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय उन लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा जो कानूनी शिक्षा जगत से जुड़कर कानून के विभिन्न पहलुओं में शामिल होना चाहते है तथा अनुसंधान सम्बंधित कार्यक्रम में भाग लेना चाहते है। इससे उन्हें लाभ और अवसर प्राप्त होंगे।
- यह कार्यक्रम किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुला है जिसके पास कानून के साथ महत्त्वपूर्ण इंटरफेस वाले मुद्दों पर काम करने का कम से कम तीन साल का अनुभव है।

14. पीएनबी ने IVR-आधारित UPI 123 PAY लॉन्च किया

पंजाब नेशनल बैंक ने आईवीआर-आधारित यूपीआई समाधान, UPI 123 PAY लॉन्च किया। पीएनबी ने संभावना जताई कि यह पेशकश डिजिटल भुगतान विजन 2025 के अनुरूप है जो देश को कैशलेस और कार्डलेस समाज की ओर प्रेरित करेगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में लेनदेन के तरीके में क्रांति लायी है जिससे ग्राहकों को सहज, सुरक्षित और वास्तविक समय पर भुगतान संभव हो पाया है। हालाँकि, अब तक UPI सेवाएँ मुख्य रूप से स्मार्टफोन या अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (USSD) के माध्यम से सुलभ थीं जो मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर थीं।

15. ऑपरेशन ब्रॉडर स्वोर्ड

भारत और अमेरिका ने अवैध फार्मास्यूटिकल्स, उपकरणों या पूर्ववर्ती रसायनों को अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम (IMS) के माध्यम से अमेरिका में भेजे जाने से रोकने के लिए एक बहु-एजेंसी ऑपरेशन ब्रॉडर स्वोर्ड चलाया है।

ऑपरेशन के बारे में:

- यह ऑपरेशन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA), सीमा शुल्क व सीमा सुरक्षा, होमलैंड सुरक्षा जांच (HSI), ड्रग प्रवर्तन प्रशासन और अमेरिकी डाक द्वारा चलाया गया है।
- ऑपरेशन ब्रॉडर स्वोर्ड में जांचकर्ताओं ने भारत में आने वाले 1,500 से अधिक शिपमेंट की जांच की और लगभग 500 उत्पादों पर कार्यवाही की जिनमें गंभीर बीमारियों के इलाज या उन्हें कम करने के लिए बनाई गई अवैध दवाएं भी शामिल थीं।

16. चीन ने अपना पहला ओपन-सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया

चीन ने अपना पहला घरेलू ओपन-सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लांच किया है जिसे OpenKylin 1.0 नाम दिया है चीन अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करना चाहता है जिसके चलते चीन ने अपना स्वतंत्र ऑपरेअिंग सिस्टम विकसित किया है।

OpenKylin 1.0 के बारे में:

- यह एक ओपन-सोर्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जिसे चीनी कंपनियों के एक समूह द्वारा विकसित किया गया है जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प करता है।
- यह एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लगभग 4,000 डेवलपर्स के समुदाय द्वारा बनाया गया है।
- इसका विकास घरेलू सॉफ्टवेयर के विकास में नवीनतम प्रयास माना जाता है।

17. इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत

- संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में टीम इंडिया ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार, टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी चार छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते।
- भारत और सिंगापुर चार-चार स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि चीन और ताइवान ओलंपिक प्रतिनिधिमंडल तीन स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- प्रतिभागियों को कुल छह परीक्षणों से गुजरना पड़ा जो कंप्यूटर के माध्यम से कार्यान्वित किया गया जिसमें शरीर रचना विज्ञान, पशु और पौधे फिजियोलॉजी, सेल विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, आणविक जीवविज्ञान से संबंधित विषयों पर केंद्रित प्रश्न पूछे गए थे।

18. प्रधानमंत्री मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान 'लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

मुख्य बिंदु:

- इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस बुट्रोस-घाली आदि लोगों को समानित किया जा चुका है।
- इससे पहले पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

19. नीति आयोग ने 2022 के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी

नीति आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) वर्ष 2022 का तीसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में प्रचलित वैश्विक व्यापार संदर्भ के बीच भारत के निर्यात प्रदर्शन पर चर्चा की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- ईपीआई एक व्यापक उपकरण है जो भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को मापता है।
- निर्यात तैयारी सूचकांक चार स्तंभों 'नीति, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन' पर आधारित है।
- यह सूचकांक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की ताकत तथा कमजोरियों की पहचान करके निर्यात-संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करेगा।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. उत्तर प्रदेश सरकार ने 'वन-टैप-वन-ट्री' अभियान शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था के साथ-साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है।
2. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया।
4. कामेश्वर राव कोदावंती को एसबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
5. भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने गांधीनगर में इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
6. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक मंडल ने इसकी मूल कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी।
7. राजिंदर सिंह धट्ट को ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया।
8. अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 6जी एलायंस लॉन्च किया गया।
9. लालियानजुआला चांगटे को एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया।
10. जांजीबार-तंजानिया में आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर है।
11. 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कोलंबो में शुरू हुआ इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
12. प्रियांश और अवनीत कौर की भारतीय जोड़ी ने आयरलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
13. जल उपयोग दक्षता ब्यूरो, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन और भारतीय पाइपलाइन एसोसिएशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
14. सीएम नवीन पटनायक ने 'अमा पोखरी' योजना लॉन्च किया। यह पहल राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2,000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है।
15. भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला गुजरात में रखी गई। इसकी स्थापना अग्रणी सहकारी दूध सागर डेयरी द्वारा 75 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी।
16. यूएई ने एक नया निवेश मंत्रालय स्थापित किया जिसका मुख्य उद्देश्य यूएई की निवेश विजन को विकसित करना और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
17. केरल में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना। यह नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बनता है।
18. जीएसटी परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी से छूट दी है।
19. आईएफएससीए और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने स्थायी वित्त के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
20. सरकार ने 'सागर संपर्क' डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। इससे जहाजों की आवाजाही अधिक कुशल और सुरक्षित हो जाएगी। डीजीएनएसएस अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
21. एलन मस्क ने अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI लॉन्च की। यह ओपनएआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लॉन्च किया गया है।
22. कुआलालंपुर में एचएएल क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह कार्यालय दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ एचएएल की साझेदारी के केंद्र के रूप में काम करेगा।
23. जम्मू-कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे न केवल स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि विपणन के कई अवसर भी उपलब्ध होंगे।
24. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें स्वदेशी सामग्री अधिक होगी जिससे भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारी में सुधार करने में मदद मिलेगी।

एससीओ और भारत के हित

चर्चा में क्यों?

भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया।

भारत के हित

- एससीओ रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण यूरेशियाई क्षेत्र के मामलों में भारत को अधिक दृश्यता प्रदान करता है
- एससीओ भारत को यूरेशियाई सुरक्षा समूह के अभिन्न अंग के रूप में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद से उत्पन्न ताकतों को बेअसर करने में सक्षम बनाता है।
- 3 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग:
  - व्यापार और परिवहन लिंक का निर्माण,
  - पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटना
  - ऊर्जा

उपरोक्त को एससीओ तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

बदलती भूराजनीति

- अफगानिस्तान से अमेरिका की असम्मानजनक निकासी ने मध्य एशियाई क्षेत्र में चीनी प्रभाव और निवेश के लिए स्थान उपलब्ध कराया है।
- चीन की पाकिस्तान पर रणनीतिक पकड़ और अधिक मजबूत हो गयी है, तथा वैश्विक मंच पर और अधिक मुखर हो गया है।
- यूक्रेन युद्ध के आलोक में, रूस के साथ पश्चिम के संबंध अपने सबसे खराब स्तर पर हैं, जबकि बीजिंग ने मास्को के साथ 'नो-लिमिट' दोस्ती की घोषणा की है।
- ईरान ने सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए चीन की मध्यस्थता में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 2023 में पाकिस्तान-ईरान सीमा पर एक बाजार खोला गया है, जबकि इस दौरान दोनों के मध्य सबंध वर्षों से अच्छे नहीं रहे हैं।
- चीन के लिए, एससीओ में ईरान का होना अपनी प्रचुर ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए अच्छी खबर है। 2021 में, चीन और ईरान ने तेल सहित क्षेत्रों में सहयोग के लिए 25 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- रूस के लिए उसके करीबी क्षेत्रीय सहयोगी, बेलारूस के दायित्वों के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना है, जिससे बाद पूर्ण सदस्यता प्राप्त होगी।

एससीओ के बारे में

- एससीओ 2001 में बनाया गया था। यह स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है।
- यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन है।
- इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है।
- यह एक आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है।
- यह सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है।
- **पर्यवेक्षक:** अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया।
- **संवाद भागीदार:** अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।

एससीओ के निकाय

- बीजिंग में सचिवालय।
- ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) की कार्यकारी समिति।

आधिकारिक भाषा:

- चीनी और रूसी

अध्यक्षता:

- सदस्य राज्यों में से एक वर्ष के लिए रोटेशन में।

समयरेखा

- **1996:** चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने शंघाई फाइव ग्रुप का गठन किया।
- **2001:** उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। समूह का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया।
- **2003:** 2002 में हस्ताक्षर किए गए चार्टर। 2003 में पूरी तरह से लागू हो गया। चार्टर व्यापार, संपर्क और आतंकवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित था।
- **2017:** भारत और पाकिस्तान शामिल हुए।
- **2023:** ईरान इसमें शामिल हुआ।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक 2022

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

अन्य देशों से तुलना

- अंकटाड के अनुसार, अनुमानतः 194 देशों में से 137 देशों ने डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया है।

अपनाने की दरः

- अफ्रीकाः 61% (54 में से 33 देश)
- एशियाः 57% (60 में से 34 देश)
- सबसे कम विकसित देशः 48% (46 में से 22)

ईयू मॉडलः

- जीडीपीआर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
- अत्यधिक कठोर होने और डेटा संसाधित करने वाले संगठनों पर कई दायित्व थोपने के कारण इसकी आलोचना की गई है।

यूएस मॉडलः

- गोपनीयता सुरक्षा को मोटे तौर पर 'स्वतंत्रता सुरक्षा' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को तब तक सक्षम बनाता है जब तक व्यक्ति को ऐसे संग्रह और उपयोग के बारे में सूचित किया जाता है।

मसौदा विधेयक से संबंधित चिंताएँ

- कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मसौदा विधेयक में काफी हद तक मूल संस्करण के बिन्दुओं को बरकरार रखा गया है जिन्हें नवंबर 2022 में प्रस्तावित किया गया था।
- समझा जाता है कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए व्यापक छूट, जो पिछले मसौदे के सबसे अधिक आलोचना वाले प्रावधानों में से एक थी, को अपरिवर्तित रखा गया है।
- समझा जाता है कि डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में भी केंद्र सरकार का नियंत्रण बरकरार रखा गया है।
- यह भी चिंता है कि यह कानून, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर कर सकता है, क्योंकि इसके तहत सरकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित किए जाने की संभावना है, जिससे आरटीआई आवेदक के साथ साझा करना मुश्किल हो जाएगा।

उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से प्रदान करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों दोनों को मान्यता देता है।

अधिनियम के अनुप्रयोग

- इस अधिनियम के प्रावधान भारत के क्षेत्र के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होंगे जहां:
  - ऐसा व्यक्तिगत डेटा, डेटा प्रिंसिपलों से ऑनलाइन एकत्र किया जाता है।
  - ऑफलाइन एकत्र किए गए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को डिजिटलीकृत किया जाता है।
- इस अधिनियम के प्रावधान भारत के क्षेत्र के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होंगे, यदि ऐसा प्रसंस्करण भारत के क्षेत्र के भीतर डेटा प्रिंसिपलों को वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश की किसी प्रोफाइलिंग या गतिविधि के संबंध में है।
- इस अधिनियम के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे:
  - व्यक्तिगत डेटा का गैर-स्वचालित प्रसंस्करण;
  - ऑफलाइन व्यक्तिगत डेटा;
  - किसी व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा संसाधित व्यक्तिगत डेटा; और
  - किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत डेटा जो एक ऐसे रिकॉर्ड में शामिल है जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है।

संशोधन

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम') में संशोधन किया जाएगा।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (J) में संशोधन किया जाएगा।

प्रतिबंधित इंटरनेट एक्सेस एवं सार्वजनिक व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को मणिपुर हाई कोर्ट जाने को कहा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसके बाद के संशोधन

- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले में, ै ने इंटरनेट शटडाउन आदेश जारी करने में आवश्यकता और आनुपातिकता के महत्व पर जोर देते हुए, इंटरनेट सेवाओं के अनिश्चितकालीन निलंबन को अवैध घोषित किया।
- जवाब में, केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में 2017 के नियमों में संशोधन किया, जिससे इंटरनेट निलंबन आदेशों को अधिकतम 15 दिनों तक सीमित कर दिया गया।

भारत में इंटरनेट शटडाउन की व्यवस्था

- भारत में, इंटरनेट शटडाउन आदेश दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 द्वारा शासित होते हैं, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के दायरे में आते हैं।
- ये नियम केंद्रीय और राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाहों को सार्वजनिक आपातकाल के आधार पर अस्थायी शटडाउन का आदेश देने के लिए अधिकृत करते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता या रक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में वेबसाइट को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाता है।

इंटरनेट शटडाउन

इंटरनेट शटडाउन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब लोगों द्वारा हिंसा या अशांति को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर इंटरनेट या मोबाइल ऐप्स को बाधित करते है।

शटडाउन के कारण

सरकारें कई कारणों से इंटरनेट शटडाउन को उचित ठहराती हैं, जैसे

- लोगों को जानकारी साझा करने या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से रोकना, भले ही प्रदर्शन शांतिपूर्ण हों।
- यह गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।
- इंटरनेट बंद करने से संकट के समय समुदायों के बीच शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।

इंटरनेट बंद करना

- वेबसाइटों को ब्लॉक करना
- पूरे नेट को ब्लॉक करना

इंटरनेट शटडाउन की लागत

- **आर्थिक नुकसान:** इंटरनेट शटडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान हो सकता है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो अपने संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं।
- **सामाजिक व्यवधान:** इंटरनेट संचार हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो लोगों को जुड़ने, जानकारी साझा करने और सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट शटडाउन इन आवश्यक चौनलों को बाधित करता है, सामाजिक संपर्क में बाधा डालता है और विचारों के मुक्त प्रवाह को बाधित करता है।
- **राजनीतिक परिणाम:** सरकारें अक्सर असहमति को दबाने, सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने और राजनीतिक विरोध को सीमित करने के साधन के रूप में इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल करती हैं।
- **शैक्षिक बाधाएं:** इंटरनेट शटडाउन शैक्षिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सीखने और सहयोग के लिए ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भर हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ:** इंटरनेट स्वास्थ्य जानकारी, टेलीमेडिसिन सेवाओं और ऑनलाइन सहायता समूहों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्या शटडाउन की आवृत्ति बढ़ रही है ?

- जैसे-जैसे अधिक लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, वे खुद को संगठित करने और जो वे चाहते हैं उसकी वकालत करने के लिए इससे मिलने वाली स्वतंत्रता और अवसर का भी तेजी से आनंद ले रहे हैं।
- इसके जवाब में, ऐसा लगता है कि सरकारें भारी कीमत चुकाकर इस प्रथा को रोकने के लिए बार-बार नेट बंद कर रही हैं।

चीन का चिप-युद्ध

चर्चा में क्यों?

चल रहे 'चिप-युद्ध' में, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की कि वह गैलियम और जर्मेनियम से संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। यह नियंत्रण 'राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए' लगाया जा रहा है।

चीन द्वारा प्रतिबंधों की घोषणा

- चीन ने आदेश दिया है कि निर्यात ऑपरेटरों को अब एक विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- ऑपरेटरों को आयातकों, अंतिम-उपयोगकर्ताओं और अंतिम उपयोग को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।
- उन्हें निर्यात अनुबंध की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना अनुमति के निर्यात करना उल्लंघन माना जाएगा तथा दंड की भी व्यवस्था की जाएगी।
- इसे अपराध भी माना जाएगा तथा निर्यातक को 'आपराधिक रूप से जिम्मेदार' भी ठहराया जायेगा।

भारत पर प्रभाव

- तत्काल आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण, चीनी निर्यात नियंत्रण का भारत और उसके उद्योगों पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- निर्यात नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई कीमतें, चिप्स की लागत और उपलब्धता को प्रभावित करेंगी, जिससे संभावित रूप से भारत की चिप बनाने की योजना प्रभावित होगी।
- भारत की चिप-निर्माण योजनाओं और उद्योगों के लिए दीर्घकालिक परिणाम कई कारकों पर निर्भर होंगे, जिनमें वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत, घरेलू अर्धचालक उत्पादन क्षमताएं और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर भारत-अमेरिका पहल (आईसीईटी) जैसी रणनीतिक साझेदारी शामिल हैं।
- चूंकि दोनों महत्वपूर्ण खनिज जिंक और एल्यूमिना के प्रसंस्करण में उप-उत्पाद हैं, इसलिए जिंक और एल्यूमिना उत्पादन से अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- उपलब्ध विकल्प, इंडियम और सिलिकॉन पर भी विचार किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत में कुछ अच्छी गुणवत्ता वाला सिलिका फीडस्टॉक उपलब्ध है, लेकिन इसे मेटलर्जिकल-ग्रेड सिलिकॉन में परिवर्तित करना पड़ता है जिसके लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है।

चीनी कदम के विरुद्ध प्रतिक्रिया

- रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका निर्यात नियंत्रण का 'दृढ़ता से' विरोध करता है और इस मुद्दे के समाधान के लिए अपने भागीदारों और सहयोगियों से परामर्श करेगा।
- यूरोपीय आयोग ने घटना पर चिंता व्यक्त की है और इस कदम के सुरक्षा से संबंधित होने पर चिंता व्यक्त की है।

विश्व के लिए चिंता का विषय

- गैलियम का उपयोग गैलियम आर्सेनाइड बनाने के लिए किया जाता है जिससे अर्धचालकों के लिए मुख्य सब्सट्रेट बनाया जाता है।
- इनका उपयोग एकीकृत सर्किट, मोबाइल और उपग्रह संचार और एलईडी में उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर वेफर्स के निर्माण के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग ऑटोमोटिव और प्रकाश व्यवस्था, और एवियोनिक, अंतरिक्ष और रक्षा प्रणालियों में सेंसर के लिए भी किया जाता है।
- क्रिटिकल रॉ मटेरियल एलायंस के अनुसार, गैलियम का 80% उत्पादन चीन में होता है।
- जर्मेनियम के कुल उत्पादन का 60% भी चीन में होता है।
- तत्व का उपयोग फाइबर-ऑप्टिक केबल, इन्फ्रारेड इमेजिंग डिवाइस और ऑप्टिकल डिवाइस में किया जाता है।
- इनका उपयोग सोलर सेल्स में गर्मी झेलने की क्षमता और उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता के लिए भी किया जाता है।
- यूरोपीय आयोग, जिसकी गैलियम और जर्मेनियम के लिए चीन पर आयात निर्भरता क्रमशः 71% और 45% है, ने इसे 'महत्वपूर्ण कच्चे माल' के रूप में चिन्हित किया है।
- भारत में खान मंत्रालय के अनुसार, देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह दो तत्व महत्वपूर्ण हैं ।

क्वांटम सुपरकंप्यूटर

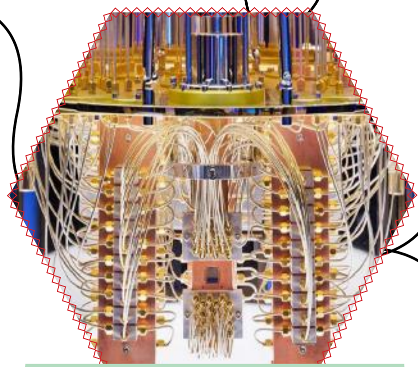

चर्चा में क्यों?

माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने एक मायावी (Elusive) प्रकार का कण बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया है जो संभावित रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकता है।

अपग्रेड का कारण

यह दावा मेजराना जीरो मोड (Majorana zero modes) नामक कणों से संबंधित है, जिनके अद्वितीय गुण क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद कर सकते हैं जो आज की तुलना में बहुत कम नाजुक हैं, जो उन्हें कम्प्यूटेशनल रूप से बेहतर बनाते हैं।

'मेजोराना' के बारे में

- मेजराना फर्मियन, जिसे मेजराना कण भी कहा जाता है, एक फर्मियन है जो स्वयं का एंटीपार्टिकल है।
- इनकी परिकल्पना 1937 में एटोर मेजराना द्वारा की गई थी।
- इस शब्द का प्रयोग कभी-कभी डिराक फर्मियन के विरोध में किया जाता है, जो ऐसे फर्मियन का वर्णन करता है जो अपने स्वयं के एंटीपार्टिकल्स नहीं हैं।

क्वांटम कम्प्यूटिंग

क्वांटम कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो क्लासिकल बिट्स (0s और 1s) के बजाय क्वांटम बिट्स (क्विबिट्स) (Qubits) का उपयोग करती है। यह क्वांटम कंप्यूटरों को क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके से जानकारी संसाधित करने में मदद करता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग

- **एआई और मशीन लर्निंग (एमएल):** क्रमिक रूप से विपरीत, एक साथ समस्याओं के समाधान की गणना करने की क्षमता में एआई और एमएल के लिए अपार संभावनाएं हैं।
- **साइबर सुरक्षा:** साइबर सुरक्षा परिदृश्य की तेजी से विकसित हो रही प्रकृति को देखते हुए, क्वांटम कंप्यूटर उपयोग के दौरान डेटा को एन्क्रिप्टेड रखने में मदद कर सकते हैं, जो इन-ट्रांजिट और एट-रेस्ट दोनों में सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- **उत्पादन:** विनिर्माण क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर, प्रोटोटाइप की लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं और बेहतर डिजाइन तैयार कर सकते हैं जिन्हें अधिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है।
- **औषध और रसायन अनुसंधान:** क्वांटम कंप्यूटर इस बात के लिए बेहतर मॉडल बना सकते हैं कि परमाणु एक-दूसरे के साथ कैसे संपर्क करते हैं, जिससे आणविक संरचना की बेहतर और अधिक सटीक समझ बनती है।
- **बैटरियां:** क्वांटम कंप्यूटिंग बैटरी और सेमीकंडक्टर जैसे उत्पादों में नई सामग्रियों को शामिल करने में मदद कर सकती है। यह लंबी अवधि और दक्षता के लिए बैटरियों को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग के लाभ

- **गति:** क्वांटम कंप्यूटरों में क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में कुछ प्रकार की गणनाएँ बहुत तेजी से करने की क्षमता होती है। इससे क्रिप्टोग्राफी, दवाओं पर अनुसंधान और वित्तीय मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं।
- **समानांतर प्रसंस्करण:** सुपरपोजिशन गुण के कारण एक एकल क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में कई गणनाएं कर सकता है।
- **अनुकूलन समस्याएं (Optimization problems):** क्वांटम कंप्यूटर अनुकूलन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए बड़ी संख्या में संभावनाओं में से सबसे अच्छा समाधान खोजने की आवश्यकता होती है।
- **सिमुलेशन:** क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग क्वांटम सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए किया जा सकता है, जिसे क्लासिकल कंप्यूटर के साथ सिमुलेट करना मुश्किल या असंभव है। क्वांटम रसायन विज्ञान और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों के लिए इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- **क्रिप्टोग्राफी:** क्वांटम कंप्यूटर में कई मौजूदा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने की क्षमता है जो संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH-2023) का आयोजन 5 से 7 जुलाई 2023 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था।

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में

- 4 जनवरी 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी।
- इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

2030 तक अपेक्षित परिणाम

- भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 5 एमएमटी प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी, जो जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी लाने में योगदान करेगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 एमएमटी CO2 उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है।

आगे की राह

- ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारत के पास पर्याप्त धूप और हवा के साथ एक आदर्श भौगोलिक स्थिति है।
- उद्योग की प्रारंभिक अवस्था के कारण, ऐसे क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना संभव है जो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाओं के साथ-साथ उच्च-स्तरीय ग्रीन उत्पादों का निर्यात करते हैं।
- भारत 2030 के लक्ष्य से नौ साल पहले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी 40% ऊर्जा प्राप्त करने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हरित और स्वच्छ ग्रह के हमारे दृष्टिकोण को साकार करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण है और ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए आईसीजीएच 2023 एक ऐसा ही मंच प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- हरित हाइड्रोजन का विकास अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, और भारत एक महत्वपूर्ण उत्पादक बनकर इसका नेतृत्व कर सकता है, लेकिन वर्तमान में इसके पास आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।
- एक अन्य चुनौती हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की आर्थिक स्थिरता है है। इसे प्रति मील के आधार पर पारंपरिक ईंधन और प्रौद्योगिकियों के साथ लागत-प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए।

ग्रीन हाइड्रोजन और इसकी आवश्यकता

- हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के स्रोत को रंगों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोयले का उपयोग किया जाता है तो उत्पादित हाइड्रोजन ब्राउन हाइड्रोजन होता है।
- यदि हाइड्रोजन के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली बिजली पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत से आती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है।
- हाइड्रोजन में उच्च ऊर्जा होती है और जब इसे नवीकरणीय स्रोत से उत्पादित किया जाता है तो यह लगभग कोई उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे यह सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक बन जाता है।
- चूंकि दुनिया अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है और जलवायु परिवर्तन का खतरा वास्तविकता में बदल रहा है, यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में भी मदद कर सकता है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण

चर्चा में क्यों?

E20 पेट्रोल, या 20 प्रतिशत इथेनॉल वाला पेट्रोल, अब 1,350 ईंधन खुदरा केंद्रों पर उपलब्ध है और 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध होगा।

E20 पेट्रोल का विस्तार

- E20 पेट्रोल की बिक्री इस साल फरवरी में पीएम मोदी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के 84 ईंधन खुदरा केंद्रों से शुरू की गई थी।
- E20 पेट्रोल वितरित करने वाले आउटलेटों की संख्या बढ़कर 1,350 हो गई है।
- कुल मिलाकर, भारत में लगभग 87,000 ईंधन खुदरा केंद्र हैं।
- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) को 22 जुलाई को गोवा में जी20 ऊर्जा संक्रमण मंत्रिस्तरीय बैठक में सदस्यता के लिए अन्य देशों के लिए खोला जाएगा।

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए)

- जीबीए भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत प्राथमिकताओं में से एक है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील, जो जीबीए के निर्माण के लिए भारत के साथ काम कर रहे हैं, को जैव ईंधन में वैश्विक अग्रणियों के रूप में देखा जाता है और वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में उनका क्रमशः 55 प्रतिशत और 27 प्रतिशत योगदान है।
- जीबीए को विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है।
- यह गठबंधन 22 जुलाई को गोवा में G20 स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है।

जैव ईंधन के बारे में

- जैव ईंधन एक ईंधन है जो पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के निर्माण में शामिल बहुत धीमी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बजाय बायोमास से थोड़े समय के अंतराल में उत्पन्न होता है।
- हालाँकि, जैव ईंधन शब्द आमतौर पर तरल या गैसीय ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है।
- अधिकांश जैव ईंधन की खपत गैसोलीन, डीजल ईंधन, हीटिंग तेल और केरोसिन-प्रकार के जेट ईंधन जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के मिश्रण के रूप में होती है।
- अब सबसे आम जैव ईंधन हैं- इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल जैसे बायोअल्कोहल; बायोडीजल; जैव तेल हैं।

इथेनॉल सम्मिश्रण

- इथेनॉल एक जैव ईंधन है, जो प्राकृतिक रूप से यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होता है।
- इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जो इंजन को अधिक अच्छी तरह से ईंधन जलाने में मदद करता है।
- इथेनॉल मिश्रण में, कृषि उत्पादों से प्राप्त एथिल अल्कोहल युक्त मिश्रित मोटर ईंधन को विशेष रूप से पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है।

जैव ईंधन का विकास

जैव ईंधन को चार श्रेणियों में बांटा गया है:

पहली पीढ़ी:

- 1G जैव ईंधन का उत्पादन उपभोज्य खाद्य पदार्थों से किया जाता है जिसमें बायोअल्कोहल के लिए स्टार्च (चावल और गेहूं) और चीनी (चुकंदर और गन्ना), या बायोडीजल के लिए वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है।

2. दूसरी पीढ़ी:

- 2जी जैव ईंधन मुख्य रूप से गैर-खाद्य फीडस्टॉक जैसे वन/उद्योग/कृषि अपशिष्ट और अपशिष्ट या प्रयुक्त वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है।
- **तीसरी पीढ़ी:**
- 3जी जैव ईंधन, जिसे 'शैवाल ईंधन' के रूप में जाना जाता है, बायोडीजल और बायोअल्कोहल दोनों के रूप में शैवाल से प्राप्त होता है।
- लेकिन पर्याप्त शैवाल बायोमास का उत्पादन और निष्कर्षण तकनीकों को बढ़ाना अभी भी चुनौतियाँ हैं।

4. चौथी पीढ़ी:

- तीसरी पीढ़ी की तरह, 4जी जैव ईंधन गैर-कृषि योग्य भूमि का उपयोग करके बनाया जाता है।
- जैव ईंधन के इस वर्ग में विद्युत ईंधन (Electro Fuels) और फोटो-जैविक सौर ईंधन शामिल हैं।

मुख्य परीक्षा विशेषः शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन के लिए नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में सामाजिक जवाबदेही और उसके उपकरणों पर विस्तार से प्रकाश डालें। साथ ही सभी स्तरों पर सामाजिक जवाबदेही कानून की आवश्यकता पर भी चर्चा करें।

उत्तरः

नागरिक भागीदारी से तात्पर्य नागरिकों की, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले राजनीतिक निर्णयों और नीतियों में व्यक्तिगत रूप से और सीधी भागीदारी से है (न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से)। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है क्योंकि यहः

- बेहतर शासन,
- समुदायों के बीच बेहतर संवाद,
- जन जागरूकता के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार,
- सार्वजनिक निकायों की क्षमता निर्माण आदि को सुनिश्चित करता है।

नागरिक भागीदारी स्वयं को सामाजिक जवाबदेही के रूप में प्रकट करती है। सामाजिक जवाबदेही सरकार की ओर से एक दायित्व और जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो।

सामाजिक जवाबदेही के उपकरणः

- सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी सामुदायिक निगरानी प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग प्रायः लोक निर्माण कार्यक्रमों, रोजगार योजनाओं आदि में संसाधनों के उपयोग की निगरानी के लिए किया जाता है।
- सामुदायिक स्कोर कार्ड एक प्रभावी सामुदायिक निगरानी और नियोजन प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य, माँ और बच्चे के विकास, या जल आपूर्ति जैसी राज्य सेवाओं के संबंध में लोगों की धारणा और कार्यक्रमों के प्रदर्शन की निगरानी करती है।
- सहभागी बजट वित्तीय नियोजन और प्रबंधन के लिए एक बॉटम-अप दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- समुदाय के नेतृत्व वाली योजना और कार्यान्वयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ स्वामित्व और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में कुछ अधिकार समुदायों को सौंपे जाते हैं।

सामाजिक जवाबदेही कानून का महत्वः

शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा देश में सामाजिक जवाबदेही कानून लाने की मांग की गई है। इस कानून द्वाराः

- नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और कानून के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर उनकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निवारण किया जा सकेगा।
- यह नागरिकों को कई प्रकार की कार्रवाइयों, उपकरणों और तंत्रों के माध्यम से गुमराह करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक संस्थानों को उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि एक नागरिक को शासन के मामलों में सुनवाई का अधिकार है।
- कानून जन सुनवाई (पीपुल्स कोर्ट) के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करता है जो कि जनता का मंच (सार्वजनिक मंच) होगा।
- सार्वजनिक कार्यों की सूचना और रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा अपने काम के हिस्से के रूप में नियमित रूप से जनता को प्रसारित की जाती है।

इस प्रकार, सामाजिक जवाबदेही कानून, यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिक दिन-प्रतिदिन के शासन में सक्रिय रूप से शामिल हों, जो नागरिकों में नागरिक भावना पैदा करता है और उन्हें देश में लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण करने में मदद करता है।

2. नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? इसके उद्देश्यों एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह कैसे सस्ती कीमतों पर देश में मानकीकरण के साथ बेहतर उच्च शिक्षा की ओर ले जाएगा?

उत्तरः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के प्रावधानों में से एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की शुरूआत है। एबीसी एक क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से छात्र के अकादमिक रिकॉर्ड का वर्चुअल स्टोर है।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के उद्देश्यः

- यह सभी के लिए जीवंत और सुलभ होने के कारण उच्च शिक्षा का वातावरण तैयार करेगा।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार तथा अपनी गति को देखते हुए सर्वोत्तम पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों के संयोजन के चयन में सक्षम बनाएगा।
- शैक्षिक संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करके देश में उच्च शिक्षा के मानकीकरण को सुगम बनाएगा।
- छात्रों और बाजार की जरूरतों के अनुसार विश्वविद्यालयों के दशकों पुराने पाठ्यक्रम का पुनर्गठन और एकीकरण सुगम होगा।
- यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया जैसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों के समीप उच्च शिक्षा लाई जा सकेगी।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की मुख्य विशेषताएंः

- यह छात्रों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र या क्रेडिट के साथ एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही उन्हें पढ़ाई से बाहर निकलने और फिर से प्रवेश करने और जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से जारी रखने की अनुमति देगा।
- इस ढांचे की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के साथ पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लचीला बनाया गया है।
- खाताधारकों के रूप में छात्रों के लिए डेटाबेस के वर्चुअल ऑनलाइन स्टोर-हाउस के साथ क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय और हस्तांतरण के लिए शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बैंक।

- एबीसी केवल उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट पाठ्यक्रम दस्तावेज स्वीकार करेगा, छात्रों से एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए नहीं।

उच्च शिक्षा में मानकीकरण सुनिश्चित करना:

चूंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्रेडिट प्रणाली, पाठ्यक्रम और डिग्री देने की व्यवस्था राज्य से राज्य और विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में भिन्न होती है। एबीसी क्रेडिट प्रणाली के मानकीकरण के माध्यम से संस्थानों के बीच इस तरह की असमानता को कम करेगा और डिग्री देने वाले तंत्र में एकरूपता को बढ़ावा देगा। यह भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर मौजूद शैक्षणिक अंतर को भी कम करेगा। कई विश्वविद्यालयों में अभी भी दशकों पुराने पाठ्यक्रम, अप्रचलित पठन और पुराने मूल्यांकन और डिग्री देने की व्यवस्था है।

इसलिए, एक वैश्विक वातावरण में जहां राष्ट्र ज्ञान साझा करने और नवाचार के लिए करीब आ रहे हैं, भारत डिग्री देने की कठोर प्रणाली का पालन करके अलग-थलग नहीं रह सकता है। एबीसी रेगुलेशन अपने क्लॉज के जरिए हमारी उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक मानकीकृत कर सकता है।

3. **यूएनडीईएसए के अनुसार भारत में वृद्ध लोगों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% से 2050 तक कुल जनसंख्या का 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस संदर्भ में भारत में बुजुर्गों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और उनकी बेहतरी के लिए किये जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।**

उत्तर:

वृद्ध भारतीय आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी में से एक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें विकास प्रक्रिया में योगदान देने में सक्षम बनाना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत में बुजुर्गों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:

- अधिकांश बुजुर्ग आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ये निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति (एसईएस) से संबंधित हैं, और अपने परिवारों पर निर्भर हैं।
- बुजुर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं का अभाव है।
- कई जोखिम भरे व्यवहारों का प्रसार है जैसे कि तंबाकू और शराब का उपयोग इसके अलावा शारीरिक निष्क्रियता भी कारण है।
- पारिवारिक उपेक्षा, निम्न शिक्षा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे।
- कौशल की कमी के कारण बुजुर्ग अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार नहीं बन पाते हैं।
- भौतिक अवसंरचना का अभाव वृद्धों को आराम प्रदान करने में एक प्रमुख बाधा है।
- अपर्याप्त कल्याणकारी योजनाएं।

बुजुर्गों की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले उपाय:

- सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों के पूरक के लिए नागरिक समाज, समुदाय और परिवारों के बीच मजबूत साझेदारी आवश्यक है।
- एडॉप्शन ऑफ मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, 2002।
- भारत को अगले कुछ दशकों के लिए बुजुर्गों की प्राथमिकता वाले दृष्टिकोण के साथ अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल नीति की फिर से कल्पना करनी चाहिए।
- भारत को बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की जरूरत है।
- बुजुर्ग-समावेशी नीतियां जो बुजुर्गों के बड़े वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाती हैं, उन्हें अंतिम मील तक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाएगा।

भारत को मौजूदा वैश्विक ढांचे के आधार पर समय पर कार्यवाही की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना है कि कार्रवाई इस जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के पीछे नहीं होनी चाहिए। बढ़े हुए निवेश, राजनीतिक इच्छाशक्ति और डेटा तथा आंकड़ों में अंतर को दूर करना ठोस प्रतिक्रिया की कुंजी है।

4. **हाल के वर्षों में भारत में नारकोटिक ड्रग का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिसमें पारंपरिक पौधे-आधारित नशीले पदार्थ जैसे भांग, कोकीन और हेरोइन से लेकर ट्रामाडोल जैसे सिंथेटिक अफीम तक शामिल हैं। भारत पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्या है? सुभेद्य जनसंख्या के बीच दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाएं।**

उत्तर:

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी का अनुमान है कि अकेले 2017 में मादक पदार्थों ने वैश्विक स्तर पर 7.5 लाख लोगों की जान ले ली। माना जाता है कि भारत में 22,000 लोगों की जान चली गई थी। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के नशीली दवाओं के व्यापार का आश्चर्यजनक मूल्य 650 अरब डॉलर हैं।

भारत पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

1. **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** लंबे समय तक नशीली दवाओं के उपयोग से मानसिक बीमारियां होती हैं और इनकी आदत बनने की प्रवृत्ति होती है। इसके कई दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। इनमें मतिभ्रम, बढ़ी हुई आक्रामकता, पैनिक डिसऑर्डर्स, चिंता और उदासी शामिल हैं।
2. **शरीर पर प्रभाव:** किसी पदार्थ का दुरुपयोग करने से अल्पकालिक शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं जैसे भूख में परिवर्तन, अनिद्रा, बेचैनी, उच्च हृदय गति, धीमी आवाज, संज्ञानात्मक कार्य में परिवर्तन, उत्साह की एक संक्षिप्त भावना और समन्वय की हानि।
3. नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक सामाजिक प्रभाव होता है जो स्वयं व्यसनी से परे और उनके परिवारों और बड़े समाज में फैलता है। मादक द्रव्यों के सेवन वाले परिवार आपराधिक गतिविधि, अलगाव, घरेलू हिंसा और बाल शोषण या उपेक्षा सहित मुद्दों से

भी जूझ सकते हैं।

4. **आर्थिक प्रभाव:** अध्ययनों के अनुसार नशीली दवाओं के उपयोग से गरीबी और पारिवारिक विघटन होता है। जिन परिवारों में मादक द्रव्यों के सेवन से व्यवधान उत्पन्न हुआ है, वहाँ गरीबी अक्सर माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो जाती है।

दुरुपयोग रोकने के उपाय:

1. भारत में नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने का एकमात्र तरीका आंतरिक प्रवर्तन और सख्त सीमा, हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाह निगरानी को बढ़ाना है।
2. भांग/मारिजुआना के वैधीकरण, गैर-अपराधीकरण और व्यावसायीकरण के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।
3. शराब और तंबाकू उत्पादों के उपयोग की तरह ही भांग के उपयोग को नियंत्रित करने और निगरानी की आवश्यकता है। इससे होने वाले खतरों को उपयुक्त तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे हम तंबाकू के साथ करते हैं।
4. बच्चों, युवाओं और गंभीर मानसिक समस्याओं वाले लोगों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।
5. उच्च प्राथमिक से शुरू होने वाले स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और नशीली दवाओं के उपयोग के स्वास्थ्य और मनोसामाजिक प्रभावों को पढ़ाया जाना चाहिए।

जैसा कि इसके संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत की जिम्मेदारी थी कि वह अवैध दवाओं के उपयोग को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करे, नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए रणनीति तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि नशीली दवाओं के उपयोग के विकार वाले लोग इलाज तक पहुंच सके।

5. **राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन/आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए हाल के दिनों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठ रही है। निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के क्या निहितार्थ हैं?**

उत्तर:

निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण की मांग बढ़ रही है। हाल ही में, हरियाणा सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें हरियाणा के निवासियों के लिए 75% निजी नौकरियां आरक्षित की गई। इसी तरह की मांग अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में उठाई जा रही है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग के कारण :

- यह धारणा कि बाहरी और प्रवासी स्थानीय लोगों की ''नौकरियां छीन रहे हैं''।
- बढ़ती बेरोजगारी और कौशल तक पहुंच की कमी और स्थानीय स्तर पर कम रोजगार।
- देश भर में कृषि क्षेत्र जबरदस्त तनाव में है और युवा इस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए स्थानीय नौकरियों की तलाश कर रहे हैं।
- कई रिपोर्टों से पता चला है कि भेदभाव, कॉर्पोरेट क्षेत्र में दलितों और मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व का एक कारण है।

निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के निहितार्थ:

- निजी क्षेत्र में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
- निजी क्षेत्र में आरक्षण श्रम बाजार को प्रभावित कर सकता है और राज्य के विकास को रोक सकता है।
- निजी क्षेत्र में श्रम उत्पादकता में गिरावट आ सकती है क्योंकि ऐसे कुछ काम ऐसे लोग करेंगे जो कम योग्य होंगे।
- यह उन राज्यों के भीतर बेरोजगारी दर पर अंकुश लगाएगा जहां इन नीतियों को लागू किया जाना है।
- यह कम वेतन वाली नौकरियों की तलाश करने वाले प्रवासियों के आगमन को हतोत्साहित कर सकता है, जिसका स्थानीय बुनियादी ढांचे पर ''महत्वपूर्ण प्रभाव'' पड़ता है।
- यह पाया गया कि अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ कॉर्पोरेट क्षेत्र में अंतर्निहित पूर्वाग्रह थे और इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे विश्व अंतर्मुखी हो रहा है, यह संभावना अधिक है कि इस प्रकार के आरक्षण अन्य भारतीय राज्यों में भी लागू किए जाएंगे। इस प्रकार, ऐसे प्रस्तावों को प्रथमदृष्टया अस्वीकार या स्वीकार करने के बजाय, सभी हितधारकों के लिए आवश्यक है कि मध्यम मार्ग की तलाश की जाए।

6. **गरीबी प्रणालीगत कारकों के कारण स्वास्थ्य का एक जटिल और कपटी निर्धारक है जो एक परिवार में पीढ़ियों तक बना रह सकता है। गरीबी और स्वास्थ्य के बीच संबंध पर टिप्पणी कीजिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?**

उत्तर:

''विकासशील दुनिया में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है'' - कोफी अन्नान। ज्यादातर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी गरीबी को कम करना और स्वास्थ्य और लोगों की भलाई में वृद्धि करना है।

गरीबी और स्वास्थ्य के बीच संबंध:

1. खराब स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता और आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में गरीबी एक बाधा है। वित्तीय बाधाएं गरीबों को इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने से रोकती हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला भोजन और चिकित्सा देखभाल।
2. बदले में, गरीब स्वास्थ्य गरीबी में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। यह आंशिक रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने की लागतों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सेवाओं के लिए खर्च (जैसे परामर्श, परीक्षण और दवा) के अलावा परिवहन खर्च और प्रदाताओं को किए गए अनौपचारिक भुगतान शामिल हैं।
3. गरीबी एक प्रेरक कारक है क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों

के जोखिम को बढ़ा सकती है। खराब मानसिक स्वास्थ्य का गरीबी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य कारणों में से एक काम की सीमित क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी के माध्यम से बेरोजगारी होती है।

बीपीएल व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

1. स्वास्थ्य देखभाल खर्च के कारण भारत में हर साल लगभग 50 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। लगभग 72% जेब खर्च दवा से संबंधित है।
2. अध्ययनों से पता चला है कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के जिन लोगों को अधिक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, उन्हें धनी लोगों की तुलना में कम उपचार दिया जाता है और जिनकी मांग कम होती है। इस प्रकार की असमानता को व्युत्क्रम देखभाल के रूप में जाना जाता है।
3. डायरिया, मलेरिया और टाइफाइड जैसी रोके जा सकने वाली बीमारियों से हर साल 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। यह मुख्य रूप से समाज के गरीब वर्ग को प्रभावित करता है।
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं और देश की बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। जबकि निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं गरीबों की पहुंच से बाहर हैं।
5. भारत के अधिकांश बड़े शहरों में बड़े स्लम क्षेत्र हैं। मलिन बस्तियों में खराब स्वच्छता, कचरे का संचय, खराब जल निकासी व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल की कमी सबसे अधिक प्रचलित समस्याओं में से हैं। ये समस्याएं दस्त, हैजा और टाइफाइड बुखार जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करती हैं।

जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसा है वे कम तनावग्रस्त और नियंत्रण में महसूस कर सकते हैं, अनुभवों और भौतिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ व्यवहार अपना सकते हैं और बनाए रख सकते हैं, और ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उनके पास वित्तीय रूप से सुरक्षा है। लोग इन विधियों के माध्यम से स्वस्थ अस्तित्व के लिए आवश्यक संभावनाओं को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सक्षम हैं। इन अवसरों में एक संतोषजनक नौकरी, रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान और आत्म-मूल्य की उच्च भावना शामिल है, जो सभी हमारे दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं।

7. श्रीलंका में संकट ने भारत को अपने पड़ोसी श्रीलंका के साथ संबंधों को गहरा करने का अवसर प्रदान किया है। भारत के लिए श्रीलंका के सामरिक महत्व पर चर्चा करें और इस संकट को दूर करने के लिए श्रीलंका की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की गणना करें?

उत्तर:

भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या, विदेशी भंडार में कमी और आवश्यक वस्तुओं के लिए बहुत कम आयात कवर के कारण श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह आर्थिक संकट गंभीर राजनीतिक संकट में बदल सकता है, जो भारत के लिए हानिकारक है।

भारत के लिए स्थिर और समृद्ध श्रीलंका का महत्व :

1. **हिंद महासागर में सामरिक स्थिति:**
   a. भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, समुद्र के माध्यम से व्यापार की 90% मात्रा का परिवहन किया जाता है।
   b. चीन की मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स।
   c. हिंद महासागर में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहे भारत के लिए भारत के अनुकूल राजनीतिक स्थिति होना महत्वपूर्ण है।
2. **व्यापार और अर्थव्यवस्था:**
   a. ट्रांस-शिपमेंट व्यवसाय के लिए श्रीलंकाई बंदरगाहों पर महत्वपूर्ण निर्भरता।
   b. भारत श्रीलंका में शीर्ष निर्यातकों और निवेशकों में से एक है।
   c. इंडियन ऑयल, डाबर, अशोक लीलैंड आदि जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति।
   d. भारत की रणनीतिक परियोजनाएं जैसे त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म।
3. सुरक्षा चिंताएं: अस्थिरता, श्रीलंका में चरमपंथी ताकतों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जो निकटता के कारण भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
4. इंडो-पैसिफिक विजन: स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को चीन की चेक बुक डिप्लोमेसी का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रूप से स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध द्वीपय राष्ट्रों की आवश्यकता है।
5. श्रीलंका में किसी भी तरह की अस्थिरता श्रीलंका से पलायन और भारत के लिए शरणार्थी संकट का कारण बन सकती है।

संकट में श्रीलंका को भारत की सहायता में शामिल हैं:

1. सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की करेंसी स्वैप सुविधा।
2. लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्थगन।
3. ईंधन आयात के लिए समर्पित 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता।
4. 1 बिलियन अमरीकी डालर के अल्पावधि रियायती ऋण का विस्तार।
5. विदेश सचिव विनय क्वात्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया और श्रीलंका को अपने 'पूर्ण समर्थन' का आश्वासन दिया।
6. क्रेडिट लाइन सुविधा के तहत आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाओं, ईंधन, उर्वरक आदि की आपूर्ति।
7. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे बुनियादी ढांचे और निवेश परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन।

एक बड़ा पड़ोसी और प्राचीन काल से मित्र होने के नाते भारत को श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए हर संभव वित्तीय मदद, नीति सलाह के साथ-साथ निवेश की पेशकश करनी चाहिए और साथ ही अवसरवादी चीन को आगे बढ़ने से रोकना

चाहिए।

8. **''इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा की घोषणा है।'' इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हित के लिए इस फ्रेमवर्क के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण करें।**

उत्तर:

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) भारत सहित 13 प्रारंभिक भागीदारों के साथ शुरू की गई एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है, और इसका उद्देश्य एक लचीला, समावेशी, टिकाऊ, समृद्ध, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी इंडो-पैसिफिक की दिशा में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।

भारत के लिए आईपीईएफ का महत्व:

1. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के अवसर के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का विकल्प प्रदान करता है।
2. वर्तमान में वैश्विक जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉक का हिस्सा बनने का अवसर।
3. क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने में भारत की मदद कर सकता है (चीन आरसीईपी का हिस्सा है), क्योंकि इसमें चीन शामिल नहीं है।
4. आईपीईएफ के चार स्तंभों, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन, कर और भ्रष्टाचार विरोध पर समन्वय भारत को मजबूत और जिम्मेदार आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगा।
5. यह भारत और दुनिया को जलवायु परिवर्तन की दिशा में शमन और अनुकूलन के प्रयासों में सुधार करने और अपने इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को साकार करने में मदद करेगा।
6. यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हित के लिए महत्वपूर्ण 'क्वाड प्लस' वास्तुकला के विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है।
7. यह व्यापक जुड़ाव के अवसर प्रदान करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के प्रयास को पूरक बना सकता है।

संबद्ध चुनौतियों में शामिल हैं:

1. भारत की नीति के साथ संभावित संघर्ष जैसे डेटा स्थानीयकरण नियम, पर्यावरण और श्रम मानक आदि।
2. भारत को शंघाई सहयोग संगठन में अपनी सदस्यता की तुलना में आईपीईएफ के साथ अपने जुड़ाव को रणनीतिक रूप से संतुलित करने की आवश्यकता है।
3. भाग लेने वाले देशों के बीच बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, भारत को सेवाओं में व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि जैसी अपनी चिंताओं के बारे में मुखर होना चाहिए।
4. चीन इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले चीन विरोधी उपकरण के रूप में देखता है और इसलिए भारत इस पहल में शामिल होकर चीन का विरोध कर सकता है। इससे सीमा पर तनाव बढ़ सकता है।

इस प्रकार भारत को ढांचे के तहत निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आईपीईएफ के तहत भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न और सहयोग करना चाहिए क्योंकि यह भारत के स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के दृष्टिकोण की दिशा में एक निश्चित मार्ग है।

9. **हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। नाटो के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें और अपने पड़ोस में नाटो के विस्तार के खिलाफ रूस की आशंकाओं पर भी चर्चा करें।**

उत्तर:

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में 30 सदस्य राज्य हैं।

अभिप्राय और उद्देश्य:

- नाटो का अनिवार्य और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।
- नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
- नाटो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के सामान्य मूल्यों के आधार पर यूरोप में स्थायी शांति को सुरक्षित करने का प्रयास करता है।
- नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो उसके पास संकट-प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति होती है।

अपने पड़ोस में नाटो के विस्तार के विरुद्ध रूस की आशंकाएँ:

- व्लादिमीर पुतिन ने लगातार कहा है कि वर्तमान यूक्रेनी सरकार की कार्रवाई रूस के लिए एक सीधा खतरा है। रूसी सीमा पर नाटो सैन्य उपस्थिति का डर रूस के लिए वास्तविक है। रूस ने एक लाल रेखा निर्धारित की जिसके आगे रूस का नियंत्रण होना चाहिए। रूस को लगता है कि यूक्रेन की सरकार नाटो के नियंत्रण वाली कठपुतली सरकार है।
- रूस चाहता है कि नाटो 1997 से पहले की अपनी सीमाओं पर लौट आए। रूस की चिंताओं को समझा जा सकता है क्योंकि नाटो की स्थापना यूएसएसआर के प्रत्यक्ष असंतुलन के रूप में की गई थी और रूस नाटो देशों के साथ काफी भूमि सीमा साझा करता है।
- पूर्व सोवियत गणराज्य जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया पहले ही नाटो में शामिल हो गए थे जिसे रूस ने शायद ही स्वीकार किया था। इसके बाद रूस ने यूक्रेन और जॉर्जिया के मामले में सीमा रेखा खींची।
- क्रीमिया में सेवस्तोपोल सहित, गर्म पानी के बंदरगाहों की प्रचुरता के कारण सदियों से रूस ने काला सागर को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय माना। हालांकि, काला सागर से

भूमध्य सागर तक पहुंच अभी भी 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन द्वारा प्रतिबंधित है, जिसने तुर्की बोस्पोरस जलडमरूमध्य का नियंत्रण दिया।

नाटो ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को स्थिर करने, महाशक्तियों के संघर्ष को रोकने और 1989 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, कई लोग आज की दुनिया में नाटो की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। इस प्रकार, सभी दलों को एक-दूसरे के डर को दूर करने के लिए सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

10. क्या G7 समूह को दुनिया के सबसे अमीर देशों का विशिष्ट क्लब कहा जा सकता है? G7 भारत की बहुध्रुवीय विश्व की खोज की रणनीतियों में से एक को कैसे पूरा करता है?

उत्तर:

G7 औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक ब्लॉक है - संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम-जो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं।

G7 एक्सक्लूसिव क्लब के रूप में-

1. समूह की सदस्यता दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं - यूएसए, कनाडा, जापान आदि को दर्शाती है। ये उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर हावी हैं। स्वाभाविक रूप से, समूह प्राय: अपने स्वार्थ को मुख्य विचार के रूप में लेते हैं।
2. 1970 के दशक में G7 सबसे अमीर देशों का क्लब हुआ करता था-अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा। लेकिन अब सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन और भारत शामिल होंगे और इटली और कनाडा को बाहर कर दिया जाएगा।
3. आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताएँ G7 समूह में परिलक्षित नहीं होती हैं। चीन के एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरने के साथ, G7 एक बंद समूह नहीं रह सकता है। हालाँकि, कई अन्य देशों को अब आमंत्रितों के रूप में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में भारत सहित अन्य देशों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था।

G7 एक बहुध्रुवीय विश्व की भारत की खोज की रणनीतियों में से एक को कैसे पूरा करता है?

- भारत अब जी-7 शिखर सम्मेलन में नियमित रूप से आमंत्रित है और इस वर्ष, यूक्रेन संकट पर पश्चिम के साथ नई दिल्ली के मतभेदों के बावजूद, शिखर सम्मेलन के लिए एक अतिथि के रूप में भारत की उपस्थिति वैश्विक बातचीत में इसके बढ़ते वजन को रेखांकित करती है।
- ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था अत्यधिक ध्रुवीकृत है, भारत उन कुछ देशों में से एक है जो जी-7 और ब्रिक्स दोनों के साथ जुड़ सकते हैं।
- नई दिल्ली वैश्विक मामलों पर अपने रुख के बारे में लगातार बनी हुई है और इस प्रक्रिया में अपने विभिन्न वार्ताकारों के साथ विश्वास की भावना पैदा करने में कामयाब रही है।
- G7 बैठक में भाग लेना ब्रिक्स या जी-7 शिखर सम्मेलन में संतुलन रखता है। इस तरह की भागीदारी हमें अंतरराष्ट्रीय चिंता के मौजूदा मुद्दों पर प्रमुख देशों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन के बीच सेतु हो सकता है जो दिन-ब-दिन मजबूत होता गया है। तात्पर्य यह है कि भारत का जी-7 में शामिल होना कई नवीन अवसरों का सृजन करेगा।

11. लोकतंत्र की सफलता कार्यपालिका और विधायिका दोनों की जवाबदेही और पारदर्शिता में निहित है। डिजिटल संसद के उद्देश्य और विशेषताओं के विशेष संदर्भ में बताइये कि इस संबंध में डिजिटाइजेशन किस प्रकार मदद करता है?

उत्तर:

किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के मौलिक सिद्धांत पारदर्शिता और जवाबदेही हैं, न केवल वरिष्ठों के पदानुक्रम के संदर्भ में, बल्कि मतदाताओं, नागरिकों और नागरिक समाज सहित अन्य हितधारकों के संदर्भ में भी। कार्यपालिका अपने निर्णयों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद विभिन्न तरीकों से अपने कार्यों की जांच करती है जैसे कि विधेयकों पर बहस, संसद के पटल पर मुद्दे, प्रश्नकाल की प्रक्रिया और संसदीय समितियों में जांच द्वारा। इसी तरह, विधायिका चुनावी प्रक्रिया द्वारा भारत के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। उन्हें हर पांच साल में संसद के सदनों के लिए निर्वाचित होना होता है।

संसद का डिजिटलाइजेशन:

एक डिजिटल संसदीय प्रणाली कानून बनाने वाली संस्थाओं को बैठकें, सम्मेलन और अन्य प्रकार के आयोजन करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करती है। ऐसा करने से प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है और लोकतांत्रिक शासन में सुधार किया जा सकता है।

डिजिटलीकरण के तंत्र:

- नागरिकों के लिए उपलब्ध संसद के सत्रों की लाइव कार्यवाही।
- सभी रिकॉर्ड कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किए जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि डेटा में हेरफेर नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अब कोई भी जनता की आवाज को चुप नहीं करा सकता है।
- सभी हितधारकों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करना संभव है।
- हम जितना उपभोग कर सकते हैं उससे अधिक डेटा, जनसांख्यिकीय डेटा, सोशल मीडिया डेटा आदि का उत्पादन करते हैं। सरकार में नेताओं को बेहतर निर्णय लेने के लिए इस जानकारी का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए।

संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी सुलभ बनाने के उद्देश्य से, हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा 'डिजिटल संसद ऐप' लॉन्च किया गया था।

डिजिटल संसद ऐप की विशेषताएं:

- सभी संसदीय कार्यवाही और अन्य गतिविधियों के अपडेट नागरिकों

के लिए 'डिजिटल संसद ऐप' पर उपलब्ध होंगे।

- इससे लोगों को 1947 के बाद से संसद सदस्यों, सत्रों में उनकी भागीदारी, बजट भाषणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी।
- सदन की कार्यवाही का पुरालेख 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक उपलब्ध रहेगा।
- उपयोगकर्ता सदस्यों की प्रोफाइल, प्रश्न/उत्तर और आज के पेपर देख सकते हैं।

इस प्रकार, यह ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को धारण करने के लिए नागरिकों सहित सभी हितधारकों के बीच संसद के कामकाज और घटनाओं के बारे में जानकारी निर्बाध रूप से प्रवाहित हो। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखना संसद का कर्तव्य है।

12. ''नागरिक समाज युद्ध का नया क्षेत्र है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है''। नागरिक समाज के राष्ट्र में विकास, सामाजिक न्याय और सुधारों का इंजन होने के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तरः

विश्व बैंक के अनुसार, नागरिक समाज गैर-सरकारी संगठनों की विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति रखते हैं तथा नैतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आधार पर अपने सदस्यों और अन्य लोगों के हितों और मूल्यों को व्यक्त करते हैं। जैसे वे राष्ट्र के विकास के साथ-साथ सुरक्षा, वास्तुकला के संरक्षण आदि विविध पक्षों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वे तरीके जिनसे नागरिक समाज को विकृत किया जा सकता हैः

1. नागरिक समाज में लोग और उसके संगठन, गैर-राज्य अभिनेता शामिल हैं, जो चौथी पीढ़ी के युद्ध में एक महत्वपूर्ण तत्व है।
2. धर्म आधारित सोशल मीडिया समूहों जैसे नागरिक समाज संगठन के माध्यम से दुष्प्रचार आसानी से फैलता है। इससे समाज में विभाजन और गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है। पूर्व-सांप्रदायिक हिंसा, जाति आधारित हिंसा के लिए।
3. नागरिक समाज के नाम पर, गैर-राज्य अभिनेता आसानी से प्रचार करता है और लोगों को राज्य मशीनरी के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाता है, कश्मीर में उग्रवाद को भड़काने के लिए।
4. सूचना ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई विदेशी वित्त पोषित एनजीओ जानबूझकर कई विकास परियोजनाओं को विफल कर रहे हैं।
5. आईबी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे दुर्भावनापूर्ण नागरिक समाज संगठन की आर्थिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-3% है।
6. बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से कई नागरिक समाज को प्रतिस्पर्धियों के लिए बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका स्थित गैर सरकारी संगठन फ्रांसीसी समर्थित जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
7. मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नागरिक समाज संगठनों का उपयोग मोर्चों के रूप में भी किया जाता है।

नागरिक समाज का महत्व इस प्रकार हैः

विकास का इंजनः

1. रचनात्मक बहस, एसोचैम, फिक्की, सीआईआई आदि जैसे संगठनों द्वारा हितों की आवाज के माध्यम से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करता है।
2. नागरिक समाज को 'तीसरा क्षेत्र' भी कहा जाता है, अन्य दो सरकार और व्यवसाय हैं, और इसलिए तीनों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध विकासात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है।
3. उनमें से कई शिक्षा प्रदान करने और मजबूत करने में लगे हुए हैं (बच्चों को बचाओ, यूनिसेफ, भारत के लिए सिखाओ), स्वास्थ्य देखभाल (आरोग्य सेवा, बिल और मेलिंडा फाउंडेशन) आदि। इस प्रकार मानव पूंजी का निर्माण।
4. साथ ही गरीबों और हाशिए के लोगों के कौशल में मदद करना।

सामाजिक न्याय के एजेंटः

1. पूर्व एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए, गरीबों, हाशिए पर, अल्पसंख्यकों आदि के अधिकारों की रक्षा और बचाव करता है।
2. पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, नालसा जैसे कानूनी सहायता प्रदान करने वाले अधिकार वकालत समूह हैं।
3. अनसुने और अल्पसंख्यकों को अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए मंच देता है, उदा.- नर्मदा बचाओ आंदोलन गरीब विस्थापित आदिवासियों को आवाज देने के लिए।
4. वे आउटरीच अभियान, नुक्कड़, सूचना अभियान आदि के माध्यम से राजनीतिक और अधिकार जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इससे हाशिए पर रहने वालों को सशक्तिकरण की भावना मिलती है।

सुधारों के अग्रदूतः

1. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी राजनीतिक पारदर्शिता के लिए आवाज उठाना।
2. आवश्यक राजनीतिक सुधार लाने के उत्प्रेरक, उदाहरण के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन की लड़ाई ने सूचना के अधिकार को पारित किया।
3. सामाजिक लेखा परीक्षा, पर्यावरण मंजूरी के लिए सार्वजनिक परामर्श आदि जैसे महत्वपूर्ण सुधार और समीक्षा क्षेत्रों में जनता की भागीदारी की क्षमता निर्माण।

इस प्रकार हमें एक प्रभावी लेकिन उदार नियामक व्यवस्था, राजनीतिक और अधिकार जागरूकता अभियान, सतर्क सुरक्षा वास्तुकला, सक्षम वातावरण आदि की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के 'वैश्विक शक्ति' के रूप में उभरने के सपने को साकार करने के लिए नागरिक समाज विकृत होने के बजाय फलता-फूलता रहे।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हाल ही में चर्चा में रहे लम्बानी कढ़ाई पैच के सन्दर्भ में विचार करें:

1. यह रंगीन धागों, दर्पण-कार्य और सिलाई पैटर्न द्वारा चित्रित कपड़ा अलंकरण का एक जटिल रूप है।
2. हाल ही में इसने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया।
3. लम्बानी गोर बोली बोलते हैं और इनकी एक लिपि भी है।

उपरोक्त कथनों की सहायता से सही कथन का चुनाव करें।

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3 D. केवल 1 और 3

उत्तर- A

2. निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 लकड़ी और अन्य वन संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्य से बनाया गया था।
2. 1975 में, वनों को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची-III (समवर्ती सूची) में शामिल किया गया था।
3. वन (संरक्षण) अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को पारित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर- B

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
2. गेहूं में उच्च जल पदचिह्न होता है और ज्वार की तुलना में 1.4 गुना पानी की आवश्यकता होती है।
3. ज्वार एक सूखा प्रतिरोधी और गर्मी सहिष्णु फसल है जो गेहूं का एक आदर्श विकल्प हो सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक B. केवल दो
C. केवल तीन D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- B

4. निम्नलिखित में से कौन सा एवियन तलाक में वृद्धि के पारिस्थितिक प्रभाव हैं?

1. आनुवंशिक विविधता को प्रभावित करने वाली आबादी के भीतर परिवर्तित जीन प्रवाह।
2. पक्षी आबादी के भीतर प्रजनन साझेदारी की स्थिरता में वृद्धि
3. पक्षी समुदायों के भीतर संसाधन साझाकरण में कमी
4. बढ़ी हुई जीवित रहने की दर और संतानों का विकास।

उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है?

A. केवल एक B. केवल दो
C. केवल तीन D. उपरोक्त सभी

उत्तर- B

5. ककड़ी मोजेक वायरस (सीएमवी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीएमवी एक पौधा रोगजनक है जो टमाटर मोजेक वायरस और तंबाकू मोजेक वायरस जैसे वायरस के एक ही वायरण परिवार से संबंधित है जो टमाटर, ककड़ी और मिर्च जैसे संकीर्ण मेजबान पूल को प्रभावित करता है।
2. सीएमवी संक्रमण के परिणामस्वरूप पत्ते पर पीले और गहरे हरे रंग के क्षेत्र, पत्तियों पर फफोले जैसे उपस्थिति तथा पत्ती विकृति होती है।
3. कम तापमान और शुष्क परिस्थितियां टमाटर में सीएमवी के प्रसार के लिए अनुकूल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक B. केवल दो
C. केवल तीन D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- D

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन और बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी पर यूएनसीआरसी के वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. बाल तस्करी के खिलाफ भारत में प्रमुख कानूनों में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956, पॉक्सो अधि नियम 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2015 शामिल हैं।
3. आईओएम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आपदा-प्रवण और कमजोर देशों के बच्चों को तस्करी की 1.12 गुना अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक B. केवल दो
C. केवल तीन D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

7. NeSDA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था।
2. यह यूएनडीईएसए के ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआई) के आधार पर एक द्विवार्षिक मूल्यांकन अभ्यास है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ई-सेवा पोर्टलों

का आंकलन करता है।

3. 2021 के सर्वेक्षण में, यह नोट किया गया था कि वित्त, स्थानीय शासन और उपयोगिता की ई-सेवाओं का नागरिकों द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक B. केवल दो
C. केवल तीन D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- A

8. बाल तस्करी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की हालिया रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन को बाल तस्करी में वृद्धि से जोड़ा है।
2. विश्लेषण से पता चला है कि बच्चों की तस्करी की ज्यादातर घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन मजदूरी और यौन शोषण के कारण होती हैं।
3. रिपोर्ट के अनुसार, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यौन शोषण का प्राथमिक शिकार होने के साथ सबसे अधिक प्रभावित थे।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक B. केवल दो
C. केवल तीन D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- A

9. डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के बारे में सही कथन का चुनाव करें:

1. इसकी स्थापना जुलाई 2021 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के तत्वावधान में की गई है।
2. डीपीसीजीसी ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रदाताओं (ओसीसीपी) के लिए एक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त, स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. ना तो 1 और ना तो 2

उत्तर- B

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में पहली सहकारी समिति की स्थापना 1906 में सर फ्रेडरिक निकोलसन द्वारा की गई थी।
2. 'सहकारी समितियाँ' समवर्ती सूची का विषय हैं।
3. संविधान का अनुच्छेद 243(ZH) संसद और राज्य विधानमंडलों को सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/ से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2
C. केवल 3 D. केवल 1 और 3

उत्तर- C

11. हाल ही में चर्चा में रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) के बारे में विचार करें

1. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) एक तीखी गंध वाली एक लाल-भूरे रंग की गैस है।
2. नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड शामिल होते हैं।
3. यह अम्लीय वर्षा के निर्माण और ओजोन परत के क्षरण में भी योगदान देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से कथन सही हैं ?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3 D. सभी कथन सही है

उत्तर- D

12. ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. आंध्र प्रदेश भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है जो कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है, इसके बाद कर्नाटक है।
2. ज्वार एक पौष्टिक रूप से समृद्ध अनाज है जो आहार फाइबर, आवश्यक खनिजों और एंटीऑक्सिडेंट में उच्च है तथा देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।
3. ज्वार में गेहूं की तुलना में अधिक बाजार मांग है, लेकिन इसके लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2
C. केवल 1 और 3 D. केवल 3

उत्तर- C

13. हालांकि पक्षियों को मोनोगैमस प्रजातियों के रूप में जाना जाता है, हाल के शोध ने एवियन डिवोर्स में वृद्धि का संकेत दिया है। पक्षियों में अलगाव में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिकांश पक्षी प्रजातियों में नर संकीर्णता अधिक प्रमुख होने के साथ पक्षियों में अलगाव के प्रमुख कारणों में से एक है।
2. जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक प्रवास दूरी के परिणामस्वरूप पक्षियों में लंबे समय तक अलगाव हुआ है जिससे रिश्ते में अस्थिरता पैदा हुई है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: D

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS

MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

- Expert lectures from experienced subject specialists
- Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions
- Special lectures from top experts in the field
- Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam
- Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends
- Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

माननीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह, ''ध्येय समम्-उत्थान'' (Together We Can Rise) कार्यक्रम में सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए।

THE HINDU
Text&Context
Thursday, July 20, 2023
DELHI

BIBLIOGRAPHY

A life of service: Defence Minister Rajnath Singh addresses a gathering of successful candidates of the UPSC Civil Services Exam in Lucknow on June 18. ANI

A genre in itself: civil service memoirs are important records of public administration

The best memoirs aren't the 'tell-all', gossipy accounts, but those that are insightful and reflective, acknowledging the role of civil servants in implementing policy decisions, and providing glimpses of the truth

Uma Mahadevan-Dasgupta

Bain was an unusual civil servant. "Call me Bain" – those were his first words when we met at his son, writer Dilip D'Souza's house in Bandra. J. Bain D'Souza was five decades older than me and had joined the civil service in the year that India became independent. As a trainee officer, he helped to organise refugee camps during Partition. He held key postings, including as Municipal Commissioner of Bombay and Chief Secretary of Maharashtra.

Bain also told terrific, self-deprecating jokes. His memoir, written in equally modest and very readable style, was titled *No Trumpets or Bugles: Recollections of an Unrepentant Babu*.

In spare, no-frills prose, he writes about the work of public administration in the early decades of the life of the nation. He also notes a troubling trend in a section of the IAS over the years: of becoming unreflective in work, dealing only with "what their clerical army feeds them… slaves of their in-trays." This naturally impacts accountability and responsiveness.

But, he adds, what has stayed unchanged is this: "The official's readiness to regard himself as master rather than servant of the people. This is something we happily inherited from the British… Our officials have steadily played God. They have known best what is good for the people, and being predominantly from the upper classes, have tended to make policy choices that favour their own kind. So (for example) you get the neglect of public transport in our cities."

Witness to history

The civil service memoir is a genre in itself and an important part of the record. Civil servants are witnesses to major historical moments and key discussions on policy. Nevertheless, the best civil service memoirs aren't the 'tell-all' or salacious accounts filled with gossip about the weak or fractious moments of powerful leaders. The most interesting memoirs are insightful and reflective, acknowledging their role of implementation rather than as prime movers of policy decisions; and providing glimpses of the truth, but in the poet's words, "telling it slant".

Civil service memoirs ought to be compelling – after all, they have a ringside view of history – but let's face it, many are hard to finish. They tend to be full of 'me, myself, and I' – forgetting that there is no 'I' in government, but that it is really all teamwork, with some of the hardest work being done by those who are directly in contact with the people at street level, especially frontline community workers.

Some civil service memoirs provide a chronological account of every single posting and every anecdote in excruciating detail. Some get lost in stories about "When I was a Collector" – forgetting that after the 73rd Constitution Amendment, the role of the Collector – a creation and legacy of the British administration – is marginal at best, and that it is decentralised local governance which needs to be strengthened.

Some sharp commentaries

The memoir can only be as interesting as the life story it tells. In a sea of banal, self-obsessed, and triumphalist narratives, there are some that stand out. One highly readable memoir is V. Balasubramanian's *Fall from Grace: Memoirs of a Rebel IAS Officer*. Intelligently written, richly detailed, and with the sharpest of commentary, Balasubramanian brings an original voice to his telling of several decades of administrative history.

Another deeply unusual memoir is Chiranjeev Singh's *Yaava Janmada Maitri*, written in Kannada. Born in pre-Independence India in Punjab, Singh served as India's Ambassador to UNESCO in Paris, and worked and settled in Karnataka where he retired as Development Commissioner.

K.M. Chandrashekhar's recent memoir *As Good as My Word* is also about an unconventional career. In his assessment, the high points of his work, even more than the four years spent as Cabinet Secretary, were his tenures in Brussels and Geneva at the WTO, where, using negotiation skills learnt while dealing with unions and factions in Kerala, he worked on international trade policy.

I have also been drawn to analyses that take a long, honest look at the bureaucracy itself, not from the centre but from the margins.

One such critique is T.R. Raghunandan's witty and ironic deconstruction of life bound up in red tape, titled *Everything You Ever Wanted to Know About the Bureaucracy but Were Afraid to Ask* – a trenchant look at a civil service that takes itself far too seriously. Another is N.C. Saxena's introspective and deeply researched *What Ails the IAS, and Why It Fails to Deliver: An Insider's View*, in which he argues why the IAS must share the blame for the country's inadequate performance on hunger and inequality.

Lack of women's voices

I have often wondered why there are so few memoirs by women civil servants. Surely, they have stories to tell, not least of all about the entrenched patriarchy they have often had to struggle against in their work. Yet perhaps, as women tend to do, they undervalue their own contributions.

At a recent discussion on a civil servant's book, there was the inevitable question about why civil servants wait until retirement to write their memoirs.

The answer is quite simple: for one thing, service conduct rules come in the way; for another, it is difficult to reflect and write in the midst of meetings, crises, and multiple demands on one's time; but the most important reason is that it is only after retirement that it is possible to take a long, measured look at the years that have gone by.

Finally, not all civil servants write their memoirs – but they leave a mark in the systems and processes they put in place. P.R. Nayak of the 1954 batch of the IAS passed on this week. Among the many deeply felt tributes, his junior colleagues recalled how, as Development Commissioner before the advent of computers, Nayak had devised a detailed system for monthly multilevel reviews, from the taluka to state level, of major developmental programmes – a system that continued to serve the state for decades.

A great legacy indeed.

Uma Mahadevan Dasgupta is in the IAS.

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744